# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १ ] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का २१वां दिवस [ संख्या १३

 

बृहस्पतिवार, १४ मई, १९५७

---

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-१२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

---

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

### जयपुर नगर में 'बापू आश्रम' का शिलान्यास

११० **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर के आसपास हरिजनों के हितार्थ "बापू आश्रम" नाम का एक भवन बनाये जाने के लिए सरकार की ओर से माननीय राष्ट्रपति द्वारा नीव का पत्थर रखवाया गया था ? यदि हां, तो कब तथा इस समारोह के उद्घाटन में कितना रुपया सरकार की ओर से खर्च किया गया था ?

(ख) क्या उस समय इस भवन को बनवाने हेतु सरकारी या गैर-सरकारी समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो उनके कौन कौन मेम्बर थे तथा उन्होंने अब तक क्या काम किया ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त भवन के शिलान्यास का पत्थर भी लोगों ने तोड़ फोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

**समाज कल्याण मन्त्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) हां, यह सत्य है। दिनांक ३० अक्टूबर, १९५५ को माननीय राष्ट्रपति द्वारा नींव का पत्थर रखवाया गया था। इस समारोह के उद्घाटन में ६०७ रुपया ५ आने खर्च हुए।

(ख) इसकी एक समिति बनवाई गई थी जिसमें निम्न सदस्य हैं :—

(१) संचालक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।

(२) श्री मुक्तिलाल मोदी, सदस्य विधान सभा।

(३) श्री गुलाबचन्द, हरिजन।

(४) श्री हुकम चन्द, प्रतिनिधि, श्री सोहनलाल दुग्गड़।

(५) प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ( भवन व सड़क ), जयपुर।

( श्री हरिभाऊ उपाध्याय )

यह समिति अब तक भवन निर्माण का कोई काम नहीं कर पाई।

(ग) हां।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों ने यह पत्थर तोड़ दिया है।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** यह समिति काम नहीं कर पाई, इसके लिए सरकार की ओर से कोई रिमाइन्डर वगैरह उसको दिया गया कि नहीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** अभी अभी समिति की दो मीटिंग्ज़ हुई, कोई दस दिन के अन्दर। एक मीटिंग तो कल ही हुई है। इसमें यह तय हुआ है कि जो रुपया इसके लिए बैंक में सुरक्षित है वह पी. डब्ल्यू. डी. को दिया जावे और वह इसके लिए भवन निर्माण के काम को प्रारम्भ करे।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** यह रुपया अब कब तक दे दिया जावेगा ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** मेरे ख्याल से यह कार्यवाही आज या कल में हो जावेगी।

**एक माननीय सदस्य:** क्या मेम्बर होना चाहते हैं माननीय सदस्य भी उसके ?

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** उस शिलान्यास के पत्थर को तोड़ दिया गया तो क्या इसके लिए कोई कार्यवाही करने की बात सरकार ने सोची ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** बात यह है कि वह एक प्राइवेट बोड़ी थी कि जिसकी तरफ से यह शिलारोपण कराया गया था। तो इसलिये अब सरकार की जिम्मेदारी कहां तक आती है, यह विचारने की बात है। पर यह अफसोस की बात है कि शिलान्यास के पत्थर को तोड़ डाला गया।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा करवाया जावे और उसको कोई तोड़ फोड़ डाले तो सरकार की जिम्मेदारी कुछ नहीं है क्या ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** मैं यह तो नहीं कहता, पर अफसोस की बात है कि उसे तोड़ डाला किसी ने।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** कार्य समिति के मेम्बर्स जो बनाये गये उसका कन्फर्मेशन सरकार की ओर से कराया गया था या नहीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** मैंने सुना नहीं। आप दुबारा कहिये तो।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री :** कार्य समिति के मेम्बर जो बनाये गये उसकी कन्फर्मेशन सरकार की ओर से की गई थी या नहीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** इसकी जानकारी तो अभी मेरे पास नहीं है। आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** ऐसे मेम्बरों को जान बूझ कर क्यों लिया गया जो कुछ करना नहीं चाहते थे ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय :** सरकार जान बूझ कर तो ऐसा कार्य नहीं करती।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री :** अब जो भवन बनाया जावेगा उसका क्या फिर से शिलान्यास कराया जावेगा ?

# Page No.3



श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

### इस वर्ष भरतपुर जिले में खोले जाने वाले विद्यालय

१११. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Education be pleased to state :

How many schools does the Government intend to open this year in Bayana, Rupbas, Baseri and Bharatpur tehsils of Bharatpur District ?

उप-शिक्षा मन्त्री ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : ( क ) तमाम राजस्थान में ६०० नई प्राइमरी स्कूलें खोलने का सरकार ने निश्चय किया है जो एक आधारित नियम के अनुसार खोली जायंगी। अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि यह कहाँ कहाँ खोली जायंगी। मिडिल तथा हाइयर सैकेन्डरी स्कूल खोलने का मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्रीमती सतवन्तकौर।

### तहसील सूरतगढ़ में पंजाबियों को भूमि से वंचित करना

११२. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) तहसील सूरतगढ़ से कितने पंजाबियों को अद्योचार्या कहकर भूमि से वंचित रखा जा रहा है ?

( ख ) क्या यह सच है कि वे इस क्षेत्र में कई कई सालों तक से बस रहे थे और उनका गुजारा उसी भूमि पर था ?

( ग ) क्या सरकार उनको भूमि दिलाने का प्रबन्ध करेगी।

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : ( क ) ६६ आदमियों को।

( ख ) जी नहीं। ये लोग काश्त के वक्त आते और काश्त करके वापिस अपने गांव को जहां उनकी मुस्तकिल रिहायश है चले जाते थे।

( ग ) राजस्थान भाखरा प्रोजेक्ट (भूमि आवटन) नियम, १९५५ के नियम १४ के अन्तर्गत ये लोग सरकारी जमीनें पाने के अधिकारी नहीं हैं।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार ने इस भूमि को तय किया है कि बाकी भूमि कितनी है ?

श्री सम्पतराम : इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

### कृष्ण छात्रावास सीकर में हरिजन विद्यार्थी

११३ श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर में गत वर्ष कितने विद्यार्थी रहे ? वे किस किस जाति के थे ? उनमें भंगी जाति के कितने छात्र थे तथा वे कितने दिन छात्रावास में रहे ?

( ख ) क्या यह सत्य है कि इस छात्रावास में एक जाति विशेष के छात्रों को ही

( श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री )

रक्खा जाता है, दूसरों को हर तरह परेशान करके निकलने को विवश कर दिया जाता है ?

( ग ) यदि हाँ तो सरकार ने इस बाबत क्या एक्शन लिया ?

**समाज कल्याण मन्त्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : ( क ) गत वर्ष १९५६-५७ में श्री कृष्ण छात्रावास में अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या ३४ थी। जातिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। एक महतर छात्र सन् १९५३ से दिनांक २४-८-५६ तक छात्रावास में रहा।

( ख ) जी नहीं।

( ग ) प्रश्न ही नहीं उठता।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिए )

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या यह सही है कि उस छात्र को केवल २ महीने रखकर और बाद में जबर्दस्ती वहां से निकाल दिया गया ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : सुनाई नहीं पड़ता आपका सवाल।

**श्री अध्यक्ष** : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सही है कि वह छात्र केवल २ महीने वहां रह सका और बाद में जबर्दस्ती वहां से निकाल दिया गया।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : नहीं, ऐसा नहीं है। वह १९५३ से २४।८।५६ तक छात्रावास में रहा। ढाई साल तक बराबर रहा।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या यह सही है कि एक जाति विशेष के ही छात्र उसमें भरती किये जाते हैं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : मैंने उत्तर दिया न कि यह सही नहीं है। जो सूची साथ में दी गई है उसमें सभी जातियों के छात्रों की विगत है।

**श्री भैरोंसिंह ( १४ )** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि भंगी छात्र २४।८।५६ को सेशन के बीच में ही क्यों चला गया ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : सरकार के पास इसकी कोई इत्तला नहीं कि क्यों बीच में चला गया ? वह एकाएक अपना बिस्तर लेकर उस दिन चला गया।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या यह सही है कि उसने भूख हड़ताल भी की थी अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिये, पर अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इसकी कोई सूचना सरकारी विभाग में नहीं है।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या यह सही है कि इस मामले में डाइरेक्टर बैकवर्ड क्लासेज़ को सब बात का पता था और उसने इस मामले में गोलमाल किया है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : आपका सवाल सुनाई नहीं देता।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर बैकवर्ड क्लासेज के यहां से एक इन्सपेक्टर वहां तशरीफ ले गये थे इस मामले की जांच करने के लिये और मामला सही होने के उपरान्त भी इसको टालमटूल किया। सारे मामले को दबा दिया।

# Page No.5



**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : जांच की गई थी। एक दूसरी शिकायत की और वह गलत साबित हुई।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : भूख हड़ताल की, यह सत्य है या नहीं।

( कोई उत्तर नहीं दिया गया )

**श्री धर्मपाल** : क्या सरकार को इस बात का ध्यान है कि महतरों के लड़के इतने कम क्यों लिये जाते हैं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : आते न होंगे क्योंकि आते हैं उनको तो मना नहीं किया जा सकता।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : महतरों को छात्रावास में भरती किया जायेगा या नहीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : क्यों नहीं किया जावेगा, जरूर किया जावेगा कोई अगर आवेगा तो।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : अगर नहीं लिया जावेगा तो क्या सरकार उन छात्रावासों को एड देती है वह बन्द कर दी जावेगी ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : सरकार जरूर उचित कार्यवाही करेगी अगर भरती नहीं किया जावेगा तो।

**श्री भैरोंसिंह ( १४ )** : क्या सरकार ने भूख हड़ताल के सम्बन्ध में कोई जांच की कि उसका क्या कारण था ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : जी हां। और वे कारण भी गलत थे जिनको लेकर भूख हड़ताल की गई थी। छात्रावास के विद्यार्थियों के बहकावे में आकर वह कदम उठाया गया था।

**श्री भैरोंसिंह ( १४ )** : आरोप किस प्रकार के थे ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : यह तो आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये, तो मैं इसकी जानकारी करा दूंगा।

प्रश्न संख्या ११४ व ११५

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुक्तिलाल मोदी।

( प्रश्नकर्ता अनुपस्थित )

**श्री श्रीभानसिंह** : क्वेश्चन नं० ११४।

**श्री अध्यक्ष** : The Hon'ble Member is not here.

**श्री श्रीभानसिंह** : On a point order, Sir, I was just looking into these rules and there is rule which debars the asking of a question by any other member.

**श्री अध्यक्ष** : If any Hon'ble Member wants his question to be answered, he should take the trouble of at least being present in the House.

( विराम )

Next, Sir Gokul chand Jatav.

**गतवर्ष अलवर जिले को छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धनराशि**

११६. **श्री गोकुलचंद जाटव** (लक्ष्मण-

( श्री गोकुलचन्द )

गढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( क ) सन् १६५६-५७ के लिये अलवर जिले को छात्रवृत्ति निमित्त कितनी रकम दी गई ?

( ख ) क्या यह सच है कि स्वीकृत रकम में से कुछ रकम लैप्स हो गई ? यदि हाँ, तो कितनी और क्यों ?

**समाज कल्याण मन्त्री** ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) : ( क ) ४७,६४० रु० दिये गये।

( ख ) लैप्स होने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

( विराम )

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय ।

## हिन्दी के विकास व प्रसार हेतु शासकीय योजनायें

११७ **श्री दयाकृष्ण विजय** ( छाबड़ा ) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

( क ) सरकार ने राजस्थान में हिन्दी के विकास एवं प्रसार हेतु अब तक क्या २ योजनायें बनाई हैं ?

( ख ) सरकार द्वारा स्थापित "हिन्दी परिषद्" की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

( ग क्या सरकार ने अभी तक किसी हिन्दी सेवी संस्था को आर्थिक सहयोग प्रदान किया है ? यदि हां, तो किसे व किन २ वर्षों में ?

**उप शिक्षा मन्त्री** ( श्री पूनमचन्द ) : ( क ) १. ७ विभिन्न सरकारी विभागों में हिन्दी में कार्य करने के आदेश ता० ५. ११. ५३ को हो चुका है ।

२. ११ विभिन्न सरकारी विभागों में हिन्दी में अब और कार्य कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

३. ६७८ हिन्दी मुद्रण-यंत्र विभिन्न सरकारी विभागों के लिये खरीदे जा चुके हैं ।

४. समस्त जनता से पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने की आज्ञा ता० १. १२. ५४ को प्रचलित की जा चुकी है ।

५. समस्त राजपत्र अधिकारियों की नियुक्ति और अवकाश एवं स्थानान्तर सम्बन्धी आज्ञायें हिन्दी में प्रचलित किये जाने की आज्ञा ता० ५. २. ५५ को की जा चुकी है ।

६. समस्त राज्य कार्यालयों में नाम पट्ट हिन्दी में परिवर्तित करने की आज्ञा दिनांक २०. ३. ५५ को हो चुकी है ।

७. ५ प्रशिक्षण केन्द्रों की ७ कक्षाओं में ४.० से अधिक सरकारी कर्मचारी हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन का प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

( ख ) ७ बैठकें हुई हैं ।

( ग ) जी हां ।

**वर्ष ५५-५६ में**

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी को ५००० रु० हिन्दी साहित्य का वृहत्त इतिहास बनाने हेतु दिया गया ।

**वर्ष ५६-५७**

१. संस्कृत विश्व परिषद, बम्बई को

( श्री पूनमचन्द )

५००० रु० संस्कृत भाषा के विकास के लिये दिया गया।

२. नागरी प्रचारणी सभा, काशी को ५००० रु० हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास बनाने के लिये दिया गया।

३. नागरी प्रचारिणी सभा काशी को ५००० रु० हिन्दी विश्व-कोष बनाने के लिये दिये गये।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या राजस्थान की किसी ऐसी संस्था को भी इस प्रकार का अनुदान दिया गया है?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई**: मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि शायद नहीं दिया गया।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या इस बात की खोज की गई थी कि राजस्थान में इस प्रकार की संस्था है जो यहां हिन्दी के विकास का कार्य कर सकती है?

**श्री पूनमचन्द** : हिन्दी के विकास का कार्य करने के लिए अगर कोई संस्था हो तो क्या छिपी रह जाय? उनकी ओर से प्रार्थना पत्र या मांग आती लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : सरकार की तरफ से खोज हुई क्या?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री ) : उसके अलावा ग्रान्ट इन एड के रूप में दिया जाता है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : इसका उल्लेख इसमें नहीं किया था।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह भिन्न प्रकार का प्रश्न था।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : यह कहा गया कि हिन्दी में कार्य करने के लिए आज्ञा विचाराधीन है, तो यह विचार कब तक पूर्ण हो जायगा?

( विराम )

आपने बताया कि ११ कार्यालयों के लिए अभी विचाराधीन है तो यह कब तक पूर्ण हो जायगा?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : शीघ्र ही हो जायगा।

**एक माननीय सदस्य** : कब तक हो जायगा?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अलग अलग पहले डिपार्टमेंट्स में यह कार्य शुरू किया गया, उसको पूरी तरह ठीक कर लेने के बाद अन्य कार्यालयों में भी यह कार्य शुरू कराया जायगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या यह सत्य है कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट में हिन्दी में कार्य करने की आज्ञा होने पर भी अंग्रेजी में कार्य होता है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आयी हैं इसलिए टाइप राइटर्स का इन्तजाम किया है ताकि यह ठीक किया जा सके।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुगनचन्द।

## चित्तौड़ जिले में सन् ५५ से ५७ तक रोली व वर्षा से क्षति

**११८. श्री सुगनचन्द ( बैगूं )** : क्या

# Page No.8



( श्री सुगनचन्द )

राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( क ) चित्तौड़ जिलेमें सन् ५५.५६.५७ में किस २ तहसील में वर्षा से तथा रोली से दोनों फसलों को नुक्सान पहुंचा है ?

( ख ) क्या जिस तहसील में नुक्सान हुआ है वहां लगान की छूट दिलाने की कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किस किस तहसील में कितनी २ छूट दिलाने की ?

( ग ) क्या उपरोक्त तहसीलों में राहत का काम चालू कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक काम चालू कराया जावेगा ?

**उप राजस्वमंत्री** ( श्री सम्पतराम ) : ( क ) जिन जिन तहसीलों में नुक्सान हुआ है उसकी एक सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

( ख ) जी हां, तहसील भैंसरोड़गढ़ में १५१२) रुपये २ आने और तहसील प्रतापगढ़ में २०४३) रुपया ६ आना की लगान वसूली रबी सन् ५७ में स्थगित करने की आज्ञा दे दी गई है ।

( ग ) तहसील भैंसरोड़गढ़ में एकलिंग-पुरा के घाटे के टेस्ट रिलीफ वर्क्स चालू करने के लिये ३०००) की स्वीकृति दी गई है ।

**श्री सुगनचन्द** : मुझे सूची नहीं मिली है ।

**श्री अध्यक्ष** : पढ़ दीजिये आप, अगर लम्बी सूची न हो तो ।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ दूं क्या इसको ?

**श्री अध्यक्ष** : हां ।

---

**श्री सम्पतराम**— जिला चित्तौड़गढ़

| सबडिवीजन | तहसील | हानि की सूचना |
|---|---|---|
| चित्तौड़ | चित्तौड़गढ़ | रबी सन् १९५५ में कोई नुकसान नहीं हुआ । खरीफ सन् ५६ में २९०७६ एकड़ काश्त, अतिवृष्टि से नाबूद । १४२७५ एकड़ । सन् ५७ की रबी में २७०२८ एकड़ उसमें सिली व ओले से कोई नुकसान नहीं हुआ । |
| | गेगरा | रबी सन् ५५ में कोई नुकसान नहीं । खरीफ सन् ५६ में २३८७० एकड़ काश्त अतिवृष्टि से १०१०६ एकड़ नाबूद । इसमें सन् ५७ की रबी में २३७७६ एकड़ में काश्त हुई उसमें से ५५० एकड़ खराबा वजह सिली । |

( श्री सम्पतराम )

| | | |
|---|---|---|
| कपासन | कपासन | सन् ५५।५६ में वर्षा से कोई नुकसान नहीं । सन् ५७ में सिर्फ इस तहसील में ६ आना । अधिक नुकसान न होने से लगान में छूट की कार्यवाही नहीं की गई । काम भी चालू नहीं हुए । राश्मी सन् १९५५।५६ में वारिश से फसल में कोई नुकसान नहीं सन् ५७ में सिर्फ इस तहसील में १० आना । |
| वेगू | वेगू | सन् ५५ में अधिक वर्षा से कोई नुकसान नहीं । सन् ५६ में अधिक वर्षा से १३८०६ एकड नुकसान व रवी में ओले से १३६०।।) बीघा में नुकसान । सन् ५७ की रवी में १३७२।) ४ बीघा में ओले से नुकसान । |
| | भैंसरोड़गढ़ | सन् ५५ में कोई हानि नहीं । सन् ५६ की खरीफ में अधिक वर्षा से ७४५६ एकड़ में नुकसान हुआ । सन् ५७ की रवी में ओले गिरने से ४६५७।) बीघे में नुकसान हुआ । |
| प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | सन् ५५ में अधिक वर्षा से ६ आना नुकसान हुआ । सन् ५६ में सामान्य स्थिति रही । रवी सन् ५७ में २५१५ बीघे में ओले गिरने से नुकसान हुआ । |
| निम्बाहेड़ा | निम्बाहेड़ा | सन् ५५ में वारिश व ओले से कोई नुकसान नहीं । सन् ५६ में रुपये में ६ आना नुकसान हुआ । सन् ५७ में कोई नुकसान नहीं । |
| | भदेसर | सन् ५५ में कोई नुकसान नहीं । सन् ५६ में रुपये में ६ आने का नुकसान । सन् ५७ में अधिक वर्षा नहीं हुई । |
| | कनेर | सन् ५५, ५६, ५७ में ज्यादा वर्षा नहीं हुई । खरीफमें रुपये में ६ आने का नुकसान हुआ । |

# Page No.10



( श्री सम्पतराम )

बाकी तहसीलों में कोई नुक्सान, नहीं हुआ।

**श्री सुगनचन्द** : भैंसरोड़गढ़ तहसील में ३ हजार रुपये राहत कार्य के लिए दिये गये तो क्या उन लोगों को इनसे राहत मिल जायगी ?

**श्री सम्पतराम** : कलेक्टर को लिखा गया है कि इस प्रकार की राहत देने की और आवश्यकता हो तो जांच करके राहत दी जाय।

**एक माननीय सदस्य** : कितना नुक्सान हुआ ?

**श्री सम्पतराम** : जैसी वहां की हालत है, डेमेज कितना हुआ, कितना नुक्सान हुआ, इन सब बातों की देखभाल करके रिलीफ कार्य कराये जाते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## राजस्थान दलित संघ का वाहन द्वारा प्रचार कार्य

११९. **श्री जयचन्द्र मोहिल** ( कपासिन ) : क्या दलित वर्ग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि सरकार की ओर से राजस्थान दलितवर्ग संघ को एक पब्लिसिटी वाहन दी हुई है ? यदि हां, तो उसके द्वारा किस किस डिस्ट्रिक्ट एवं तहसील में प्रचार करवाया गया ?

**दलित वर्ग मंत्री** ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) : राज्य सरकार की ओर से राजस्थान दलित वर्ग संघ को कोई पब्लिसिटी वान नहीं दी गई।

**श्री धर्मपाल** : यदि कोई ऐसी तजवीज हो तो माननीय प्रश्नकर्ता महोदय की तहसील में प्रचार की व्यवस्था की जायगी ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : अभी कोई नहीं है।

**श्री जयचन्द्र मोहिल** : तो किसकी ओर से दी गई।

**श्री अध्यक्ष** : कम से कम सरकार की ओर से नही दी गई जिसके लिये उन्होंने कह दिया है।

## धौलपुर सब-डिवीजन में सीमेन्ट हेतु पत्थर की खोज

१२०. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या धौलपुर सब-डिवीजन में सीमेन्ट निर्माण के लिए उपयोगी पत्थर उपलब्ध करने के संबंध में कोई खोज की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(क) नहीं।

(ख) धौलपुर सब-डिवीजन में वर्तमान चालू खाने बलुआ पत्थर की हैं और सीमेन्ट बनाने के लिए चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है। माइन्स एन्ड जियोलोजी विभाग द्वारा उन स्थानों पर जिसकी खोज की जा रही है जहां चूने के पत्थर की खानें मिलने की सम्भावना है। गतवर्ष भूगर्भ विभाग की खोज चितौड़गढ़, रामगंज, नीम का थाना, गोठन,

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

सोजत और मूँडवा में इसकी खोज हुई। इस वर्ष भी रामगंज तथा नीम का थाना में ड्रिलिंग-मशीनों द्वारा इसकी खोज की जा रही है।

**तहसील कोटपुतली में गत तीन वर्षों में लगान की छूट**

१२१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील कोटपुतली में नम्बरदारों को गत तीन वर्षों से लगान में छूट नहीं मिल रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और भविष्य में इसकी व्यवस्था कब तक हो जाने की आशा है ?

उप-राजस्व मन्त्री ( श्री सम्पतराम ) :

(क) जी हाँ।

(ख) हाई कोर्ट द्वारा पटवार फंड की वसूली अवैधानिक करार होने के कारण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

**श्री सम्पतराम** : जब से हाईकोर्ट का फैसला हुआ।

**श्री भैरोंसिंह** : कौनसी तारीख को फैसला हुआ ?

**श्री सम्पतराम** : सितम्बर, १६५४ में।

**श्री भैरोंसिंह**: सितम्बर, १६५४ में जब फैसला हुआ तो अब तक विचाराधीन रहने का क्या कारण है ? अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

**श्री सम्पतराम** : उसके बाद सारे राजस्थान की स्थिति को एग्ज़ामिन किया गया, पूरे डिटेल में देखा गया। सवाल यह था कि इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाय या नहीं। इस दृष्टि से लॉ डिपार्टमेंट ने एग्ज़ामिन किया, फिर जो लैंड रेवेन्यू एक्ट बना उसके तहत रूल्स बन रहे हैं उनके अनुसार सारे राजस्थान में व्यवस्था की जायगी।

**श्री भैरोंसिंह** : विचाराधीन क्या है ? सुप्रीम कोर्ट में ले जाना या रकम किस तरह दी जाय ?

**श्री सम्पतराम** : लैंड रेवेन्यु एक्ट की तहत रूल्स बन रहे हैं। उनकी तहत क्या रखा जायगा उनके अनुसार सब तय हो जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार पिछली रकम जो बाकी रही है वह नहीं दी जायगी ?

**श्री सम्पतराम** : यह भी विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह** : यह कब से विचाराधीन है ?

**श्री सम्पतराम** : जब से पेमेंट नहीं हुआ तब से।

**श्री भैरोंसिंह** : लैंड रेवेन्यू एक्ट की मातहत पटेल वगैरह काम कर रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**श्री सम्पतराम** : जब रूल्स कम्पलीट नहीं हुए हैं तो दिये जाने का सवाल नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : पिछली बार फैसला हुआ था कि उनको रकम दी जाय तो अब उनको क्यों नहीं दी जा रही है ?

# Page No.12



**श्री सम्पतराम** : ऐसे फैसले की जानकारी नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या इस हुक्म के अन्तर्गत कई लोगों के बिल सरकार की मंजूरी के लिये आये हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नम्बरदारों के लिये नियम का सवाल है। पटेलाई का हक जो उन्हें नहीं मिला है उसके लिये, जैसा कि आपको बता दिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर युनिट के लिए यह फैसला किया कि मलबा वसूल किया जाता है वह जायज़ नही है इसलिए वसूली बंद की गई और जो मलबा फंड में से पटेलों को दिया जाता था वह भी बन्द किया गया। अब लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत नियम बन रहे हैं। उनमें सारे राजस्थान में जो आधार रहेगा उसी के अनुसार यहां भी पटेलों को दिया जायगा। जिन्होंने पहले काम किया है उनको भी नियमों के आधार पर दिया जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : यह कैसे वसूल करके देंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जैसा नियम में होगा वैसा ही किया जायगा।

**प्राइवेट कम्पनियों में शासकीय पूंजी व उससे लाभ**

१२२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : क्या वित मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार की कितनी पूंजी किन किन प्राइवेट कम्पनियों में लगी हुई है तथा उनमें कितनी कम्पनियाँ मुनाफा दिखा रही हैं?

(२) हानि दिखाने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

(३) क्या हानि दर्शाने वाली कम्पनियों को सरकार अपने नियन्त्रण में लेने का विचार रखती है ?

(४) ऐसी डूबनेवाली कुल कितनी पूंजी है वह किन किन कम्पनियों में है ? कृपया नाम बतावें।

**वित्त मंत्री** : (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): मुझे अफसोस है कि इस प्रश्न का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह** (१४) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना आ गई या नहीं; इसकी सूचना मैं समझता हूं, प्रश्न पूछा जाने से पहले देनी चाहिये थी कि इसका उत्तर नहीं आया है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सदन में अच्छी नहीं होगी।

**श्री अध्यक्ष** : इसका उत्तर कब तक देंगे ?

**श्री भैरोंसिंह** : उत्तर देने की तकलीफ करेंगे तो उत्तर बजट में तैयार है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दूंगा।

(यह प्रश्नोत्तर आगे लिये गये हैं)

**श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Mr. Speaker, this question directly relates to the Budget, and the Hon'ble Minister has already placed the Budget before the House. This is expected from him to know the details. On what ground he says that the reply is not there ?

(श्री श्रीमानसिंह)

There must be some rational reason behind not giving the reply. He has introduced the Budget. The figures of investments in industries and every thing are there in the Budget.

श्री अध्यक्ष : If all the figures are available in the Budget then there is no need of putting the question.

श्री श्रीमानसिंह : But the question has already been put before the Budget was introduced.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): I think there are no Profit & Loss accounts in the Budget.

श्री श्रीमानसिंह : There are figures of liquidation and other accounts regarding companies. If there are no profit and loss account in the Budget, then the Budget is incomplete. What is the use of putting incomplete Budget before the House ?

श्री अध्यक्ष : I think the necessary reply is forth-coming now next time.

## तहसील सलूम्बर की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक

१२३. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) प्राथमिक पाठशाला के एक अध्यापक के पास अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी होने चाहिये ?

(ख) सलूम्बर तहसील के सेरीया, उथरदा व गिंगला ग्राम में किस किस कक्षा में कितने कितने विद्यार्थी हैं ?

(ग) उक्त ग्रामों में अध्यापकों की संख्या कितनी कितनी है ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिसनोई ) : (क) लगभग ४० होने चाहिये ।

(ख) तीनों गांवों में मिलाकर १६४ विद्यार्थी हैं । क्लास वार संख्या इस प्रकार है :—

प्राइमरी स्कूल सेरिया में कक्षा (१) में ३३, (२) में १०, कक्षा तीसरी में १२, कक्षा ४ थी में ८ और कक्षा ५ वीं में ४.

प्राइमरी स्कूल उथरदा में कक्षा पहली में २०, दूसरी में १५, तीसरी में १२, चौथी में १३ और कक्षा पांचवीं में ५.

गांव गिंगला में पहली में १८, दूसरी में १३, तीसरी में ११, चौथी में १० और कक्षा ५ में १०.

(ग) अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है सेरिया में २, उथरदा में १ और गिंगला में २.

श्री सोहनलाल भटनागर : जिनमें २ अध्यापक बताये वहां दो फिक्स्ड हैं या अभी काम कर रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिशनोई : काम कर रहे हैं ।

## उदयपुर जिले में अकाल ग्रसित घोषित क्षेत्र

१२४. **श्री लक्ष्मण हीरात** ( गोगुन्डा ) : क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले की कौन कौन सी तहसीलों में कितने कितने गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं और उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि गोगून्डा तथा कोटड़ा तहसील के कई गांवों में दोनों फसलें बिल्कुल नहीं हुई हैं ? यदि हाँ, तो सरकार की ओर से उन गांवों को राहत पहुँचाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(ग) क्या सरकार सस्ते अनाज की दुकानें खोल कर उन्हें राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**अकाल सहायता उप मन्त्री** (श्री संपत राम) : तहसील गोगून्डा में ६८
कोटड़ा में ११८
खरवाड़ा में २१
सराड़ा में ५३ ग्राम
अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। इन गांवों में सहायता कार्यों के लिये १,६५,००० रु० एवं ग्रेचुटस रिलीफ के लिये ३००० रु. और अन्य कारीगरों आदि के लिये ५०० रु० स्वीकृत हुये।

(ख) गोगून्डा तथा कोटड़ा तहसीलों के कई गांवों में दोनों फसलों को नुकसान हुआ है। तहसील कोटड़ा में १२,५०० रु० और तहसील गोगून्डा में २०,००० रु० सहायता के कार्यों के लिये स्वीकृत हुये हैं। लगान के स्थगन की आज्ञा दी जा चुकी है।

(ग) यदि आवश्यकता हुई तो कार्यवाही की जायगी।

**श्री लक्ष्मण हीरात** : क्या यह सही है कि वहां के कई लोगों को अन्न के अभाव में दिन में एक टाइम खाना मिलता है ?

**श्री संपतराम** : यदि जानबूझ कर नहीं खाते हैं तो पता नहीं, वरना अनाज की कमी नहीं है।

**श्री लक्ष्मण हीरात** : जो रकम स्वीकृत हुई है वह कम है, उसके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

**श्री संपतराम** : यदि आवश्यकता हुई तो और दे दी जायगी।

**श्री लक्ष्मण हीरात** : क्या मन्त्री जी यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी हालत ठीक न होते हुए भी यह जवाब दिया जा रहा है, जो अच्छा नहीं है ?

**श्री संपतराम** : उनकी हालत ठीक न होगी, लेकिन जवाब ठीक है।

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १२२ का जवाब प्राप्त हो गया है। आज्ञा हो तो देदूं।

**श्री अध्यक्ष** : इन प्रश्नों के बाद में।

## प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग हेतु नियत राशि

१२५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** ( उनि-

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

यारा): क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोटेज इन्डस्ट्री हेतु किस कदर धन-राशि स्वीकृत की गई थी ?

(ख) क्या डिस्ट्रिक्ट टोंक में भी इसमें से धन राशि दी गई ?

(ग) अगर हाँ, तो किन किन को किस कदर धन दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी और कहां कहां के लिए धन राशि स्वीकृत की गई ?

**मुख्य एवं उद्योग मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को उन्नत करने के लिए ३८.५ लाख धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) हाँ।

(ग) टोंक डिस्ट्रिक्ट में ऊन व भेड़ उद्योग की तरक्की के लिए दो केन्द्र खोले गये : (१) मालपुरा, (२) निवाई। इन दोनों केन्द्रों पर पंचवर्षीय योजना में २६,६२७ रुपये खर्च हुए।

जयपुर डिवीजन में विविंग एन्ड डाइंग डिमोन्सट्रेशन पार्टी, जिसमें टोंक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६०, २३६ रु० खर्च हुए।

इसके अलावा टोरडी सागर के ताड़गुड़ शिक्षण व केन्द्र पर ७०० रुपया सालाना खर्चा हुआ।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५, ६४,२५,००० रुपये की धनराशि उद्योगों के लिए स्वीकृति की गई जिसका ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

## पूर्व धौलपुर राज्य के बेड़ा पंडितान में काम करने वालों का भविष्य

१२६. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने भूतपूर्व धौलपुर राज्य के बेड़ा पंडितान में काम करने वालों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं और भविष्य में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा की जावे ?

**उप राजस्व मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : (क) जिन व्यक्तियों को १० रु० मासिक या इससे कम वेतन मिलता था उनको पेन्शन के सीगे से यह अलाउन्स दिया जावे। जिनको १० रु० मासिक से अधिक मिलता था उनको पुश्तैनी आसामी होने की दशा में पूरा अलाउन्स जीवन-पर्यन्त हैड पेन्शन से दिया जावे। पुश्तैनी न होने की दशा में तीस वर्ष लगातार सर्विस या पेमेन्ट का समय होने पर पूरा एलाउन्स जीवन पर्यन्त तथा तीस वर्ष से कम सर्विस या पेमेन्ट का समय होने की दशा में आधा अलाउन्स जीवन-पर्यन्त बतौर पेन्शन दिये जाने का निर्णय हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री बहादुरसिंह** : क्या कोई तारीख निश्चित की है ? अभी तक वह मिला नहीं है।

# Page No.16



**श्री सम्पतराम** : यह बात ठीक है, अभी तक मिला नहीं है। उस सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट से फैसला हो चुका है। अलाउन्स की डिटेल्स के लिये एकाउन्टेंट जनरल को लिख दिया गया है। वहां से पेन्शन के ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर उन लोगों के पास भेज दिये जायेंगे और वे ट्रेज़री से अपना अमाउन्ट लेते रहेंगे।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाडमेर जिले में किया जाने वाला कार्य

१२७. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या योजना व विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बाडमेर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किये गये और क्या २ कार्य किये जाने का सरकारी निश्चय हो चुका है ?

**योजना व विकास मन्त्री** (श्री मोहन लाल सुखाडिया) : बाडमेर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गए कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भविष्य में किये जाने वाले कार्यों का कार्य क्रम प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है अतः यह अभी बताना कठिन है।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

**श्री तनसिंह** : माननीय अध्यक्ष, जो सूची सदन की मेज पर रखने के लिये बताया है आम तौर पर यह शिकायत रहती है कि वे सूचियां नहीं पहुँचतीं। लेकिन फिर भी हम इतने उदार हो सकते हैं कि सूची बाद में मिल जायगी। लेकिन देखा यह जाता है कि पहले के प्रश्नों की सूचियां जो टेबल आफ दी हाउस पर रखनी हैं, वे नहीं पहुँचतीं। अगर वे पहुँचती हैं तो उनके अन्दर वही सूचना दी जाती है या आधी सूचना दी जाती है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित व्यवस्था दें ताकि हमेशा की गड़बड़ी बन्द हो जाय।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं इस बात का प्रयत्न करता हूँ कि माननीय सदस्य को उसकी प्रति जल्दी पहुंचे। यदि नहीं पहुँचती है तो उसका मुझे अफसोस है।

### रूपबास, बयाना व भरतपुर तहसीलों से फसलों को क्षति

१२८ **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(a) Has the Government received a report about the damage done to wheat and gram crops etc. by hail storm and rust in Rupbas, Bayana and Bharatpur Tehsils of Bharatpur District ?

(b) If so, what relief measures do the Grvernment propose to take or has taken by way of suspension, or remission of revenue or its collection at reduced rate and in regerd to the seed borrowed by cultivators from the Agriculture Department in the above-mentioned tehsils ?

**उप मन्त्री राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) टिनेन्सी एक्ट के नियमों के मुताबिक रिलीफ खतौनी तैयार कराई जा रही है, जिस पर नियमानुसार विचार करके क्षतिग्रस्त

Page No.17



( श्री सम्पतराम )

रकबे की जमा माल की छूट थाम का निर्णय किया जावेगा। जो बीज कृषकों ने कृषि विभाग से बाड़ी सिस्टम पर लिया है, उसकी वसूली का निर्णय कृषि विभाग द्वारा होगा। अलबत्ता जो बीज गेहूं क्षति ग्रस्त क्षेत्र में तकावी के रूप में दिया है, इस बीज की कीमत की वसूली इस फसल में स्थगित करने के लिए विचार किया जावेगा।

## बाडमेर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया जाने वाला कार्य

१२६ **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या विकास व योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बाडमेर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस किस कार्य के लिए कहां कहां कितना रुपया खर्च किया गया ?

**विकास, योजना एवं मुख्य मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : बाड़मेर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य और उन पर जो व्यय किया गया है वे निम्न प्रकार हैः—

**१. कृषि :**

| | |
|---|---|
| ट्रेक्टर खरीदे गये | १३,२४० |

**२. वन :**

| | |
|---|---|
| हवाई जहाज द्वारा बीजारोपण | २०,८८० |

**३. राष्ट्रीय विस्तार :**

| | |
|---|---|
| सिवाना में विस्तार सेवा खण्ड खोला गया | २,३१,५६० |
| ब्लॉक हैड क्वार्टर | ४६,५७० |
| कृषि | ८,८३० |
| सिंचाई | ५३,००० |
| स्वास्थ्य | ६१,२२७ |
| शिक्षा | ६,२७५ |
| सामाजिक शिक्षा | १२,६०४ |
| आवागमन | ७,०४४ |

**४. उद्योग**

| | |
|---|---|
| हाथ कर्घा प्रोत्साहन हेतु कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऋण | १०,६१३ |
| कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण | १६,००० |

**५. सड़कें**

| | |
|---|---|
| १. सेडवा से बाडमेर तक ग्रेवल्ड रोड | १,००,००० |
| २. बाडमेर से गडरा तक ग्रेवल्ड रोड | १,५६,००० |
| ३. बाडमेर से चिंतलवाना तक ग्रेवल्ड रोड | १,४४,००० |
| ४. सेडवा से साचोर तक ग्रेवल्ड रोड | २,५६,००० |
| ५. बाडमेर से चोहटन तक ग्रेवल्ड रोड | ११,६७५ |
| ६. कल्याणपुरी से समदड़ी तक ग्रेवल्ड रोड | ३७,००० |
| ७. बालोतरा से खेड मन्दिर तक ग्रेवल्ड रोड | २,५०,००० |
| ८. बाडमेर से छोटा ,, | २०,००० |

**६. शिक्षा**

| | |
|---|---|
| १. प्राइमरी स्कूल खोलने में | १,५७,४६१ |
| २. मिडिल स्कूल खोलने में | १,०५,२८० |
| ३. हाई स्कूल खोलने में | ७४,६४५ |
| ४. सामाजिक शिक्षा पर | १६,५०० |
| ५. मौजूदा स्कूलों के विस्तार पर | ४६,४७५ |
| ६. उपरोक्त स्कूलों में सामान आदि पर | ७५,८५० |

**७. स्वास्थ्य**

| | |
|---|---|
| जल–वितरण योजना | ६५,५५२ |

# Page No.18



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

८. स्थानीय विकास कार्य ।९६।

३,३५,०५० रु० १४ आना ३ पा०

**श्री तनसिंह** : क्या ये आंकड़े खर्च के दिये गये हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जो प्रश्न पूछा गया है कि कितना कितना खर्च किया गया, उसके अनुसार जवाब दिया गया है।

**श्री तनसिंह** : प्रश्न यह पूछा गया कि किस किस कार्य के लिए कहां कहां कितना रुपया खर्च किया गया। शायद वह जवाब लम्बा हो गया होगा, इसलिए यह जवाब दिया गया है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सड़कों पर कहां कहां कितना खर्च किया गया है, बीज कितना वितरित किया गया, वन पर कितना खर्चा किया गया, इसका अलग अलग स्थानों के अनुसार जवाब दिया जाय तो वह बहुत मुश्किल हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारा ख्याल था कि खास खास आंकड़े हैं, वे उनकी जानकारी चाहते हैं।

**अरडांद ( जिला कोटा ) में श्री रामचन्द्रजी के मन्दिर की माफी भूमियां**

१३१. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छाबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

( क ) राजस्थान के देवस्थानों की सहायतार्थ जो जमीनों की माफियां थीं, उन्हें जब्त करने के बाद सरकार ने राजस्थान के देवस्थानों की सहायता के लिए क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

( २ ) अरडांद जिला कोटा में जो श्री रामचन्द्रजी का एक सुविख्यात प्राचीन मन्दिर है, उसकी सरकार किस प्रकार सहायता कर रही है ?

( ३ ) माफी जब्त करने के बाद दिनांक १४-१-५५ से पूर्व उक्त मंदिर की किन किन वर्षों में कितनी कितनी सहायता किस किस कार्य के लिए दी गई है और दिनांक १४-१-५५ के पश्चात् किस किस कार्य के लिए कितनी ?

( ४ ) क्या उक्त मंदिर की कोई रकम सरकारी खजाने में अमानत सीगे जमा है ? यदि हां, तो कितनी ?

**उपराजस्व मन्त्री** ( श्री सम्पतराम ) : ( १ ) मन्दिर की मुआफी की जो जमीनें खालसा की जाती हैं उनकी एवज में उस जमीन की वार्षिक आय के अनुसार वार्षिक नकद रकम सहायता के रूप में स्वीकार की जाती है।

( २ ) कोटा राज्य के समय से ही इस मन्दिर को कोई नकद सहायता नहीं दी जाती।

( ३ ) दिनांक २०-८-५० से इस मंदिर का प्रबंध देखने हेतु १० मोतबिरान की एक कमेटी बनाई गई। मन्दिर के नीचे की जमीन नीलाम करके रकम तहसील के खजाने में अमानत सीगे जमा की गई और उस रकम में से ३० रु. माहवार पर सेवा पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त किया गया।

( ४ ) जी हां। डिपोजिट रकम के २,६०३ रुपये १० आने और मंदिर की

# Page No.19



( श्री सम्पतराम )

आराजी के रुपये ६२७ : ४४ नये पैसे तहसील में जमा हैं।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या माननीय मन्त्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १४-१-५५ से पूर्व कितनी सहायता दी गई तथा सन् १६५० से १६५५ तक कितनी सहायता दी गई ?

**श्री सम्पतराम** : जहां तक देवस्थान विभाग से सहायता दिए जाने का प्रश्न है, कोई सहायता नहीं दी गई। जो रुपया जमीन नीलाम करने से आया, उसमें से सहायता दी गई।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि १६५५ से पूर्व जो मंदिर की आय है उसमें से कितना रुपया दिया गया देवस्थान के लिए ?

**श्री सम्पतराम** : देवस्थान डिपार्टमेंट से कोई सहायता नहीं दी गई।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : जो श्री रामचंदरजी का मंदिर है उसके लिए पूछ रहा हूँ ?

**श्री सम्पतराम** : मेरे पास पूरी डिटेल्स तो नहीं हैं लेकिन देवस्थान डिपार्टमेंट से कोई सहायता नहीं दी गई।

**श्री मदनसिंह (८७)** : ये डिटेल्स किसके पास मिलेंगी ?

**श्री सम्पतराम** : सवाल देवस्थान डिपार्टमेंट से पूछा गया है, इसका कण्ट्रोल रेवेन्यु डिपार्टमेंट से होता है। इसलिए डिटेल्स उपलब्ध नहीं हो पाई।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या माफी जब्त करने के पहले जो माफी से रकम आती थी, वह पूरी की पूरी सेवा पूजा के लिए लग जाती थी यानी पूरे वर्ष की आय मंदिर की सेवा पूजा में ही समाप्त हो जाया करती थी ?

**श्री सम्पतराम** : यह हो सकता है।

**श्री भैरोंसिंह (१४)** : क्या सरकार ने यह जांच करवाई है कि इस मन्दिर की आमदनी खर्च से कम है ?

**श्री सम्पतराम** : खर्च से कम नहीं है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या यह सही है कि ३० रुपये जो दिये जाते हैं वह मंदिर के पुजारी के लिये दिये जाते हैं। मन्दिर के अबेर सबेर के लिए, भोग के लिये कुछ नहीं दिया जाता ?

**श्री सम्पतराम** : दोनों के लिए सम्मिलित रूप में दिया जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** : अभी आपने बताया कि मन्दिर की आमदनी खर्च से कम नहीं है, यह आपने किस आधार पर बताया ?

**श्री सम्पतराम** : सूचना के आधार पर।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सूचना जांच के बाद में दी गई है ?

**श्री सम्पतराम** : सूचना जो दी है, वह सही है और सूचना जांच के बाद ही आती है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या यह सही है कि मन्दिर की अवस्था अत्यन्त जीर्ण है ?

**श्री सम्पतराम** : इसका कण्ट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, प्राइवेट आदमियों

( श्री सम्पतराम )

के हाथ में है और वे ही इसका मेनेजमेंट करते हैं। यह सूचना है कि इसकी हालत ठीक है। जहां तक देवता का प्रश्न है वे उतने ही शक्तिशाली हैं। यदि इमारत में कोई मरम्मत की खास आवश्यकता है तो आप इत्तला दें, तो उसकी व्यवस्था की जायगी।

**एक माननीय सदस्य** : नये मंदिर की अवस्था ठीक करने के लिये हरिजन प्रवेश की कार्यवाही की जायगी ?

( कोई उत्तर नहीं )

**झालावाड़ जिले में उच्च विद्यालय**

१३१. **श्री भैरवलाल** ( अकलेरा ) : क्या शिक्षा मन्त्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) झालावाड़ जिले में कितने हाई स्कूल किस किस स्थान पर हैं ?

(ब) क्या इस जिले में डिग्री कॉलेज भी है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और यदि नहीं, तो क्यों ?

(स) क्या झालावाड़ कॉलेज में छात्रों के लिए बोर्डिंग हाउस या होस्टल की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-शिक्षा मन्त्री** ( श्री पूनमचन्द ) : (अ) ५ हाई स्कूल, भवानीमन्डी, झालरापाटन, अकलेरा, खानपुर तथा झालावाड़ में हैं। एक इन्टर कॉलेज झालावाड़ में है जिसमें हाई स्कूल कक्षाएं भी चलती हैं।

(ब) जी नहीं। अन्य इन्टर कॉलेजों को डिग्री कॉलेज बनाने के साथ साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

(स) जी नहीं। राजस्थान में भवनों की कमी है इसलिये अगर जनता भवन का प्रबंध कर दे तो सरकार वहां पर होस्टल खोलने पर विचार कर सकती है।

**श्री भैरवलाल** : क्या झालावाड़ की जनता ने अपने एक इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज में बदलने के वास्ते प्रार्थना की है; यदि की है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री पूनमचन्द** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : यह कब तक जनता के ऊपर रहेगा कि वह भवन निर्माण करें तो सरकार स्कूल खोलें ?

**श्री पूनमचन्द** : जब तक पूर्ण उन्नति नहीं हो जायगी, ऐसा किया जायगा।

**श्री मदनसिंह** : अभी पूर्ण उन्नति नहीं हुई ?

**श्री पूनमचन्द** : पूरी उन्नति नहीं है।

**श्री मदनसिंह** : पूरी से क्या मतलब है ?

**श्री पूनमचन्द** : यह आसानी से समझ में आ सकता है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है।

**श्री भैरवलाल कालाबादल** : क्या सभी जगह लेते हैं ?

**श्री पूनमचन्द** ( उप मन्त्री ) : सभी जगह लेते हैं।

**श्री भैरवलाल** : क्या किसी भी स्थान पर सरकार द्वारा भवन बनाये गये हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : हां, कुछ जगह पर इस प्रकार की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। कुछ खास परिस्थितियां होती हैं तो ऐसा करते हैं वरना जनता पर ही पूरा का पूरा भार रहता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा !

**पिछड़ी जातियों हेतु ११ चिकित्सालय**

१३२. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों के लिये ११ चिकित्सालय खोले गये हैं ?

( ख ) यदि हां, तो वे कहां २ खोले गये हैं ?

**समाज-कल्याण-मन्त्री** (श्री हरिभाऊ उपाध्याय ) : ( क ) हां।

( ख ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिए )

**श्री मूलचन्द डागा** : किन किन तारीखों को ये अस्पताल खोले गये हैं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : तारीखों की जानकारी तो मुझे इस समय नहीं है, पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन चिकित्सालयों का प्रोविजन था।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : केवल पिछड़ी जातियों के लिये ही ये होस्पिटल्स खोले गये, और लोगों के लिए क्यों नहीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इन चिकित्सालयों के खोलने का आयोजन प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बनाया गया था। ये औषधालय अनुसूचित एरिया में उन्हीं जगह खोलने को थे जहाँ ये जातियां रहती हैं। अनुसूचित क्षेत्र उदयपुर, कोटा इन्हीं के लिए सुरक्षित थे, इसलिये वहां खोल दिये गये। और यह ऐसी जगह पर हैं जहां आवागमन के और चिकित्सा के साधन नहीं हैं।

**श्री तेजाराम** : क्या सार्वजनिक औषधालयों में उन्हें दवाइयां नहीं मिलतीं ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : ये औषधालय प्रायः वहां खोले गये हैं, ऐसे इन्टीरियर में खोले गये हैं जहां सार्वजनिक औषधालय नहीं हैं।

**श्री मूलचद डागा** : इन औषधालयों पर क्या क्या खर्चा किया जाता है ?

**श्री हरिभाऊ उपाध्याय** : इसके लिये दूसरा प्रश्न करने पर मैं आपको जानकारी दूंगा।

प्रश्न संख्या १३३

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोतीलाल !

( अनुपस्थित )

प्रश्न संख्या १३४

श्री मुक्तिलाल मोदी।

( अनुपस्थित )

श्री मुरलीधर व्यास !

**प्राइवेट कम्पनियों में शासकीय पूंजी व उससे लाभ**

१२२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी ): क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

( श्री मुरलीधर व्यास )

(१) सरकार की कितनी पूंजी किन किन प्राइवेट कम्पनियों में लगी हुई है तथा उनमें कितनी कम्पनियां मुनाफा दिला रही हैं ?

(२) हानि दिखाने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

(३) क्या हानि दर्शाने वाली कम्पनियों को सरकार अपने नियन्त्रण में लेने का विचार रखती है ?

(४) ऐसे डूबने वाली कुल कितनी पूंजी है व किन किन कम्पनियों में है ? कृपया नाम बतावें ।

**उप वित्तमंत्री** (श्री ऋषभचन्द धारीवाल ) : (१) लिमिटेड कम्पनियों के शेअरों में सरकार की कुल पूंजी संलग्न विवरण (अ) के अनुसार रुपया २, ३६, ४५, ६०९ आना १५ हैं। इनमें से १९ कम्पनियां जिनमें कि २, २०, ७६, २०९ रू १५ आ० की पूंजी लगी हुई है, लाभ दिला रही है । क्रम संख्या १, २, ३, ५, ९, १०, ११, १२, १३, १६, १८, २२, २३, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५ तथा ३७; ये वे कम्पनियां हैं जो लाभ दिला रही हैं । इनमें १४ कोआॅपरेटिव बैंक तथा सोसाइटीज़ जिनमें कि संलग्न विवरण 'ब' के मुताबिक ३, २९, ००० की पूंजी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाई गई है, तथा एक फर्म शामिल नहीं है ।

(२) कम्पनियां जो कि क्रम संख्या ६, ७, ८, २०, २४, तथा २५ पर बतलाई गई हैं, नुकसान में कार्य कर रही हैं और सरकार द्वारा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई है ; इन कम्पनियों में कुल २, ८५, ००० रुपयों की पूंजी लगी हुई है । क्रम संख्या ६, ७ तथा ८, पर उल्लिखित विद्युत शक्ति वितरक कम्पनियों के मामलों को, नुकसान होने के कारणों की जांच करने तथा उनके कार्यों में सुधार किये जाने के लिये उचित उपायों का सुझाव देने के हेतु, एक समिति को सुपुर्द किये गये हैं । क्रम संख्या २० पर उल्लिखित कम्पनी ने, जिसमें सन् १९५५-५६ में हानि रही, कार्य करना बन्द कर दिया है और संभव है कि उसका विघटन हो जाये । क्रम संख्या २४ व २५ पर उल्लिखित कम्पनियों में पूंजी भूतपूर्व रियासतों द्वारा, केवल इनको सहायता देने के लिये न कि विशेषतः लाभ उठाने के हेतु लगाई गई थी । प्रत्येक कम्पनी में ( क्रम संख्या २४ व २५ ) सरकार के १०,००० रुपये के अंकित मूल्यों के शेयर हैं ।

महाराज डूंगरपुर द्वारा ऋणों की भुगतान में क्रम संख्या ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३ तथा ४४ पर उल्लिखित कम्पनियों के शेयर सरकार को प्राप्त हुए हैं, शेयरों के हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण इन कम्पनियों के लेखे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(३) जो कम्पनियां नुकसान में काम कर रही हैं उनमें सरकारी शेयरों की संख्या बहुत कम है । जब तक कि सरकार शेयरों को बहु संख्या में नहीं खरीद लेती है, कम्पनी एक्ट, १९५३ तथा सामान्य कानून के अनुसार सरकार को, उन्हें अथवा उनके प्रबन्ध को समाप्त करने का अधिकार नहीं है । चूंकि ये कम्पनियां नुकसान में कार्य कर रही हैं उनके अधिक शेयरों को खरीद लेना अवांछनीय है ।

यद्यपि कुछ कम्पनियां घाटे में कार्य कर रही हैं परन्तु उनमें लगी पूंजी के डूब जाने

# Page No.23



( श्री मुरलीधर व्यास )

की आशंका नहीं प्रतीत होती है। निम्न-लिखित कम्पनियों में लगी पूंजी या तो डूब गई है या उसके डूब जाने की आशंका है क्योंकि उनकी सम्पदा का मूल्य उनके दायित्वों से बहुत कम है :

| | | |
|---|---|---|
| ( १ ) इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, बम्बई | १,६०,००० | विघटनाधीन |
| ( २ ) उदयभान इन्डस्ट्रीज लि० धौलपुर | १,३०,००० | विघटनाधीन |
| ( ३ ) मित्र बन्धु इन्डस्ट्रीज लि० जयपुर | २५,००० | निष्क्रिय |
| ( ४ ) ग्लास वेयर्स लि० भरतपुर | ७५,००० | ,, |
| ( ५ ) हरिश्चन्द्र इन्डस्ट्रियल पोटरी वर्क्स लिमिटेड झालावाड़ | १०,००० | निष्क्रिय |
| ( ६ ) डूंगरपुर माइनिंग सिन्डीकेट | १,००,००० | ,, |
| ( ७ ) शिवाजी पब्लिकेशन्स लि० नई दिल्ली | ५,००० | ,, |
| ( ८ ) अम्बिका एयर लाइन्स लि० बम्बई | ३,००,००० | विघटनाधीन |
| ( ९ ) सीगल एयर ट्रान्सपोर्ट लि० नई दिल्ली | २०,००० | निष्क्रिय |
| (१०) स्टोनवेयर पाइप एन्ड सेनीटरी फिटिंग्स मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी, लि० जयपुर | २५,००० | निष्क्रिय |
| योग | ८,५०,००० | |

( कृपया परिशिष्ट ५ देखिये )

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : What is the reason of Dungarpur Mining Syndicate's not functioning? Why it has been got to be liquidated? Why did the Government think to bring this Company under liquidation?

**श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल** (उपवित्तमन्त्री) It is under liquidation because the Company is not in a position to run.

**श्री श्रीभानसिंह** : What is the position of the Company?

**श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल** : The position of the Company can very well be ascertained from the Balance-sheet and Profit & Loss accounts of the Company.

**श्री श्रीभानसिंह** : Exactly this is what I wanted in the reply. Everything is given in the Budget, therefore, I pointed out that the Hon'ble Minister should give out reasonable excuses. When the Dy? Minister was not present in the House the Hon'ble Minister said that the Dy. Minister would reply. Now he says 'please refer to the Budget'. I know it is in the Budget then where the excuse stands?

# Page No.24



श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : Regarding reasons, if the Hon'ble member requires them he ought to have given a notice for this question, then the details could have been furnished to him.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Hon'ble Minister please supply us with the balance sheets of each of these Companies where the Government has invested money for the last 3 years.

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : Pardon. Will you kindly repeat your question ?

श्री पी. के. चौधरी : Will the Hon'ble Minister supply to the members the balance sheets of each of the companies in which the Government has invested money or have got some shares.

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : We have got all the balance sheets of all these companies. If the Hon'ble member requires to see any of the balance-sheets that can be made available to him.

श्री श्रीमानसिंह : I wanted to know as to why the Dungarpur Mining Syndicate was brought under liquidation by the Government ? I want to know the reason for bringing it under liquidation.

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : It is not possible for me at present to reply this question. You can ask another question for the reasons.

श्री श्रीमानसिंह : When you say that it has been brought under liquidation by the Government the question arises that at least there must be some reasons for that.

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : The question of going of the Company into liquidation is that the finance of the Company were not good.

श्री पी० के० चौधरी : I suppose the Government has got balance-sheets of each company with them, and if any Hon'ble member wants to examine them, will the Hon'ble Minister like to make them available for examination to the Hon'ble member ?

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : The balance-sheets are certainly sent to the Government when the Government is also share-holder and has got some investments.

श्री श्रीमानसिंह : What were the losses shown by the Dungarpur Mining Syndicate ?

श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल : This question cannot be answered at present.

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Minister has said that the financial position of the Company was not good, so what was the basis of saying that the financial posi-

# Page No.25



( श्रीश्री भानसिंह )

tion of the Company was not good? The Hon'ble Minister must know this.

**श्री अध्यक्ष** : He has promised to make available the balance-sheet to the Hon'ble Member,

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** ( मुख्य मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर माइनिंग सिन्डीकेट में घाटा हो जाने का कारण यह था कि उसने बहुत से काम शुरू कर दिये और घाटा हो जाने से वह काम नहीं कर पाई। जिस समय राजस्थान बना तो इस कम्पनी में हजारों रुपयों का घाटा था।

**श्री पी० के० चौधरी** : Will the Hon'ble Minister state as to who are the members of the Board of Directors of the Rajasthan Finance Corporation

**श्री अध्यक्ष** : How does that question arise here.

**श्री पी० के० चौधरी** : It is Finance Corporation in which the Government has got shares.

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : बहुत शेयर्स हैं जो राजस्थान गवर्नमेन्ट बनने से पहले के हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** : Has the Government given on lease all the Ginning and pressing factories of Udaipur Division ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न इससे तो खड़ा ही नहीं होता।

**श्री श्री भानसिंह** : इन्डस्ट्रीज में आता है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : (अश्रव्य)

**श्री श्रीभानसिंह** : Are they not given on lease ? Are those factories not given on lease by the Government.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह प्रश्न नहीं उठता, मगर फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता रहा हूँ कि अभी तक नहीं दी गई।

**श्री श्रीभानसिंह** : Is the Government contemplating to give them on lease ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : Mr. Speaker, Sir, it is altogether a different question.

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जितनी पूंजी सरकार ने कंपनी को दी है और जो भी इसमें है उसका मुनाफा क्या बैंक में ब्याज की दर मिलती है उतना आता है या नहीं ?

**श्री ऋषभचन्द्र धारीवाल** : इसके बारे में जहां तक पूरा लेखा-जोखा नहीं कर लिया जाये, उत्तर नहीं दिया जा सकता।

**श्री मदनसिंह** : यह कब तक कर लिया जाएगा ?

Page No.26



श्री श्रीभानसिंह : इसकी पोजीशन पर अच्छा हो कि कोई बयान माननीय मुख्य मन्त्रीजी का हो जाए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं कि इस पर स्टेटमेंट देना उचित नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, then this issue may be put before the House for debating.

श्री अध्यक्ष : If the Hon'ble member likes we may have half an hour's discussion on this subject.

( विराम )

एक २६ अप्रेल का प्रश्न है जो स्थगित किया गया था। श्रीमती सतवंतकौर का प्रश्न था। राजस्व मंत्री इसका उत्तर देंगे।

## गंगानगर में तमलीक नामे व विरासत के मामले

६. श्रीमती सतवंतकौर (करनपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में भूमि की बिक्री तमलीक नामे या विरासत के सम्बन्ध में कितने मामले इन्तकाल के तीन माह से ऊपर पटवारियों के पास पैन्डिंग पड़े हुए हैं ?

(ख) पटवारी हल्का तामकोट के पास कितने ऐसे इन्तकाल हैं जो दर्ज रजिस्टर हैं लेकिन तसदीक शुदा नहीं हैं, कितने समय से पड़े हैं ?

(ग) इतने लम्बे समय तक इन्तकालों के तसदीक न होने के क्या कारण हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मन्त्री (श्री संपतराम) : (क) ४४६

(ख) कोई नहीं।

(ग) गंगानगर जिले में जहां १८८६ गांव हैं उनकी संख्या को देखते हुये भूमि बिक्री, तमलीकनामे व विरासत के कुल ४४६ इन्तकालों का पैंडिंग होना अधिक नहीं है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का ऐसी दशा में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोकुलचंद : माननीय अध्यक्ष, यदि निश्चित अवधि में कोई उत्तर नहीं मिलता है तो दुबारा प्रश्न देना पड़ता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह पहले आया था और स्थगित किया गया था। इस कारण आज इसको लिया गया है।

श्री गोकुलचंद : मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने आज समाज कल्याण मंत्रीजी से प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया कि सूचना नहीं मिली है। जब तक उनको सूचना नहीं मिलेगी तब तक क्या वह प्रश्न लेप्स नहीं होगा और सूचना मिलने पर सूचना दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : या तो निश्चित तौर से प्रश्न को अगली टर्न पर रखा जा सकता है, नहीं तो आप दूसरा प्रश्न निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिये पूछ सकते हैं।

श्री गोकुलचन्द : मैंने प्रश्न संख्या ११६ पूछा था।

("इसका जवाब दे दिया गया है" की आवाज)

# Page No.27



**श्री अध्यक्ष** : एक प्रश्न ७ मई का है जो स्थगित किया था। यह श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री का है कि राजस्थान में गजटेड ऑफिसर्स की कुल कितनी संख्या है........

## राजस्थान के गजटेड ऑफिसर्स में हरिजन

४८. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में गजटेड ऑफिसर्स की कुल कितनी संख्या है ?

(ख) उनमें से हरिजन (शिडयूल्ड कास्ट) कितने हैं ?

(ग) गत सन् १६५१ से १६५६ तक ५ वर्ष में कितने हरिजन (शिडयूल्ड कास्ट) गजटेड ऑफिसर्स बनाये गये ? उनके नाम और पते तथा इस वक्त कहां कहां किस किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं ?

(घ) राज्य सरकार की ओर से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये कितना कोटा निर्धारित है ?

(ङ) उक्त कोटे के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट में से कितने लोगों को ऑफिसर्स बनाना चाहिये था ?

(च) उन्हें नहीं बनाये जाने के कारण क्या थे ?

**वित्तमन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय)** : अभी इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

१२-१० म. प.

## १० मई को १६५७ को रामबाग रोड, जयपुर में हुई कारदुर्घटना संबंधी स्थगन-प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष** : एक स्थगन प्रस्ताव आया है। वह इस प्रकार है :—

"मैं अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर वादविवाद करने के आशय से सभा के कार्य स्थगन हेतु निम्न-लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूँ :

### प्रस्ताव

तारीख १० मई १६५७ की रात को रामबाग रोड जयपुर में कार-दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु और कुछ व्यक्तियों के घायल होने दुःखद घटना घटी इसलिए मैं यह करती हूं कि सदन अपनी नियमित कार्यवाही को स्थगित करके पहले इस अत्यावश्यक मामले पर विचार करे।

भवदीया,<br>
चन्द्रकला,<br>
सदस्या,<br>
विधान सभा।

यह प्रश्न इतना आवश्यक सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर बहस की जाय।

१२. १२. म० प०

## जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों के सदस्यों की घोषणा

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक १० मई, १६५७ को सम्पन्न हुए चुनावों के फलस्वरूप जन-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति सन् १६५७-५८ के लिए निम्न सदस्य निर्वाचित किये गये हैं :—

### जन-लेखा समिति

१. श्री तनसिंह (१६७)
२. श्री परसराम (११६)

Page No.28



(श्री अध्यक्ष )

३. श्री भीमसेन (१६)
४. श्री भैरोंसिंह (१४)
५. श्री मानकचन्द कोठारी (६२)
६. श्री सज्जनसिंह (१४७)
७. श्री सहदेव (१४६)
८. श्री सोहनलाल (१६१)
६. श्री हरिदेव जोशी (५६)
१०. श्री होतीलाल (६३)

### प्राक्कलन समिति

१. श्रीमती गौरी पूनिया (४५)
२. श्री चन्दनमल वैद (२५)
३. श्री जगदीशप्रसाद (६५)
४. श्री जनार्दनराय (६८)
५. श्री जयसिंह रानावत (६७)
६. श्री धर्मपाल (२६)
७. श्री भोलानाथ (२१)
८. श्री महादेव प्रशाद बंका (८६)
६. श्री मोतीलाल (१०६)
१०. श्री मोहब्बतसिंह (१००)
११. श्री रामेश्वरदयाल (१३३)
१२. राव राजा श्री सरदारसिंह (१५०)
१३. श्री हरिकिशन (५७)
१४. श्री हुकमसिंह (६४)
१५. श्रीमती शान्ती देवी (१५४)

१२. १४. म० प०

### (क) मांग संख्या ६—सामान्य प्रशासन

**श्री अध्यक्ष** : अब अनुदानों की माँग ली जायेंगी।

**मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मर्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने के हेतु राज्यपाल महोदय को १,५३,८८,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।"

**श्री अध्यक्ष** : श्री तनसिंह

**श्री तनसिंह ( बाडमेर )** : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा कटौती प्रस्ताव इस मांग पर यह है :—

"कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन में १ रु० तक की कटौती की जाय (ज्युडिसियरी का एक्जीक्युटिव से प्रथककरण की दिशा में कोई कदम न उठाने की नीति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।"

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी)** : यह जो एक रुपये का कटौती प्रस्ताव रखा गया है और दूसरी ओर जब दस लाख रुपये का कटौती प्रस्ताव आ जाता है तो एक रुपये के कटौती का प्रस्ताव इतना महत्व नहीं रखता जितना कि दस लाख रुपये का। अगर सौ रुपये का भी कटौती प्रस्ताव है तो उसके आगे भी एक रुपये का कटौती प्रस्ताव कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए जो इस प्रकार के प्रस्ताव हैं उनको प्राथमिकता दी जाये।

**श्री तनसिंह ( बाडमेर )** : यह अनुदानों की नीति के सम्बन्ध में है, इसलिए माननीय सदस्य को गलतफहमी हो सकती है।

तो मैंने इस विषय में एक नहीं, दो बार निवेदन कर दिया और मैं इस सम्बन्ध में सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह एक कटु सत्य है कि किसी भी प्रजातन्त्र को सफलीभूत करने

( श्री तनसिंह )

के लिए एग्जीक्यूटिव को ज्युडिसियरी से अलग करना चाहिए। ऐसा हमारे विधान में भी दिया हुआ है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान के छः-सात वर्ष के बाद भी इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम ही नहीं उठाया गया है और मैं समझता हूँ, कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम न उठाने महान् कारण यह है कि शासन पर जो आरूढ़ सत्ता है और वह सत्ता जिस दल के हाथ में है, वह यह चाहती है, कि यदि प्रजातंत्रवाद भली प्रकार से सफल हो गया तो उनकी सत्ता नहीं रह सकेगी। इसलिए मैं देखता हूं कि हमेशा हमारे इस कानून और न्याय के सम्बंध में जो सत्तारूढ़ दल है वह दखलन्दाजी किया करता है। आज के जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको चाहे जब हटाया जा सकता है, चाहे जब उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, उनकी तरक्की और उन्नति की सब बातें एग्जीक्यूटिव के हाथों में है और सरकार के हाथ में इस प्रकार दोनों की एक मिली भगत होने के कारण जो न्याय का उच्च दर्जा और जो न्याय का ऊंचा स्तर हम एक्सपेक्ट करते हैं वह सम्पादित नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स भी नहीं है क्योंकि हर एक जगह मुन्सिफ हैं और उनको मजिस्ट्रेट्स के अधिकार दिये जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वह प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि वह बड़ा इलाका होगा और जहां कि अलग अलग कोर्ट्स होंगे और वहां पर दूसरे मजिस्ट्रेट्स नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं इसलिए मुन्सिफों को मजिस्ट्रेट के पॉवर्स दे दिये गये हैं लेकिन आमतौर पर यह चीज नहीं है और मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया जाता, मैं तो पहले राज्यपाल महोदय के एड्रेस के समय भी कह चुका हूं, इस बजट के जनरल डिस्कशन पर कह चुका हूँ, तब तक प्रजातंत्रवाद ठीक ढंग से नहीं चल सकता। मुझे अभी तक इस विषय में सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसी नीति का प्रश्न है कि जिस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात पर मंत्री-मण्डल को बहुत ही अधिक कटाक्ष करने योग्य बात है और इन थोड़े ही शब्दों के साथ मैं, कि जो महत्वपूर्ण बात है वह रखता हूं और आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

इसके साथ ही जो मैंने दूसरा प्रस्ताव रखा है वह है हिंदी शिक्षण की कक्षा के निमित्त....

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : अध्यक्ष महोदय यह जो प्रस्ताव आया है और इसी मांग पर इन्हीं माननीय सदस्य का दूसरा भी कटौती प्रस्ताव है तो क्या यह सब को एक साथ ही मूव करेंगे ?

मैं यह चाहता हूँ कि यदि सदन इजाजत दे तो एक ही विषय पर जितने भी सदस्यों के प्रस्ताव हैं वे सब साथ ले लिए जायें।

**श्री अध्यक्ष** : एक ही डिमांड पर जितने भी कटमोशन्स हैं वे सब एक साथ ले लिये जायं, अगर वे एक ही माननीय सदस्य के हैं। इससे जवाब देने में सहूलियत रहेगी और डिबेट आदि होने में भी सहूलियत रहेगी।

**मुख्य मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं समझता हूं कि एक डिमांड पर जितने

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

भी कटमोशन्स हैं वह एक साथ मूव कर दें और यही होता रहा है ।

**श्री तनसिंह** : एक ही सदस्य के जितने भी कटमोशन्स एक मद में हों वे सब एक ही साथ मूव कर दें तो ठीक रहेगा इससे उत्तर देने में भी ठीक रहेगा और रिपीटीशन भी नहीं होगा ।

**श्री भैरोंसिंह** : श्रीमान् इसमें प्रश्न यह आता है कि कई सदस्यों ने इस विषय पर अपने कटमोशन्स रखे होंगे और एक ही विषय पर पूरी बातें नहीं हो सकेंगी, और जिनके कटमोशन्स हैं वे अपने कटमोशन्स पर ही बोल सकेंगे, लेकिन यह नहीं हो सकेगा कि उसका समर्थन भी कर सकें। ऐसी स्थिति में जो अलग अलग हेड्स हैं उनके ऊपर अलग अलग विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

**श्री अध्यक्ष** : यदि कोई माननीय सदस्य कटमोशन के सपोर्ट में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

**श्री तनसिंह** : तो जो दूसरा मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह हिन्दी शिक्षण की कक्षा की नीति के अनुमोदन के सम्बन्ध में है । अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हिन्दी की उन्नति के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है लेकिन जहां कई विभागों से इस प्रकार का आदेश जारी किया गया हो और हम जो यहां विधान सभा में इकट्ठे हुए हैं, यहां पर भी अधिकांश सदस्य अंग्रेज़ी पढ़े हुए नहीं हैं । हिन्दी अधिकांश जानते हैं । यहां हमने एक कानून भी पास किया था जिसके अनुसार यहां सारा काम हिन्दी में होने को था, लेकिन कुछ समय के बाद चूंकि सरकार को इस से कुछ असुविधा होने लगी, इस कारण उन्होंने उस अधिनियम में कुछ परिवर्तन कर दिया और उसके बाद हमें यह बतलाया गया था कि अधिनियम आदि अंग्रेजी में भी पास किये जा सकते हैं । लेकिन जो व्यवहारिक रूप में बात देखी जाती है वह यह है कि अधिनियम के अन्दर संशोधन होने के बाद भी आज तक एक भी कानून ऐसा नहीं आया कि जो हिन्दी में प्रस्तुत किया गया हो । मैं नहीं समझता कि हमारी राज्य सरकार एक तरफ इस बजट के अन्दर एक हिन्दी की क्लास रखने के लिए प्रावीजन रखती है और दूसरी ओर हिन्दी पर ध्यान ही नहीं देती । मैं समझता हूँ कि यह एक तरह का हास्यास्पद प्रयत्न है । जब कि एक ओर हमारे सचिवों को, हमारे कार्यालय के दूसरे अधिकारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए क्लास लगाई जाती है और दूसरी यहाँ पर आज हिन्दी के जानने वाले बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडित हैं और हिन्दी के धुरन्धर ज्ञाता हैं, यहां पर भी जो कुछ पास होता है वह अंग्रेजी में होता है । वास्तव में यह जो तरीका सरकार का है यह हिन्दी को क्रियात्मक रूप देने का नहीं है ।

तीसरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह है मितव्ययता के संबन्ध में, जिसमें खास तौर से १. ५० हजार की कमी हो सकती है ; मंत्रियों की तनख्वाह कम करने के विषय में है । मैं यह निवेदन करूंगा कि आज कांग्रेसी सरकार को सत्तारूढ़ हुए करीब सात साल हो गये । हमारी राजस्थान की वित्तीय स्थिति उत्तरोत्तर गिरती जा रही है और इसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी के साधन सीमित होते जा रहे हैं । ऐसा लगता है कुछ

( श्री तनसिंह )

अरसे के अन्दर जब पूर्णतया नशाबन्दी लागू हो जायगी तब और घाटा रहेगा और भी कठिन समस्यायें पैदा होंगी। दूसरी ओर जहां हिन्दुस्तान के एक प्रान्त केरल में मंत्रियों ने उदाहरण रखा है कि केवल ५०० रुपया लेकर वे कार्य कर रहे हैं। जो आज हमारे सामने बैठे हैं वे भी उसी प्रकार का आदर्श रख सकते हैं और उसी के अनुकूल राजस्थान की जनता की भावना भी हो सकती है और उस आदर्शवादिता का हम लोग भी समर्थन कर सकते हैं। आपको चाहिये कि यह सेवा का मार्ग है, कमाई का नहीं। आपको उतना ही लेना चाहिये जितना कि आप साधारणतया जीवन निर्वाह में खर्च कर सकें। साधारण जीवन निर्वाह के सम्बन्ध में कांग्रेस ने एक आदर्श रखा है, कांग्रेस संस्था इस मायने में आदर्श रही है। आप लोग खादी पहनते हैं केवल हाथ की बनी हुई होने से नहीं बल्कि इसमें मितव्ययता का दृष्टिकोण भी है, कम खर्चा है। मैं नहीं समझ सकता कि जिस संस्था को बिलोंग करने वाले आप हैं जिनके सामने मितव्ययता का स्वावलम्बन का आदर्श है वे ही लोग एक महीने में एक हजार रुपया वेतन लेते हैं जिनका कुल खर्चा मिलाकर ७ लाख ३० हजार होता है। मैं नहीं समझ सकता कि यह आपकी मितव्ययता का और स्वावलम्बन का कैसा आदर्श है? हम चाहते हैं कि बड़े बड़े आफिसरों की तनख्वाह में कमी हो लेकिन जब तक आप अपनी तनख्वाहों में कमी नहीं करेंगे, जब आप इस प्रकार का आदर्श नहीं रखेंगे, वे भी अपना वेतन कम कर लेने को तैयार नहीं होंगे। हम यह नहीं मानते कि केवलमात्र मंत्री बनने से ही आपकी आवश्यकतायें बढ़ जाती हों, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता हो य जीवन-स्तर बढ़ जाता हो, यह बात नहीं है। मैंने ऐसे बहुत कम मन्त्री लोग देखे हैं जो लोग मन्त्री बनने के बाद अपनी आवश्यकतायें, अपना जीवन स्तर ऊंचा कर लेते हों। जो लोग मन्त्री पद से अलग हुए हैं उनके जीवन-स्तर को देखकर भी हमें यह मालूम होता है कि मन्त्री बने रहने से कोई आवश्यकता या स्तर भी बढ़ जाता हो, यह मानने लायक बात नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वे यह न समझें कि आज उनका वेतन यदि कम हो जायगा तो उनके पोम्प और शो (Pomp and show) में कमी हो जायगी। ये सब पुराने जमाने की दलीलें हैं, आज के जमाने में पोम्प और शो करने वालों की हुकूमत चल नहीं सकती। आज आपको हुकूमत करनी है तो लोगों के दिलों में हुकूमत करनी होगी इसलिए आपको सबसे पहले अपना आदर्श कायम करना चाहिये इसलिये स्वतः आप अपनी तनख्वाओं में कटौती करें। आप यह कह सकते हैं कि हमने यह सुझाव इसलिए रखा कि प्रचार पाने के लिये, जनता को दिखावे के लिए यह रखा है, यह बात नहीं। माननीय अध्यक्ष, अगर हम इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं तो यह कहा जायगा कि प्रेस में प्रतिष्ठा पाने के लिये, नाम कमाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। वास्तव में ये लोग नहीं चाहते कि अपने वेतन में २०० रुपये से कटौती करवा कर सौ कर दिया जाय। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप हमारे सामने इस प्रकार आदर्श नहीं रखेंगे तब तक हमें भी इस मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा होंगी। यह एक सुनहरा मौका है त्याग का, जन-सेवा का अवसर है। आज जहां एक ओर केरल प्रान्त ने आदर्श

# Page No.32



( श्री तनसिंह )

रखा है दूसरा प्रान्त राजस्थान हो सकता है। अगर माननीय मन्त्री महोदय, इस प्रकार मितव्ययता का आदर्श रखेंगे तो जब सार्वजनिक सेवाओं में तनख्वाह की कमी करने का प्रश्न आयगा तो वह प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। आप जब बड़ी बड़ी तनख्वाएं लेते हैं तो आपके मातहत काम करने वाले कम तनख्वाह लें, यह कैसे हो सकता है? इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि वे स्वतः आगे बढ़ कर इस प्रकार आदर्श उपस्थित करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा एक कटमोशन और है जिसे नियमानुसार अभी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पहले जो कटमोशन्स मूव होते हैं वे पोलिसी के बारे में होते हैं, उसके बाद इकोनोमिक कट होते हैं; और फिर टोकन कट होते हैं। यह मेरा टोकन कट है इसलिए इसका तीसरा नम्बर आता है। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसको भी साथ ही मूव कर दूं। लेकिन इसके मूव करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव जो नीति के अननुमोदन के सम्बन्ध में है और यदि कभी किसी प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रश्न आ जाय तो यह दलील कन्वेन्शन न बन जाय। इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि यह कटौती प्रस्ताव उपस्थित करूं या नहीं?

**श्री अध्यक्ष** : इसे भी ले लीजिये।

**श्री तनसिंह** : तीसरा कटौती का प्रस्ताव है मांग संख्या ६ मुख्य शीर्षक ७५—सामान्य प्रशासन में, १०० रुपये की कटौती की जाय:

( चुनाव में नाजायज दबाव के बाबत विवाद करने के लिये )।

अध्यक्ष महोदय, चुनावों की निष्पक्षता के सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि हम माननीय मन्त्री महोदय को बधाई दें; वह इसलिए कि चुनावों में बहुत निष्पक्षता बरती गई इसलिए मन्त्री महोदय बधाई के योग्य हैं। इस सम्बन्ध में मैंने बजट के भाषण के समय भी चुनाव में हुई अनियमितता का जिक्र किया था, जिसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। हो सकता है यह स्वर्ण अवसर है उनके स्पष्टीकरण देने का। अध्यक्ष महोदय, कल परसों की बात है यहां सदन में एक पत्र प्रस्तुत हुआ था, उस पत्र के सम्बन्ध में माननीय वित्तमंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण भी किया था। उस सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय ने एक विशेष बात कही थी वह यह कि उनके पास कई अधिकारी पहुँचे और उन्होंने कहा कि वे उनको चुनाव में सहायता देने को तैयार हैं तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा, वे उन लोगों में से नहीं हैं जो इस प्रकार की चुनाव में सहयता लें। यह स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है कि कई लोग ऐसे, कई सरकारी अधिकारी ऐसे हैं, जो चुनाव में बिना चाहे मंत्रियों को केवल उनको खुश करने के लिए, उनके यस मेन बनने के लिए, उनके कृपा पात्र बनने के लिए, उनको सहायता देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। उनका स्पष्टीकरण इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है राज्य सेवा करने वाले कर्मचारियों ने निष्पक्षता चुनावों में नहीं बरती, उनके साथी के बयान इस बात के साक्षी हैं, हमारे मुख्य मंत्री के इस बयान को कि चुनावों में हमारे सरकारी अधिकारियों ने निष्पक्षता बर्ती, उनके साथी के बयान से खन्डन हो जाता है। दूसरी बात इस विषय में

( श्री तनसिंह )

यह है, हो सकता है कि वित्त मंत्री महोदय जो केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये कह सकते हैं कोई व्यक्ति उनके पास आये नहीं, मैंने तो इसको लाइटली लिया, था इसलिये कह दिया था। अगर उनके पास कोई आदमी ऐसे आये तो उनका पहला कर्तव्य यह था कि सबसे पहले उन लोगों को पकड़वाना चाहिये था और उनको यह कह सकते थे कि मैं तुमसे सहायता नहीं चाहता। अगर कोई राज्यकर्मचारी आये हम जैसे लोगों के पास और हम से यह कहे कि हम आपको चुनाव में सहायता दे सकते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हमें सहायता की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनके हाथों में सत्ता है उनको तो कम से कम उन्हें पकड़वाना चाहिये था। अगर वे ऐसी हिम्मत करते तो हम कुछ समझ भी सकते। मैं तो यह चाहता था कि उनको उनके नाम बताने में किसी प्रकार का संकोच होना ही नहीं चाहिये। मै चाहता था कि वे इस विषय में जांच करते और जांच करके जिनको सजा देनी है उनको सजा देते और हम सब लोगों को उसके बारे में अवगत कराते कि हमने यह कदम उठाया है। जब तक इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं मिल जाती हममें से प्रत्येक के दिल में यह भय है कि सत्तारूढ़ दल से संबन्धित लोग यदि इस प्रकार सहायता देने लग जायं तो यह सहायता आगे चलकर खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इससे चुनाव से जो फायदा हम उठाना चाहते हैं वह आगे चलकर नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन कर्मचारियों को अवश्य सजा मिलनी चाहिये जिन्होंने इस प्रकार सहयोग देने का आश्वासन दिया इसी से हम निष्पक्ष चुनाव की आशा कर सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता, कि इस प्रकार का कार्य करने से क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां अधिनायकवाद कायम हो जावे ?

इसके अलावा चुनाव के विषय में मैंने एक बात और कही थी बजट पर वाद विवाद के समय। उसके विषय में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा इसका मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने चुनावों में डाकुओं की सहायता लेने के बारे में कहा था, उनके सरेन्डर होने की बात बतलाई थी। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, जिस बात का जवाब नहीं हो सकता उसका जवाब वे क्या दे सकते है ? जिस डाकू के सरेन्डर के बारे में उनकी पार्टी के और खास तौर से उनके गुट ने बड़े कड़े शब्दों में विरोध किया था और कहा था कि जो लोग डाकू हैं, जिन्होंने हमारे नागरिक जीवन को बर्बाद कर दिया उनके सुधरने की क्या आशा की जा सकती है ! वे कभी सुधार के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। उनको सुधारने का मार्ग एक ही है और वह है उनको दंड देना और कड़ी से कड़ी सजा देना। बातें उस समय तो बहुत सी की गई थीं लेकिन प्रभुता पाने के बाद उन्हीं लोगों द्वारा विपरीत आचरण होता है। क्या बिना प्रभुता पाये जो विचार-धारायें रहती हैं क्या वे विचारधारायें प्रभुता पाने के बाद बदल जाती हैं ? जो सत्तारूढ दल है उन्हीं ने उसके विरुद्ध बहुत सी बातें कही थीं लेकिन आखिर जाकर वही डाकू बम्बई प्रोविन्स में सरेन्डर हुआ। राजस्थान सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाया, वह अज्ञात सा है। मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि जब वह राजस्थान की सीमा में वापिस

# Page No.34



( श्री तनसिंह )

आया उसको पकड़ा नहीं गया, उस उसे जमानत कर दी गई। जब वह घर पहुंचा, अध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है आर. ए. सी. बैन्ड ने उसका स्वागत किया। तुम बहुत बहादुर है, तुमने लोगों की हत्या की, उनकी सम्पत्ति लूटी और विदेशी सत्ता से मिल गये, यह स्वागत इसीलिये तुम्हारा है ? आपके स्वागत में क्या कारण हो सकते हैं ? इसका एक ही कारण हो सकता है और वह यह कि चुनावों में पूर्ण ताकत से कांग्रेस को जिताने में मदद दी। यदि नहीं, तो मैं तो स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण देने को तैयार हूँ। मैं तो सोचता था कि पिछली बार माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस पर कुछ अवश्य कहेंगे। उस दिन हमारा वाक आउट था। फिर भी वहां गया सरसरी नजर से देख कर गया, पर मालूम हुआ कि उन्होंने इस विषय में कोई बात तक नहीं कही। तो मैं निवेदन करूंगा कि डाकुओं के साथ इस प्रकार की सांठ गांठ की जाती है केवल अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिये। मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की जनता इसे देखे कि इस सत्ता को प्राप्त करने के प्रयास में कितनी कीमत आज की इस कांग्रेसी सरकार को चुकानी पड़ रही है, कितना नुकसान जनता का कराकर यह सत्ता प्राप्त की गई है, कितनी हानि जनता के माल की और जान की जा रही है यह कीमत चुका कर ? तो यह अन्दाज आप आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रस्ताव के अरितिक्त मेरा और कोई कटौती का प्रस्ताव के अतिरिक्त मेरा और कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री अर्जनदास** [अजमेर सिटी पश्चिम] : Mr. Speaker, Sir. I rise to support this motion for cutting a demand. It is really an open secret for those who have eyes to see that the last General Elections in this State of Ajmer ( Rajasthan ) were certainly far from being free. The Treasury Benches may say.........

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उनका कोई कट मोशन नहीं है। किस कट मोशन पर वे बोल रहे हैं, कृपया बता दें तो आसानी रहेगी।

**श्री अध्यक्ष** : On which special specific cut-motion do yon wish to speak ?

**श्री अर्जनदास** : On Elections, Sir, General Administration.

**श्री अध्यक्ष** : एक मेम्बर के तो सब मूव हो चुके हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मन्त्री) : मुझे यह निवेदन करना था कि जिन जिन ने कट मोशन्स रक्खे हैं वे पहले मूव हो जावें। इसके बाद दूसरे बोलना चाहें तो बोलें, तो यह उचित होगा। यह मेरी प्रार्थना है।

**श्री अर्जनदास** : I think that will harass the Government much more.

**श्री अध्यक्ष** : That will enhance the scope of your speech also. There may be more cut-motions.

श्री अर्जुनदास : Indirectly, of course, Sir.

श्री अध्यक्ष ; It is better if we move all the cut-motions before, then we will have the debate on all these cut-motions.

श्री अर्जुनदास : On a particular demand or all, Sir ?

श्री अध्यक्ष ; All the cut-motions on Demand No. 9., List No. 3. Serial No. 45.

( Motion:- That the Demand No. IX major head 25- General Administration- be reduced by Rs. 7,25,000/- ( To discuss the question of the retention of the divisional commissioners posts ).

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा ) : Hon'ble Speaker, Sir, as regards the cut-motion No. 45 I do not want to press it and I withdraw it. I do not want to move it. As regards cut-motion No. 45 regarding "to discuss the policy of the Government for the retention of the post of divisional Commissioners" I do not want to move it. But as regards to cut motion No. 49 in respect of the Demand No. IX -General Administration- I want to discuss the policy of the Government in implementing the policy of the separation of the Executive from the Judiciary. [Motion:- That the Demand No. IX Major head 25- General Administration- be reduced by Rs. 100 ( To discuss the delay on the part of the Government in the matter of separating the executive from the judiciary ]

I shall submit that this principle has been universally accepted by all the Governments as a good principle, and the Rajasthan Government has also accepted this principle in the the former Rajasthan. This principle was implemented to a great extent, but after the formation of the bigger Rajasthan, thjs principle was dropped, and Iater on it was again revived. My submission is that the policy of the Gavernment is very slow in implementing the principle of the separation of the executive from judicary. I have got various reasons regarding the separation af the executive from the judiciary.

I shall submit , in the first place, that at present Criminal Courts, the subordinate Criminal Courts, they are ocompletely under the subordination of the Government. Their appointment, their promotion, their dismissal, their transfer and their increment is entirely in the hands of the Government. They look to the Government for everything, and they are after the Government. Whenever the Minister visits the place they are more after the reception than after the case-work. The cases are adjourned because they have to go to receive the Ministers, and the poor

(श्री रामेश्वरदयाल )

litigants coming from far away are put to unnecessary inconvenience and expenses. Then there are many cases, and I can cite various examples that in certain cases the bails are granted, because a particular person, a big gun is interested in the granting of bail. A bail is refused in various cases, because the Police is interested in those cases. Hon'ble Speaker, Sir, I want to say that for the administration of justice it is absolutely necessary that confidence should be created in the people. The people should have full faith in the administration of justice, and they should feel through the actions of the Courts that justice is being done to them. But in the present circumstances, the people have very little faith in the administration of justice, and specially in the working of the subordinate Criminal courts.

Therefore, I have moved this cut-motion that these subordinate criminal courts should also be placed directly under the subordination of the High Court which is the highest court because the courts are the custodian of the rights of the people and because their functions are primarily to vindicate the rights of the individuals. Therefore, it is absolutely necessary in the interest of justice that they should be immuned from the Influence of the Government.

I may be excused, Sir, if I go to the length of saying that under the present circumstances the subordinate criminal courts are pro-police and pro-gernment and as a matter of fact they are plus government minus independence. Therefore, I have moved this cut-motion that this sort of system should be aboilished and the sooner it is abplished, the better it is.

**श्री तेजाराम (सोजत)**-माननीय अध्यक्ष, I beg to move, That the Demand for Grant No. IX Major Head 25-General Administration be reduced by Rs. 100/- (to discuss abolition of Anti-corruption Board)."

अध्यक्ष महोदय, सन् ५५–५६ के अन्दर सबसे पहले राजस्थान के अन्दर एन्टी-करप्शन बोर्ड के लिए २६ हजार रुपयों का बजट था, सन् ५६–५७ में २५ हजार का रखा गया और मौजूदा बजट में भी ३५ हजार का प्रोविजन रखा गया है। हम देखते हैं कि शासन में करप्शन बहुत पहले से ही चला आ रहा है और करप्शन को रोकने लिए राजस्थान बनने के पहले ही कई कोवेनेन्टिंग स्टेटस में एन्टी-करप्शन के महकमे बने हुए थे और इस बोर्ड के बनने के पहले एक एन्टी-करप्शन का महकमा राजस्थान में मौजूद है जो पुलिस के अन्तर्गत है। बावजूद इन महकमों के बनने पर भी हम देखते हैं कि शासन में भ्रष्टाचार की कमी नहीं हुई है बल्कि भ्रष्टाचार पहले से बढता जा रहा है और यही सोच कर राजस्थान सरकार ने एक उच्च-स्तरीय बोर्ड बनाया ताकि इसमें सुधार हो सके। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि

( श्री तेजाराम )

तीन साल तक इस बोर्ड के बनने पर भी हम देखते हैं कि शायद एक भी केस एन्टी-करप्शन का सक्जेसफुल नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि यह आर्गूमेन्ट दिया जाय कि ब्राइबरी प्रूव नहीं होने से अहलकार, मुल्जिम को सजा नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, केवल रुपया पैसा लेने में ही भ्रष्टाचार को न देखा जाय किन्तु शासन में और तरह के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्युटीज़ के प्रति नेग्लीजेन्ट रहता है, जो ड्युटीज़ करनी चाहिए वह पूरी तरह से नहीं करता है तो वह भी भ्रष्टाचारी है। उसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। अगर बड़े बड़े अफसरों की फाइलें इन्स्पेक्ट की जाय तो उसके लिए न तो प्रूफ की जरूरत है और न दूसरी बातों की ही, उनका जो खुद का रिकार्ड है वही उसको सजा देने के लिए काफी होता है। लेकिन इस तरफ कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया है।

सरकार ने एन्टीकरप्शन बोर्ड बनाया और उसके लिए ३५ हजार रुपया रखा है। मैं समझता हूँ कि यह ३५ हजार रुपया बिल कुल वेस्टेज़ है। १८०० का सेक्रेटरी है, दूसरे अधिकारी हैं। इस प्रकार से रकम खर्च करने पर भी शासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें कोई कमी नहीं, होती है लेकिन वह वह तो बढता ही जाता है। हम समझते हैं कि इस प्रकार से पैसा खर्च करना बेकार है। जब एन्टीकरप्शन बोर्ड एक भी Case सफल नहीं कर सकता है तो उसके दो ही माने हो सकते हैं, एक तो यह कि सरकारी शासन में करप्शन नहीं है और या यह बोर्ड किसी को सजा देना; नहीं चाहता है लेकिन दूसरी ओर यह आवाज आती है कि महकम में भ्रष्टाचार है, तो मैं यही कहूँगा कि एन्टी करप्शन वाली नाम धराता है और करप्शन को दूर करने में यह असफल रहा है। तो मैं यह मांग करता हूं कि जिसको जो ड्युटीज़ दी जाती हैं और अगर वह उन ड्युटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करता है तो कोई हक नहीं है कि वह इस प्रकार से जनता के पैसों का दुरुपयोग करें।

इस Anti corruption को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पुलिस में एन्टी-करप्शन की ब्रान्च है और उसमें १ लाख १६ हजार का प्रोविजन है, पहले वर्षों में भी लाख लाख खर्च किये गये। जो Anti-corruption बोर्ड है और वह ब्रान्च है इन दोनों को मिलाया जाय तो दो लाख का सालाना खर्चा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हर विभाग में भ्रष्टाचार और पहले से बढता जा रहा है। उदाहरणक के लिए रेवेन्यू का महकमा बताऊं जिससे शुरू से लेकर ऊपर तक करप्शन की बदबू है। सन् १६५४–५५ में पाली डिस्ट्रिक्ट में Sojat Sub-Division में लोकस्ट को खत्म करने का अभियान हुआ था, इस पर दो लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी तो उसमें बताया गया कि एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ जब कि वास्तव में नुकसान हुआ था। यह भी एक भ्रष्टाचार है, ड्युटीज़ की नेग्लीजेन्स है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। अगर सरकार यह चाहती है कि दुनिया को दिखाने लिए, करप्शन को रोकने के लिए ऐसा करती है तो वास्तव में, मैं कहूँगा कि करप्शन मिटता नहीं है बल्कि उसको प्रोत्साहन देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बोर्ड न रख कर इसको एबोलिश कर दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण ही रात।

**श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव छोटा सा है लेकिन बड़े महत्व का है। वह यह है कि राज्य के चौथे श्रेणी के कर्मचारियों को निःशुल्क मेडीकल सुविधायें दी जायें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे सामने माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वह बड़ा समाजकारी कार्यों के लिए है यानि देश को आगे ले जाने वाला बजट है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने जब इसको बहुत ध्यान से देखा तो इसमें यह पाया कि जो चौथे श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों पर हमारे राज्य की और हमारे देश की नींव टिकी हुई है उनके ऊपर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो यह हमारे और हमारे राज्य के लिए शोभाजनक बात नहीं है। इसलिए मैं एक छोटा सा सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। जो ओफिसेज़ का खर्चा है उसको कम करके चौथे श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए और वेतन बढ़ने से, मेडिकल की सुविधायें, मकान की सुविधायें और शिक्षा की सुविधायें भी उनके लिए हो सकेंगी। हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो २५० से नीचे वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की है उस नीति की मैं प्रशंसा करता हूँ लेकिन चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मेरा कटौती का प्रस्ताव इसी आशय से है कि चौथे श्रेणी के कर्मचारियों पर भी ध्यान दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सिपाही है, लड़ने के लिए तैयार होता है, मोर्चे पर लड़ता है, मरता है, या पता नहीं वापिस आता है या नहीं, जहां ऐसी स्थिति होती है लेकिन उसको पैसा कितना मिलता है? सिर्फ उसको ६०), ७०) मिलते हैं और एक प्रथम श्रेणी का कर्मचारी है वह आराम से रहता है और उसकी सुविधा के लिए सरकारी मकान मिलता है यानि नाना प्रकार की उसे सुविधाएं समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं, या ओफिस आने जाने के लिये कारें मिल जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं यह नहीं कहता कि उनका जो खर्चा है, प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों का उसे रोका जाय लेकिन मैं यह कहता हूँ कि उनका कम नहीं किया जाय तो ब्रेक कहीं अवश्य लगाया जाय और छोटी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाय। अगर इस तरह की हमारी व्यवस्था होगी तब ही हमारा प्रान्त आगे बढ़ेगा। इसी आशय का मेरा छोटा सा कटौती का प्रस्ताव है वह आपकी आज्ञा से हाउस के समक्ष पेश करता हूँ।

१-५० प०

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : I beg to move, "That the Demand No.IX Major head 25- Genera lAdministration be reduced by Re. 1/-( to discuss the Government's recruitment and promotion policy)."

अध्यक्ष महोदय, किसी देश की शासन व्यवस्था के लिये या किसी राज्य का अच्छा इन्तजाम करने के लिये सबसे ज्यादा जरूरी यह चीज होती है कि उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका अच्छा केलिबर हो और उनमें इन्टिग्रिटि हो। इन दो चीजों का

( श्री पी. के. चौधरी )

खास ख्याल रखा जाता है। आज मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है वह इस लिहाज से किया है कि गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट पोलिसी है और जो प्रमोशन्स की पोलिसी है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूं। जिस ढंग से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है उससे सरकारी नौकरों में हम जिस स्टेन्डर्ड और केलिबर के लोग चाहते हैं वैसे नहीं आ पाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट है ५५-५५ की उससे साफ जाहिर होता है कि कमीशन ने जो रिकमन्डेशन्स किये हैं इम्पोर्टेन्ट मैटर्स में उनको गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया है। ऐसे अपोइन्टमेंट्स सरकार ने किये हैं जिनके बारे में कमीशन ने सन् ५२-५३ में सरकार को लिखा था उसका जवाब आज तक सरकार की तरफ से नहीं आया है और न कोई एक्सप्लेनेशन आये हैं कि फलां फलां अपोइन्टमेन्ट्स किस तरह से किये हैं?

कमीशन के पास जब किसी पोस्ट को एडवरटाइज़ करने के लिये लिखकर भेजते हैं तो उसमें रिक्विज़ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी बातें नहीं लिखकर भेजते हैं और यह नहीं लिखते हैं कि अमुक स्टेन्डर्ड के लोग भेजे जायं, फलां पोस्ट एडवरटाइज़ करिये और फलां पोस्ट की क्वालिफिकेशन फलां रखिये। बाद में यह लिखते हैं कि फलां क्वालिफिकेशन को रिलेक्स करिये। इसमें मिसाल दी है कि पहले ५ अकाउन्ट्स ओफिसर्स मांगे गये। तीन साल तक एप्रूव्ड केन्डिडेट्स जो थे पी. एस. सी. द्वारा उनको रखा गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन को रिलेक्स करके कमीशन के एप्रूव्ड केन्डिडेट्स को नहीं रखा गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि कमीशन की रिपोर्ट के डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। इन डिटेल्स को सदस्य पढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विसेज़ के स्टेन्डर्ड को मेन्टेन करना चाहिये और जैसा कि राजप्रमुख महोदय ने अपने स्पीच में कहा कि इनएफिशियेन्सी और करप्शन को दूर करना चाहते हैं उसी तरह से इन्हें दूर करना चाहिये। लेकिन केवल कहने से काम नहीं चलता। इसके लिये कोई ठोस कदम उठाना है।

सबसे बड़ा कदम यह है कि रिक्रूटमेंट मेरिट्स पर होना चाहिये और यह तभी हो सकता है जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिकमन्डेशन करता है उसी के अनुसार रेक्रूटमेंट होना चाहिये। जब उनमें एग्जेम्पशन मिलता है तो पर्सनल फेक्टर्स पर आते हैं और जान पहचान के लोगों को रखते हैं।

सरकार की दूसरी पोलिसी यह है कि परमानेन्ट अपोइन्मेन्ट करने से पहले रिकमन्डेशन के आधार पर ६ महीनों के लिये या साल भर के लिये टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट करती है और साल दो साल के बाद उस अपोइन्टमेंट को पी. एस. सी. एप्रूव्ड करा लेती है। यह तरीका गलत है। मैं सरकार का ध्यान रेल्वे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिये जो कानून है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज रेल्वे या सेन्ट्रल गवर्नमेंट में चाहे १ महीने के लिये भी टेम्पोरेरी तौर पर क्लास थ्री सर्विसेज़ के लोगों को अपोइन्ट करने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में भी ऐसा ही किया जाय। यहां पर ६ महीने या साल भर के लिये जान पहचान वालों को ले लेते हैं, साल भर बाद कमीशन को मजबूर करते हैं कि इन्हें सिलेक्ट किया जाय।

( श्री पी० के० चौधरी )

यह नहीं होना चाहिये । होना यह चाहिये कि हमारा साल भर का जो रिक्वायरमेन्ट है उसका अन्दाजा लगाकर कि अगले साल क्या होगा, एन्टिसिपेटेड रिक्वायरमेन्ट यह है, इस केडर में १० या उस केडर में ५० आदमी चाहिये उसके अनुसार पेनल कमीशन से मांग लें और पेनल के अनुसार ही सिलेक्ट किया जाय। जिस ऑर्डर में रिकमन्डेशन करते हैं उसी के अनुसार रिक्रूटमेन्ट करना चाहिये। लेकिन ये दूसरे तरीके से करते हैं। कमीशन का नाम लेकर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड बना लेते हैं । इसमें भी गलत कदम उठाते हैं। स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड बनाने के बजाय कमीशन के थ्रू ही लेना चाहिये। इसमें कमीशन के आदमी १ लेते हैं और डिपार्टमेन्ट के ज्यादा लेते हैं । पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर हम लाखों रुपये खर्च करते हैं, उसका पूरा बजट है इसलिए हमें उसी से काम लेना चाहिये । उस कमीशन में कमीशन के सदस्यों के साथ एक्सपर्ट आदमियों को बैठा सकते हैं। लेकिन अलग ही सिलेक्शन बोर्ड बैठाकर सिलेक्शन करना ठीक नहीं है।

मैं आपके सामने ताजा मिसाल पेश करना चाहता हूँ । आर० ए० एस० का इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हुआ। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भी आई० ए० एस० का इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट किया था। लेकिन उन्होंने इस रिक्रूटमेन्ट के लिए स्पेशल बोर्ड नहीं बैठाया था और यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन ने ही आई० ए० एस० में इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट किया था। इसी तरह राजस्थान सरकार भी कर सकती थी। इमर्जेन्सी बोर्ड ने ऐसे ऐसे लोगों को अलाउ किया है जो क्वालिफाइंग टेस्ट में फेल हुए हैं उन लोगों को वाइवोवोसे में बुलाया गया। हमने तो ऐसा भी सुना है कि मिस्टर एडिगे जो इस कमीशन के मेम्बर थे उनके रिटायर होने के बाद उनकी राय में आल्ट्रेशन भी किया है। मैं चाहूंगा कि गवर्नर महोदय आर० ए० एस० के रिक्रूटमेन्ट की जो फायल है उसको मंगाकर देखें कि इसमें ऐसा हुआ है या नहीं। मैं यह कहूंगा कि बोर्ड ने जो रिकमन्डेशन की है उसके अनुसार रिक्रूटमेन्ट न करके सरकार अपनी मर्जी के माफिक सिलेक्शन करती है। आर० ए० एस० में जो नाम आये हैं उनको देखने से पता चलेगा कि बड़े-बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को लिया गया है। फर्स्टक्लास जो लोग के उनको नहीं लिया गया है। हम कमीशन को छोड़ कर डिपार्टमेन्टल सिलेक्शन बोर्ड बनाते हैं। यदि ऐसा ही करते रहेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। इस तरह से सिलेक्शन करके लेंगे तो मेरिट पर जो लोग हैं उनको न लेकर रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों को लेंगे। आपको चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को लावें जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस हों, अच्छे केलिबर के लोग हैं, लेकिन यहां यह नहीं होता है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि हर साल जो जरूरत होती है उसको पहले ही से एसेस कर लिया जाय और कमीशन को पहले जानकारी भेज दे और कमीशन जो रिकमन्डेशन करे उसके अनुसार मेरिट ऑर्डर के माफिक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा चौथा, स्ट्रिक्टली उसी मेरिट के माफिक रिक्रूटमेन्ट करना चाहिये और जो स्पेशल पर्पज़ के लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिये । जो रिकमन्डेशन भेजते हैं स्ट्रिक्टली उसी के अनुसार लेना चाहिये। कमीशन रिकमन्ड करती है लेकिन फिर भी

( श्री पी० के० चौधरी )

किनको लेना, यह उन पर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ की सीरियल मेरिट ऑर्डर के माफक लेना चाहिए। यह बात जरूर हो। कमीशन जिस केन्डीडेट को रिकमन्ड करे, उसके एन्टीसिडेन्ट खराब हों, तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। एन्टीसिडेन्ट अगर खराब हों, तो रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन यह नहीं कि केन्डीडेट फिट नहीं है। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, कि मैंने एक कट मोशन भेजा था ग्रान्ट नम्बर ६ पर। मेरे कट मोशन के वर्डिंग ये थे। I wanted to discuss the wage-policy of the Government regarding the low-paid employees. That motion has not been included in it. I enquired from your Secretariat and I am told this is too wide a thing, and it is a policy matter. At the time of general discussion I was not given a chance for policy matters, so it could not be discussed. I want to say that it was not a policy matter, it was a specific issue. I want to discuss the policy regarding the low-paid empleyees, like Class Fourth servants. If the Hon'ble Speaker permits me particularly I would like to speak on that subject.

श्री अध्यक्ष : That is not here before me and I do not think you can go on that.

श्री पी. के. चौधरी : Pardon.

श्री अध्यक्ष : That question is not before me at present, there-fore, instead of entering into the discussion about that we should proceed on to other cut motions.

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है : "That the Demand No. IX, major head 25 General Administration be reduced by Re. 1 (To discuss the standard of Administration which is deteriorating every day). अध्यक्ष महोदय, इस मोशन को पेश करने का मेरा अभिप्राय यह है कि आज सर्विसेज़ में एफिशियेन्सी नजर नहीं आ रही है। आज हम सब तरफ देखते हैं कि जो भी जनता की शिकायत होती है, उनके निराकरण में इतना विलम्ब होता है कि सारे परेशान हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि बीकानेर के मूंदड़ा मेटल वर्क्स के जमीन के सम्बन्ध में कागजात सेक्रेटेरियट में १६४७ से पेंडिंग हैं, आज तक उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और यह बड़े दुःख का विषय है कि उनका काम न होने के कारण पिछले दिनों उसके मालिक का देहान्त सेक्रेटेरियट में हो गया। इस रेड टेपिज़्म के कारण एफीशियेन्सी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नजर नहीं आती। आज हर डिपार्टमेंट में गुटबन्दी की भावना नजर आती है। मेडीकल डिपार्टमेंट में ऐसा महसूस होता है कि गुटबन्दी के कारण इस तरह से ट्रान्सफर हुए हैं कि कुछ ने गुटबन्दी के बल पर अपने ट्रान्सफर जहाँ चाहे वहाँ करवाय। साथ ही साथ विरोधी लोग जहां ट्रांसफर चाहते हैं, वहां उनका ट्रांसफर नहीं होता। मैं बीकानेर का ही उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर का बीकानेर से किशनगढ़, फिर जयपुर ट्रांसफर किया गया, इस कारण से कि वह

Page No.42



( श्री भीमसेन )

डाइरेक्टर के ग्रुप में नहीं था । इसी प्रकार बीकानेर होस्पीटल से नर्स एन्ड मिड वाइफ की ट्रेनिंग सन् १९५८ से इस वजह से बन्द की जा रही है कि वहाँ के पी. एम. ओ. डाइरेक्टर के ग्रुप में नहीं हैं। इसी तरह से मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर्विसेज में इस तरह की ग्रुपबन्दी से एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज भी अखबार में मैंने पढ़ा कि बारां के स्कूल में मास्टरों में ग्रुपबन्दी है और उसकी वजह से उनमें आपस में लड़ाई हुई और उनके सिर फूट गये। जहाँ ऐसी भावना होती है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर बुरा असर पड़ता है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि Public works Department को एस्टीमेट कमेटी ने मान लिया कि बीकानेर में मीटर सिस्टम की नेसिसिटी नहीं है, लेकिन एस्टीमेट कमेटी के मान लेने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई नजर आ रही है।

दूसरी बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, वे अच्छी तरह मेन्टेन नहीं की जातीं। एन. ई. एस. ब्लॉक्स की जो व्हीकल्स हैं, उन्हें साग सब्जी लाने के लिए, अफसरों के प्राइवेट काम के लिए काम में लाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेन्डीचर पर कोई कंट्रोल नहीं। पी. ए. सी. की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि करोड़ों रुपया प्राइवेट फर्म्स और एक्स रूलर्स में बकाया है लेकिन उसकी रिकवरी के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। इस तरह की शासन में चीज़ आती जा रही है, उससे हम कह सकते हैं कि आज इस तरह की चीज़ इसलिए आ रही है कि अफसर समझते हैं कि वे अफसर हैं, आज उनमें यह भावना होनी चाहिए कि हम पब्लिक के सेवक हैं, सर्विस उनका मोटो होना चाहिए। आज उनकी मनोवृत्ति यह है कि हम अफसर हैं और आज्ञा करने के लिए हैं। आज राज्य की सर्विस क्लास में यह भावना पैदा करनी है कि जो सर्विस क्लास के लोग हैं वे पब्लिक के लोग हैं।

१. ६ प०म०

(उपाध्यक्ष, श्री निरंजननाथ आचार्य, पदासीन)

वे जनता के सेवक हैं, उन लोगों में यह भावना पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए लेकिन जो शिकायतें पब्लिक के पास से आती हैं, उन पर रेड टेपिज़्म के कारण कई वर्षों तक विचार नहीं होता, उन शिकायतों को दूर करने में कई वर्ष लगते हैं। इसीलिए मैंने सरकारी कर्मचारियों में जो इनएफीशियेन्सी है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनएफीशियेन्सी है, उसको दूर करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कट मोशन मूव किया है। यदि मुझे मंत्री महोदय की तरफ से विश्वास दिला दिया जायगा तो मुझे कट मोशन वापिस लेने में आपत्ति नहीं होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

[अनुपस्थित]

राव राजा श्री सरदारसिंह

[अनुपस्थित]

श्री छोटूसिंह।

[अनुपस्थित]

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय, I beg to move, "That the Demand No. IX Major head 25—General Administration be

# Page No.43



( श्री भैरोंसिंह )

reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Anti- Corruption Board in checking the growing corruption in the Administration)."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना एक कटौती प्रस्ताव इस कारण से रखा है कि राजस्थान में पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का यह पहला मौका है कि सरकार की ओर से श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस गंभीर परिस्थिति को महसूस किया है और इस गंभीर परिस्थिति के कारण हमारी राजस्थान सरकार ने इस सारे मसले को अहमियत देते हुए एक विशेषाधिकारी की नियुक्ति की है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन सारे कदमों का प्रश्न आता है सरकार के सारे स्टेप्स सराहनीय हैं लेकिन हमें साथ ही साथ यह सोचना पड़ेगा कि एन्टी-करप्शन बोर्ड के मसले को लेकर जो विशेष खर्चा करने जा रहे हैं, उससे कितना विशेष लाभ होगा और इसके द्वारा कितने करप्शन के केसेज ट्रेस आउट करके करप्शन करने वाले कर्मचारियों को सजा दे सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि एन्टी करप्शन बोर्ड में किस प्रकार के व्यक्तियों को सदस्य बनाना चाहिये। मेरा यह मत है, जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में जुडिशियरी और एग्जीक्युटिव जुदा जुदा होना चाहिये ताकि जुडिशियरी जुडिशियल नेचर से फैसले देने में स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके, उसी तरह मैं यह कहूँगा कि जुडिशियरी से किसी कदर एन्टी करप्शन बोर्ड के अधिकार कम नहीं हैं। ऐसी सूरत में सोचना पड़ेगा कि जो एन्टी करप्शन बोर्ड का निर्माण किया है, जिस एन्टी करप्शन बोर्ड को इसलिये बनाया है कि, भ्रष्टाचार नामक कीड़े को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाय, उस एन्टी करप्शन बोर्ड में किस तरह के आदमियों को लिया जाय। मुझे भय है कि राजस्थान एन्टी करप्शन बोर्ड के चेअरमेन हमारे सदन के सदस्य श्री रामकिशोर जी व्यास जो गृह मन्त्री भी हैं, वे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं उनके चरित्र के बारे में आपसे नहीं कहना चाहता लेकिन निश्चित रूप से यह कहूंगा कि नीति के नाते यह बिलकुल गलत है। वे गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग उनके पास है, इसी विभाग के पास एन्टी करप्शन का काम है, तो करप्शन का काम भी कम नहीं है। कोई ऐसा मसला आ जाय, पुलिस अधिकारी और गृह मंत्री की जांच में ऐसा प्रश्न आ जाय कि जिसमें दोनों एक मत हों तो वैसी सूरत में गृह मन्त्री उस पर अपनी राय देंगे। फिर वह मामला एन्टी करप्शन बोर्ड के सामने प्रस्तुत होगा। तो जो राय वे दे चुके हैं, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पर अपनी राय दे चुके हैं, उसके खिलाफ एन्टी करप्शन बोर्ड में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सोचने की बात है कि आज जैसे युग में क्या एन्टी करप्शन बोर्ड का चेअरमेन मिनिस्टर होना चाहिये, या उच्च श्रेणी का जुडिशियल ऑफीसर होना चाहिये। एन्टी करप्शन बोर्ड का चेअरमेन गृह मंत्री के स्थान पर कोई उच्च श्रेणी का जुडिशियल ऑफीसर होता, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध आज तक फैसले नहीं होते। जो आज अभी तक बिना किसी फैसले के एन्टी करप्शन बोर्ड के पास

( श्री भैरोंसिंह )

पढ़े हुए हैं ? पर दलगत राजनीति का प्रश्न सामने आता है, मातहत का प्रश्न आता है, तो यह स्वाभाविक है कि हम अपने मातहत को प्रोटेक्शन दें, संरक्षण दे, हृदय की उमंग इसी प्रकार की होती है कि अपने मातहत को प्रोटेक्शन दें, ऐसी उमंग हमारे गृह मन्त्री में भी होगी। ऐसी सूरत में जिस जुडिशियल नेचर से फैसले की आशा करते हैं वह नहीं हो सकता।

मैं गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर देते समय ये आंकड़े जरूर दें कि एन्टी करप्शन बोर्ड में इतने केसेज़ आये, इतने केसेज़ में सजा दी गई, इतने पेंडिंग हैं; पर मैंने सुना है कि दो–दो, ढाई–ढाई महीनों बोर्ड की बैठक नहीं होती है, समय पर सदस्य नहीं आते हैं, समय पर सूचना भी नहीं दी जाती है, समय पर सूचना दी जाती है तो प्रीएन्गेजमेंट होने से मीटिंग में नहीं जाते और बैठकें ही जब दो–दो महीनों और ढाई–ढाई महीनों तक नहीं होती है तो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वे इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से बच जायं, और वे लोग बच भी निकलते हैं। इसके अलावा मैं इस बारे में एक बात और निवेदन करूंगा कि चर्चा इस बात की है कि इस एन्टी करप्शन बोर्ड के एक माननीय सदस्य चुनाव के सिलसिले में देहली गये थे और हाई पार्लियामेंटरी बोर्ड के सामने जब वहां उनका मामला आया तो वे स्वयं वहां उपस्थित थे, मेरी जानकारी के अनुसार, वह जानकारी सत्यता के ऊपर आधारित है। उस समय मुरारजी देसाई ने कहा था कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिये..........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, please note measures, not men, are discussed in the Assemblies.

श्री अर्जुनदास : It is not men that he is discussing.

श्री भैरोंसिंह : मैंने नाम नहीं बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : You are, however, mentioning some persons, not connected with the relevant question.

( विराम )

Please proceed.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह कह कर टिकट देने से इन्कार किया जाने वाला था कि उनके खिलाफ ऐसी शिकायतें हैं कि इन्होंने अलवर राज्य के पोलो ग्राउन्ड की जमीन को हड़प लिया। अलवर और दिल्ली में भी इसकी चर्चा हुई और कतिपय समाचार पत्रों में इसका उल्लेख हुआ। जनता के सामने विपरीत परिस्थिति आई, जनता के दिलों में विपरीत प्रतिक्रिया हुई कि जो स्वयं भ्रष्टाचार के कामों में फंसे हुए हैं, जनता यह सोचने लगी कि ऐसे लोग जो स्वयं भ्रष्टाचार के कामों में फंसे हुए हैं वे एन्टी करप्शन बोर्ड के मेम्बर हैं; तो उनसे क्या आशा की जा सकती है कि वे एन्टी करप्शन बोर्ड में मेम्बर के नाते बैठ कर करप्शन की चीजों को रोक सकेंगे।

मैं किसी के चरित्र के बारे में निवेदन नहीं करना चाहता, पर ऐसी चीजें सामने आई, जिनके सामने आने के कारण एन्टी करप्शन बोर्ड के प्रति जनता के दिलों में श्रद्धा भावना होनी चाहिये थी उसमें कमी आई है इसके कारण आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता यह सोचती है

( श्री भैरोंसिंह )

कि एन्टी करप्शन बोर्ड के द्वारा करप्शन के मामले तय नहीं हो सकते, जब तक कि एन्टी करप्शन बोर्ड के मेम्बर राजनैतिक दल के होंगे। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि अपने लोगों के खिलाफ कार्यवाही का मौका आया तो कार्यवाही कर सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के भयंकर, भ्रष्टाचार के चार्जेज़ हैं, पर चूंकि पार्टी के नेता हैं इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सदन में पांच-सात दिन पहले जिक्र आया था कि जयपुर जिला बोर्ड में लाखों का घोटाला हुआ है। उस समय स्वायत्त शासन मन्त्री ने कहा कि भूतपूर्व जिला बोर्ड के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ ऐसे चार्ज थे। मैं कह देना चाहता हूं कि जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष ने लाखों रुपयों का घोटाला किया, केवल यही बात नहीं है बल्कि जिला बोर्ड के अधिकांश सदस्य जो सरकार द्वारा मनोनीत किये हुए सदस्य थे उन्होंने भी जनता के धन का दुरुपयोग किया है।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं कुछ बातें जरूर सदन के सामने रखूंगा जिनसे सदन तय कर सके कि किस कदर सरकार ने एन्टी करप्शन के मामले एन्टी करप्शन बोर्ड के पास नहीं भेजे। ४५०५४ रुपया श्रमदान के नाम से जयपुर जिला बोर्ड के खाते में लिखे हुए हैं, ८०१० रुपये नवलकिशोरजी को दिये, उनमें से ३५१ रुपये आये हैं। १८०० रुपये हजारीलालजी को दिये गये उनमें से ४५२ रुपयों का हिसाब आया है। १६०० रुपया श्री रामकिशोर शर्मा को दिये गये उनका हिसाब नहीं दिया है, ४०६५ रुपये श्री कल्याणमल को दिये गये उनका हिसाब नहीं दिया है, ४०० रुपये वैद्य श्री लक्ष्मणलाल को दिये गये, उनका हिसाब नहीं दिया है, २५७५ रुपये श्री मंडन मिश्र को दिये गये, हिसाब नहीं दिया व २०० रुपये रामेश्वर प्रसाद को दिये गये, हिसाब नहीं दिया। तो हिसाब नहीं आता और कहा जाता है कि भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा मामला है, तो सदन सोच सकता है कि दलगत नीति के कारण करप्शन के केसेज़ में कोई कार्यवाही नहीं की जाती सरकार चुनौती स्वीकार करे, तो वह रिपोर्ट मैं सदन की मेज पर रख सकता हूँ जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कितना कितना सबने खाया है। १४००० रुपया यात्रा व्यय के नाम से लिया, अपनी कार में बैठ कर गये, बैराठ से चल कर जयपुर आये, १४००० रुपया झूठे सर्टिफिकेट देकर लिये गये। एक ही नहीं आज के वर्तमान अध्यक्ष जिनके ऊपर सरकार गर्व करती है कि ऐसे आदमी के हाथ में जिला बोर्ड को दिया है, जिनमें भ्रष्टाचार की गन्ध तक नहीं आती, उन्होंने झूठे टी. ए. बिल देकर रकम ली है।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि एन्टी करप्शन बोर्ड के हाथ में इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए कि लाखों रुपयों के घोटाले का कोई मामला उनके ध्यान में आता है तो वे स्वतः ही कार्यवाही करें। लेकिन सरकार के पास रिपोर्ट पेंडिंग है, सरकार विचार कर रही है, सम्बन्धित व्यक्तियों को पूछा गया है, या पूछ-ताछ के लिए बुलाया गया है। ये ऐसे चुने हुए वाक्य हैं कि कोई समय की अवधि ही नहीं; विचार के लिये छः, छः; महीने लगें, रकम उनसे वापिस नहीं आये और फिर सरकार कहे कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

# Page No.46



( श्री भैरोंसिंह )

पिछले साल में जंगलात का जिस तरह सफाया किया गया, एक राजनैतिक दल ने कुछ इलेक्शन लड़ने और कुछ अपना पेट भरने के नाम पर जगलों का सफाया किया, मुख्य मन्त्रीजी को स्वतः लगेगा कि राजस्थान सरकार ने किस प्रकार जंगलों को कटाया है, रुपया ऐंठा है ? सरकार ने अपने कामों के लिये नहीं पर कुछ लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिये किस प्रकार जंगलों का सफाया कराया है। एक एक जंगल में कितना रुपया प्राप्त किया है ? अगर पूछा जाए तो मैं आपको आंकड़े सहित बता सकता हूं और यह भी बता सकता हूँ कि किस तारीख को वह ठेका कितने रुपयों में मन्जूर किया गया। जिस समय सदन में प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब ऊटपटांग दे दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बयानसिंह नाम के व्यक्ति ने ठेका लिया। ठेके की बोली खत्म होते ही चौथाई रकम जमा कराई जाती है और यह एक कायदा है कि जब ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार चौथाई रकम सरकार में जमा कराते और वह इसलिए जमा कराई जाती है कि यदि समय पर ठेका नहीं लिया जावे और अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि ठेकेदार इन्कार कर जाए तो वह चौथाई रकम उस पर दंड के रूप में जब्त कर ली जाती है और इसी-लिये वह रकम सरकार में जमा कराई जाती है। इसके बारे में कल या परसों माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्य मन्त्री-जी से निवेदन करूंगा कि एग्रीमेंट हुआ है और यदि वे एग्रीमेंट की कोपी देखना चाहें तो देख सकते है, मगर पहले इस एग्रीमेंट की कोपी अपने दफ्तर में टटोलें और अगर नहीं मिलती है तो मैं बता सकता हूं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि एग्रीमेंट हुआ नहीं। यह एक नियम है, मगर उसकी परवाह नहीं करते।

रेन्ज अचरावल में चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने ठेका देना ना मन्जूर किया क्योंकि उनको एवरेज इन्कम मिल नहीं रही थी। मगर जो लोग ठेका लेने में इन्ट्रेस्टेड थे, माननीय मन्त्रीजी के पास पहुँचते हैं। झालावाड़ के दो व्यक्ति थे वे जाते हैं मन्त्री महोदय के पास और उनको ठेके की पर्मिशन मिल जाती है। उन्होंने जंगल काटना शुरू किया। मगर चूंकि उनके साथ एक प्रकार का सौदा हुआ था, माननीय मन्त्री महो-दय यदि इसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो मैं कहूँगा, मगर वे सदस्य यहां नहीं हैं इसलिए मैं उनके विषय में कहना नहीं चाहूँगा ; मगर चूंकि वह सौदा था उस सौदे की पूर्ति न हो पाई तो ठेकेदार को जो ठेका चीफ कन्जरवेटर ओफ फोरेस्ट की इन्कारी के बावजूद भी दिया गया था उसके लिए उन ठेकेदारों के पास एक हुक्म जाता है कि तुम्हारा ठेका कैंसिल किया जाता है। अगर वह ठेका इस सिद्धान्त पर कैंसिल किया जाता कि फोरेस्ट को जितनी इन्कम इससे होनी चाहिये नहीं हो रही है तो फोरेस्ट मन्त्री उस ठेके को कन्जर्वेटर ओफ फोरेस्ट के इन्कार करने के बावजूद क्यों देते। मगर वास्तव में यह बात नहीं थी। यह तो एक सौदा था। जब सौदे की शर्तों के माफिक काम नहीं हुआ तो फोरेस्ट मिनिस्टर ने उसको कैंसिल कर दिया। बाद में सौदा फिर से तय हो जाता है तो बगैर किसी कारण बताये उसी ठेके की उन्हीं ठेकेदारों के नाम मंजूरी भेज दी जाती है। माननीय चीफ मिनिस्टर से कहूंगा कि एक नहीं इस प्रकार की सैकड़ों

( श्री भैरोंसिंह )

मिसालें हैं। सारे जंगल काटे जाते हैं, क्या कार्यवाही करते हैं ?

एक जगह बांस का ठेका ४६ हजार में देने की बोली लगी थी। चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट ने सोचा कि यह रकम एवरेज इन्कम से कम है ठेका नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इसको अगले साल ४६ हजार से ज्यादा में ठेका दे दिया जायगा अतः उसने ठेके को पोस्टफोन कर दिया होता। क्या है, कुछ इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति मन्त्री महोदय के पास जाते हैं, उनसे मिलकर ठेके को कोशिश करते हैं। इस पर दुबारा बोली लगाई जाती है। इस बार १८००० रु० की बोली लगती है और वह ठेका १८ हजार रुपयों में दे दिया जाता है। आप देखिये पहले जिसकी ४६ हजार की बोली लगी थी उस समय कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट ने सोचा कि यह रकम एवरेज इन्कम से कम है इसलिए पोस्ट फोन किया, उसी को फोरेस्ट मिनिस्टर ने १८ हजार में दे दिया। जब प्रश्न पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जनता की सहूलियत के कारण ऐसा किया गया, पब्लिक ऐसा चाहती है। आपने ४६ हजार में ठेका नहीं देकर १८ हजार में दिया। आपने पब्लिक के २८ हजार रुपयों का नुकसान किया। अपनी पोकेट भरने की बात को पब्लिक के हित की बात कहते हैं, जो वास्तव में सत्य नहीं है। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि जहां सरकार के नाम पर, जनता के हित में, काम करने के नाम पर अपनी पॉकेट भरने के लिए विभागों की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए भ्रष्टाचारी व्यक्ति मौजूद होते हैं और उनका एन्टीकरप्शन कुछ नहीं करता, तो क्या हम यह न समझें कि एन्टीकरप्शन बोर्ड दलगत राजनीति में फंसा होने के कारण एक्शन नहीं ले रहा है ? जब राजनीति में फंसा है तो कोई व्यक्ति उससे क्या इन्साफ की उम्मीद कर सकता है ? जब ऐसी बात है तो कोई भी चेयरमैन भला किसी को किस प्रकार से नोटिस देगा ?

हमने इस बात का अनुभव किया है। बिजलीघर में सतसंगी साहब का केस हुआ है और बिजली घर में उनके कारण लाखों रुपयों का घोटाला है। इनके बारे में भारत सरकार की ओर से संकेत मिला कि इनका चालान किया जाये। यह मेरी सूचना है। यह बात मैं मेरी सूचना के आधार पर कह रहा हूं। बिजली घर में लाखों रुपयों का घोटाला है, मगर चूंकि सतसंगी साहब एक राजनैतिक नेता के संगी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं; माननीय चीफ मिनिस्टर साहब बरबस खामोशी में मौन हो रहे हैं। यदि इस युग में एन्टीकरप्शन बोर्ड चाहता तो कभी का सतसंगी साहब का चालान कर देता और वे कभी के गिरफ्तार हो गये होते। माननीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार के लिखने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है फिर कैसे माना जा सकता है कि एन्टीकरप्शन बोर्ड ने जो काम किया है वह ठीक है ?

माननीय उपाध्यक्ष, आज-कल रिश्वत लेने के नये नये तरीके ईजाद हुये हैं। इस प्रकार रिश्वत लेने के तरीके राजस्थान में थे या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी नये इजाद हुये हैं। वे इस प्रकार के हैं कि जिसे आजकल मेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस कहते हैं। यदि किसी के पैसे लेने हों, किसी का काम कराना हो, मन्त्रियों के पास पहुँचना हो, यदि

# Page No.48



( श्री भेरोंसिंह )

कोई पैसे आंटना चाहते हों तो सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस के नाम पर ले सकते हैं। इसके लिये एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो लॉ ग्रेजुएट हो। चाहे उसकी कोर्ट में पांच रुपया माहवार की प्रेक्टिस भी नहीं चलती हो, चाहे उसके पास एक भी मुकदमा नहीं आता हो, चाहे उन्हें कोर्ट के हर मुकदमें में हार खानी पड़ती हो, मगर इस बात की वहां चिन्ता नहीं। वे भले ही कोर्ट के लिये अयोग्य हों लेकिन उनकी खास क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिये कि वह एक मंत्री जी के विश्वसनीय व्यक्ति होने चाहिये। इसके सिवाय कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। उनके मुकदमों या किसी दूसरी क्वालिफिकेशन का रेकार्ड देखने की आवश्यकता नहीं। एक बात देखने की जरूरत है, वह यह कि मन्त्री जी का आदमी हो। यदि मंत्रीजी का लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या कोई रिश्तेदार मिल जाए तो भी अच्छा है। आजकल जयपुर में इस सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस को लेकर अजीब अजीब किस्से हुए हैं। यहां पर यह प्रेक्टिस काफी बढ़ गई है और वह एक सीमा उलंघन कर गई है। अगर इसको अब कोई रोकना चाहे तो वह रुक भी नहीं सकती है। ऐसी सूरत में हम सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस पर विचार करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि क्या इसको एन्टीकरप्शन विभाग के द्वारा रोका जा सकता है ?

एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा। वह है एक कल्याणबख्श की। कल्याणबख्श ने चौकडी तोपखाना में एक आरा मशीन लगाई, नीदड़ रावजी के नौहरे में। लोगों ने, जो वहां आस पास रहते हैं, शिकायत की कि हाइजिनिक पोइन्ट ओफ व्यू से इस आरा मशीन को यहां पर न लगाया जाये। इसकी जांच हुई। म्युनिसपल एडमिनिस्ट्रेटर, इन्सपेक्टर, हेड ओफ टेकनीकल एडवाइजर आदि सभी ने इसकी जांच की और सबों ने यही एक राय से तय किया कि यह जमीन मशीन लगाने के कायदे के विरुद्ध है और पब्लिक नहीं चाहती इसलिए इसकी यहां पर आवश्यकता नहीं है, इसको यहां से हटाया जावे। जब यह व्यक्ति म्युनिसिपेल्टी में हार गया और दूसरी सब जगह हार गया, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना निर्णय उसके विरुद्ध दे दिया, म्युनिसिपल बोर्ड में जीत नहीं सका तो उसने इसी सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस का हाथ पकड़ा। उसने मुहम्मद तकी साहब से हाथ मिलाया मोहम्मद तकी साहब की प्रेक्टिस कितनी चलती है या नहीं चलती यह मुझे मालूम नहीं मगर आपने सबसे बड़ी बात यह की कि उनको कामयाबी दिला दी। सेनीटरी इन्सपेक्टर यह कहते थे कि मशीन दीवार से तीन गज दूरी पर है। एडमिनिस्ट्रेटर लिखता है कि दीवार से ३ गज पर है, मगर सरकार का फैसला यह होता है कि तीन गज का फासला नहीं वहां पर ३० गज की दूरी पर मशीन है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि यह जनता की राहत देने के लिये ठीक है। सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस की मदद से उनका मामला ठीक हो गया। माननीय अध्यक्ष, यह फैसला मेरे पास है। मैं इसको पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। माननीय मन्त्री महोदय अगर इसको देखना चाहें तो मुझसे ले लें और पढ़ लें। यह फैसला शाह अलमुद्दीन ने सरकार की तरफ से दिया है। बड़ी दिलचस्प बात है। पब्लिक कहती है कि ३० गज की दूरी पर मशीन नहीं है, म्युनिसिपेल्टी कहती है कि ३० गज की दूरी पर नहीं है, मगर मन्त्री जी कहते हैं

( श्री भैरोंसिंह )

कि ३० गज की दूरी पर है इसलिये इसको हटाने की जरूरत नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी घड़घड़ाहट से मकानों को जो आस पास हैं गिरने का अन्देशा है, दो तीन मकान ऐसे हैं जो निश्चित रूप से एक दो महीनों में इसकी घड़घड़ाहट से अवश्य गिरेंगे। ऐसी सूरत में माननीय उपाध्यक्ष, रिश्वतखोरी के नये नये तरीके इजाद हो रहे हैं। क्या सरकार इस संबंध में निश्चित रूप से किसी प्रकार की, इसको समाप्त करने की व्यवस्था कर सकेगी? मैं समझता हूं कि इस एन्टी-करप्शन बोर्ड की इस समय कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ही हम इसके द्वारा भ्रष्टाचार जैसी चीज को दूर कर सकेंगे। पर उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी राजस्थान का सार्वजनिक विभाग ऐसा है जिसके अन्दर पैसे-टके नहीं लिये जाते हैं, भ्रष्टाचार का काम नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एन्टीकरप्शन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो कड़े आदमियों की, सख्त आदमियों की है। जो आदमी पार्टी लेविल से ऊंचे रहें, निष्पक्ष आदमी हों, ऐसे आदमियों की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सीधा आरोप है। मैं समझता हूं कि यदि इनके जिम्मे एक ही काम रहे तो उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो वास्तव में राजस्थान में से भ्रष्टाचार के भूत को दूर करने की कोशिश करेंगे।

उपध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सी बातें हैं लेकिन यहां सदन में मैं एक उदाहरण देकर इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाहूंगा। यह बात जो मैं कहने जा रहा हूं यह सदन के शायद सभी माननीय सदस्य जानते हैं और यह हमारे मंत्रियों की भी जानकारी में भी है कि छापरवाड़ा कैनाल का रीमोडलिंग हुआ है। इसके लिए एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने एक फाइनल बिल १६,७०० रुपये का बनाया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा ऐसा फाइनल बिल बनाया जाता है तो यह मानकर चला जाता है कि जिस काम का यह बिल बना है उसका जितना भी काम होता है उस का नापा किया जाता है, उसको अच्छी तरह से देखा गया है और जितने का बिल एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बना कर देता है उतने का काम हुआ है। वह यह भी देखता है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी शर्तें रखी हुई थीं वह पूरी हुई या नहीं हुई, इस प्रकार की जांच होती हैं। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के द्वारा १६,७०० रुपये का बिल फाइनल बना उसके बाद में सुप्रिन्टेन्डेन्डींग इन्जीनियर को कुछ शक हो गया और उन्होंने इसकी जांच की तो मालूम हुआ कि १६,७०० रुपये का काम नहीं हुआ है। वह वहां गये और पता लगा कि १६,७०० रूपये के बिल में १६,००० रुपये का बिल बिलकुल बोगस है। उन्होंने इस बारे में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को रिपोर्ट की। लेकिन एक साल का अरसा गुजर गया उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई जांच नहीं हुई है, कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है। जब इन्कवायरी का वक्त आया तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके मैनेजेमेन्ट में कमी थी उसको पूरा किया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यह रकम जो छापरवाड़ा कैनाल की थी उसको मजूर कर दिया गया। मुझे शक है कि जहां इस प्रकार के घोटाले होते हों तो हम कैसे उम्मीद कर सकते है कि हमारे काम ठीक तरह से चल सकते हैं? हमारा इसको दूर करने का एक एन्टीकरप्शन विभाग है।

( श्री भैरोंसिंह )

एन्टीकरप्शन का नाम तो बड़ा सुन्दर है। राजस्थान के गृह मंत्री इसके चेयरमैन हैं, विरोधीदल के एक सदस्य भी इस बोर्ड के सदस्य हैं। तो जब सत्ता के ही उच्च आदमी इस बोर्ड में हैं तो इसका काम धीरे ही चलेगा। इस बोर्ड के कई दिनों तक तो रूल्स ही नहीं बने और न अब हैं। इस बोर्ड की किस प्रकार बैठकें होंगी, उसका कोरम क्या होगा, सस्पेन्शन के पॉवर्स और बाकी के जितने भी पावर्स होंगे उनको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे ? इस तरह की कोई बात अभी तक नहीं है। चेयरमैन का सिलेक्शन हो, गया लेकिन उसके बाद में नियम नहीं बने और इसके कारण हमारे गृह मंत्री जी को कितने दिन बेकार बैठे रहना पड़ा, यह वह स्वयं ही बतायेंगे। मुझे ताज्जुब होता है इस बात को देख कर कि जहां छोटे छोटे दफ्तरों में, सेक्रेटेरियेट मे भ्रष्टाचार भरा पड़ा हो वहां का एन्टीकरप्शन बोर्ड बेकार बैठा रहे। यह इस बात का सबूत है कि एन्टीकरप्शन बोर्ड के मेम्बरों में कोई इन्सेन्टिव नहीं है। बल्कि इस एन्टीकरप्शन बोर्ड को तो ऐसा समझना चाहिये कि इस तरह का बोर्ड केवल जनता को धोखा देने के लिए है, लोगों की आवाज को बन्द करने के लिए है। इसलिये मैंने यह जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस एन्टीकरप्शन बोर्ड के री–कॉन्सटीट्यूशन की आवश्यकता है, इसको ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। केवल यह कह कर कि बोम्बे वाला कोई स्पेशल आई० जी० पी० बुलाया गया है और उससे रिश्वत बन्द हो जायगी, यह बात मैं नहीं मानता।

**श्री उपाध्यक्ष** : The Hon'ble Member has two more cut-motions to discuss.

**श्री भैरोंसिंह** : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सोच लिया जाय कि एक स्पेशल आई० जी० पी० की नियुक्ति से सारा करप्शन का मामला समाप्त हो जायगा, यह बिलकुल गलत बात है। एन्टीकरप्शन बोर्ड में अच्छी अच्छी पर्सोनेलिटीज होंगी, अच्छे चरित्र के आदमी होंगे जिनका असर समाज के ऊपर हो, राजनैतिक नेताओं के ऊपर हो, सरकारी अधिकारियों के ऊपर हो, इस तरह के चरित्रवान् पुरुष यदि इस प्रकार एन्टीकरप्शन बोर्ड में होंगे तो मैं कहूँगा कि राजस्थान सरकार का यह काम बहुत ही सराहनीय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में भी शर्म आती है कि न केवल राजस्थान सरकार के अधिकारी ही रिश्वत खाने के दोषी हैं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जनता के अन्दर भी एक इस प्रकार का तत्व बन रहा है, इस प्रकार की भावना पैदा हो रही है जो सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाती है। लेकिन सरकार एक सत्ता हाथों में लिए हुए है। सरकार अपनी ओर से यदि कोई कार्य करना चाहे तो वह जनता को भी दुरुस्त कर कर सकती है। लेकिन जहां एक तत्व पैदा हुआ है उसको रोकने की चेष्टा करनी पड़ेगी, यह इस तरह हो सकता है कि हम जो श्रेष्ठ चरित्र के धाक जमाने वाले व्यक्ति हैं, हम जो जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं वे जनता के सामने उदाहरण पेश करेंगे कि हमारे चरित्रों के बारे में कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। जितने भी राजनैतिक दल में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका चरित्र साफ होना चाहिये। लेकिन उसके लिए उदाहरण स्वरूप होना पड़ेगा। आज जनता खास तौर से मंत्रियों के विरुद्ध, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरोप

# Page No.51



( श्री भैरोंसिंह )

लगाती है तो उसका असर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जनता पर कोई अच्छा नहीं पड़ता। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज तक का एन्टीकरप्शन बोर्ड बड़ा इनइफेक्टिव रहा है और इसीलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह, लिस्ट नम्बर ३, सीरियल नम्बर ५२।

**श्री भैरोंसिंह** : Mr. Dy. Speaker, Sir......

**श्री उपाध्यक्ष** : The Ho'le memb-er before you resume the debate I as a last servant of the House would beseach your cooperation to consider over the adjustment of time eonsumed.

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हिन्दी में बोला करिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order plese

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : (जारी) मेरा दूसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That the Demand No. ix Major Head 25 General Administ-ration be reduced by Rs. 100/- (To Discuss the failure of the Gov-ernment to increase the salaries of the low paid employees)."

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस समय भी बजट प्रस्तुत होता है राजस्थान के हजारों कर्मचारियों की आंखें बजट की ओर लगी हुई होती हैं। हर एक कर्मचारी इस बात की आशा बना कर चलता है कि आगामी वर्ष का जो बजट इस सदन में प्रस्तुत होने वाला है उसके अन्दर उनकी तनख्वाहों के बढ़ाने के बारे में भी किसी न किसी प्रकार का उल्लेख होगा। राजस्थान सरकार ने जो अभी दो महीने पहिले एक अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था उसमें जितने भी लो-पेड एम्पलॉईज़ थे और जिनकी १०० रुपये से कम तनख्वाह थी उनकी तनख्वाहों के अन्दर पांच रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा और इस बजट के अन्दर उन पांच रुपयों को एडजस्ट किया है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा देखा है कि राजस्थान की सरकार जिस समय भी लो-पेड एम्प्लॉईज़ की तनख्वाह के बारे में विचार करती है, उस समय उनके सामने एक ही दृष्टिकोण रहता है और वह दृष्टिकोण यह रहता है कि जितने भी कर्मचारी हैं और जिनको कि कम तनख्वाहें मिल रही हैं उनके पांच रुपये बढ़ा दिये जायें, उनके १० रुपये बढ़ा दिये जायें, २० रुपये बढ़ा दिये जायें; तो मैं समझता हूँ कि सरकार का इस तरह का दृष्टिकोण सहानुभूति का सूचक है लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज के जितने भी अल्पवैतनिक कर्मचारी हैं उनकी यह तनख्वाह कम क्यों है और यह तनख्वाह कम होने का क्या कारण है; तो इस विषय में हमारी समझ में यह आएगा कि जिस समय अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों के राज्य में जितने भी अल्पवैतनिक कर्मचारी थे; एल. डी. सीज़. थे, चपरासी थे, यू. डी. सीज़. थे इन सब को कम तनख्वाह मिलती थी। वह इतनी कम मिलती थी कि जिसके आधार पर हमारी सरकार, उस समय के हमारे नेताओं ने, जिन्होंने स्वतन्त्रा के संग्राम में बहुत हाथ

( श्री भैरोंसिंह )

बताया उन्होंने भी कहा था कि अंग्रेजों के राज्य के अन्दर जितने भी छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनका पेट नहीं भरता है। पेट न भरने के कारण देखे हैं। उस समय इस प्रकार के आश्वासन मिलते थे कि हमारा देश जब आजाद होगा, हमारी हुकूमत होगी उस समय दूसरे-तीसरे नम्बर पर यह काम होगा कि तनख्वाहों में जो असमानता है वह दूर की जायगी। उसी समय से ये अल्प-वेतन-भोगी इन्तजार कर रहे हैं, सन् ४७ से इन्तजार करते करते आज उनको सन् ५७ में भी उस आश्वासन की पूर्ति की संभावना दिखाई नहीं पड़ती। उनकी जो दिक्कतें थीं, वे किसी प्रकार से दूर हुई हों, ऐसा आभास नहीं मिलता। इन लोगों की पांच रुपये माहवार की तनख्वाह बढ़ाई गई, ग्रेड्स इनके रिवाइज करके नेशनलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल्स में उनका फिक्सेशन कर दिया। मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पांच रुपये की वृद्धि की है वह किस आधार पर की है किस मापदंड को सामने रखकर उन्होंने यह निर्णय लिया है कि पांच रुपये की वृद्धि करने से इनका काम चल जायगा ? क्या राजस्थान सरकार ने कोई पे कमीशन नियुक्त किया ? जहां तक मुझे जानकारी है पे कमीशन की नियुक्ति नहीं हुई। क्या लिविंग इन्डेक्स बना कर हुकूमत ने इस बात की जांच की कि इतने रुपये से इनका काम चल जायगा ! ऐसा भी नहीं हुआ। क्या किसी उच्च अधिकारी ने इस बात की जांच की कि इनको पांच रुपये देने से इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी ? कितने रुपये इन लोगों को मिलते हैं, कितना इनका मासिक बजट है, वर्ष में कितना घाटा रहता है, कभी किसी ने यह जाचने की कोशिश नहीं की। तो मैं यह जानना चाहता हूँ, कि यह इनीशियेटिव लिया गया तो किस आधार पर लिया गया ? हमारे राजस्थान सरकार के उच्चाधिकारी मन्त्रियों से भ होशियार हैं। जब राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ उस समय हमारा प्रान्त 'ए' क्लास की श्रेणी में आ गया, इसलिए उन लोगों ने मिल कर राजस्थान सरकार की मार्फत भारत सरकार को यह निवेदन किया कि जिस प्रकार आई. ए. एस. ऑफिसर्स का वेतन है उसी दर्जे की तनख्वाहें हमारे यहां भी होनी चाहिये। मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि राजस्थान सरकार की सिफारिश पर उनकी तनख्वाहों में इस प्रकार की वृद्धि की गई। अगर सरकार का उदार दृष्टिकोण होता तो वह सबसे पहले यह निर्णय लेती कि अजमेर विलय के बाद जब राजस्थान 'ए' श्रेणी का राज्य हुआ तो सबसे पहले यहां जितने भी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका वेतन स्तर ए श्रेणी के बराबर लाया जाय। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया। उच्च अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ाई गईं, उनकी स्पेशल पे में वृद्धि की गई, उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई, हाउस रेन्ट उनके लिये बढ़ाया गया। जिस प्रकार की योजना उच्च अधिकारियों ने अपने लिये बना रखी थी वह सब मंजूर करवा ली। दूसरी तरफ जो कर्मचारी थे उनके लिये उन्होंने एक सुझाव दे दिया कि इनके वेतन में पांच रुपये की वृद्धि कर दी जाय। उसके अनुसार ३५-१-५० का ग्रेड किया गया ४०-१-६०; लोअर डिवीजन क्लर्क का ५५-२-८० किया गया और अपर डिवीजन क्लर्क का ८० से लेकर १८० कर दिया गया। यह सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह किस आधार पर किया ? आप मध्यप्रदेश, पंजाब, यू० पी० आदि के

# Page No.53



( श्री भैरोंसिंह )

ग्रेडों का अवलोकन करके, उन सबको लेकर एक कॉम्रापरेटिव स्टेटमेन्ट अपने सामने रखते और उसी के आधार पर कुछ निर्णय लेते। मैंने इस सम्बन्ध में अलग अलग स्टेटों के आंकड़े तैयार किये, उनको देखने से पता चलता है कि राजस्थान में जो वेतन मिलते हैं वे सब से कम हैं। इस सम्बन्ध में मैं दो चार स्टेटों के उदाहरण आपके सामने रखूंगा।

मध्य प्रदेश में :

| | |
|---|---|
| चपरासी को | ४५ रु० |
| लोअर डि० क्लर्क | ८० ,, |
| अपर डि० क्लर्क को | १३० ,, |

पंजाब में :

| | |
|---|---|
| चपरासी को | ५२ रु० |
| लो० डि० क्लर्क को | ६५ ,, |
| अपर डि० क्लर्क | १२५ से १६० ,, |

बिहार में :

| | |
|---|---|
| चपरासी को | ५२ रु० |
| लो० डि० क्लर्क | १०५ ,, |
| अपर डि० क्लर्क | १६० ,, |

यू० पी० में :

| | |
|---|---|
| लोअर डि० क्लर्क को | ११० रु० |
| अपर डि० क्लर्क को | १६० ,, |

अकाउन्टेन्ट जनरल ऑफिस, जयपुर में एक चपरासी को ८२ रुपये मिलते हैं व लोअर डिवीजन क्लर्क को ११२ रुपये तथा अपर डिवीजन क्लर्क को १३७ रुपये। अजमेर के चपरासी को ८२ रुपये, राजस्थान के चपरासी को ४० रुपया, लोअर डिवीजन क्लर्क को ५५ रुपये।

इन फीगर्स में केवल पांच रुपये की जो वृद्धि की गई है उसका सिर्फ अन्तर है। जिन स्टेटों का मैंने जिक्र किया है उनके मुकाबले हमारे राजस्थान में जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन है वह बहुत कम है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान सचिवालय में जहां अजमेर से आये हुये कर्मचारी को उसी काम के लिए ८२ रुपये का वेतन मिलता है वहां राजस्थान में काम करने वाले कर्मचारी को उतने ही समय के ६५ रुपये मिलते हैं; यहां भी २५ रुपये का अन्तर है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवादी समाज रचना चाहते हैं। क्या उनकी कल्पना समाजवादी समाज की यही है ? आप वास्तव में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो यह असमानता दूर करिये, वेतन असमानता मिटाइये। कमसे कम एक सरीखे कार्य करने वाले कर्मचारी के वेतन में तो असमानता मत रखिये। दूसरी तरफ जो उच्च अधिकारी हैं आर. ए. एस., आई. ए. एस. उनकी तनख्वाहें बढ़ा दीं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन का वेतन दो हजार से ढाई हजार कर दिया। चेयरमेन रेवेन्यु बोर्ड का वेतन ढाई हजार कर दिया। देवस्थान कमिश्नर का वेतन बढ़ा दिया, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की तनख्वाह बढ़ा दी। उनके बारे में मापदंड नहीं देखा गया, झट उनके कहने के मुताबिक भारत सरकार को सिफारिश कर दी। लेकिन अल्पवेतन भोगी गरीब कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किसी ने नहीं किया, उनके यूनियन से नहीं पूछा गया, उनसे नहीं पूछा गया कि तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है, इतने से वेतन में तुम किस प्रकार गुजारा करते हो ? लेबर्स यूनियन को, न इस प्रकार के कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं समझी। वे बेचारे डरते हैं बड़े अधिकारियों के पास जाने से; इसलिए डरते हैं बहुत मुमकिन है कहीं वे अधिकारी

( श्री भैरोसिंह )

नाराज न हो जायं। अगर बदकिस्मती से कोई सर्व सम्मत प्रस्ताव भी पास करके भेजते हैं तो उस पर भी विचार नहीं करते। अफसोस इस बात का है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने में क्यों हिचकिचा रही है? आज हमारे प्रान्त के कर्मचारियों को ए श्रेणी के स्टेटस के मुकाबले महंगाई भत्ता नहीं मिलता। जहां इनके कम वेतन हैं वहां फेसिलिटिज् भी बहुत कम है। राजस्थान सरकार कहती है कि उन्होंने अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को सुविधायें दे रखी हैं कि उनके बच्चे निःशुल्क शिक्षणालयों में पढ़ सकते हैं। मुझे अफसोस होता है कि जुलाई महीने में जब स्कूलों में भरती शुरू हो जाती है उस समय जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, खास तौर से ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को भरती करने से अवोइड किया जाता है। वे सोचते हैं कि अगर अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के बच्चों को हम भरती करेंगे तो हमारे यहां आमदनी नहीं होगी, इसलिए उन बच्चों को भरती नहीं किया जाता। बाद में क्या होता है कि उन लोगों को प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिये जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि वह इस बात की जांच करे और इसके बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि सरकारी स्कूलों के अन्दर इन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिलती और प्राइवेट स्कूलों में वे कितने पढ़ते हैं? मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन का जो पर्सेन्टेज है उसमें जो पर्सेन्टेज दूसरे लोगों का है उससे कहीं ज्यादा पर्सेन्टेज इन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के बच्चों का है।

मेडिकल फेसिलिटीज़ के बारे में बढ़ बढ़ कर बातें की गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपको बताऊं, गजेटेड अफसर जो होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं, उच्च वेतन पाने वाले जितने कर्मचारिगण हैं उनको हर प्रकार की सहूलियत मिलती है। उनको एडमिशन में भी सहूलियतें, मेडिकल रिलीफ में भी सारी सहूलियतें प्रोवाइड की जाती हैं। पर अगर कोई चपरासी, एल० डी० सी० या यू० डी० सी० में से कोई अस्पताल में जाता है वे निराश ही रहते हैं, वे जाते भी हिचकिचाते हैं। कई तो जाते ही नहीं यही सोच कर कि अगर जावेंगे तो सुनवाई तो होगी नहीं, बल्कि और बीमार हैरान होगा, वे हैरान होंगे। अगर बदकिस्मती से कोई चला गया तो उसका इलाज कुछ नहीं होता। मैं जोधपुर अस्पताल की एक मिसाल दूं आपको। एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी का बच्चा ऑपरेशन थियेटर के बैड पर ही खतम हो गया इसलिये कि डाक्टर साहब को जिनको उसका ऑपरेशन करना था, सात-आठ मिनिट की देर हो गई। बच्चा खतम हो गया और इसके बाद मां बाप भी रो-रुवा कर घर गये। पर यह भी एक देखने का दृष्टिकोण है। सरकारी अधिकारी, जो डाक्टर बने हैं उनका दृष्टिकोण साफ शब्दों में मैं कहूं तो यह है कि वे यह समझते हैं कि मनुष्य जाति से हम ऊपर हैं, मनुष्य जाति में जो लोग हैं उनसे यह सांप ( साहब ) कहलाने वाले व्यक्ति कहीं ऊपर अपने को मानते है। वे छोटों का दुख दर्द महसूस कर सकें, ऐसी बात नहीं। चपरासी वगैरह जाते हैं तो आर्डिनरी वे में उनका ट्रीटमेन्ट होता है, ऑर्डिनरी वे में बिहेव किया जाता है और इसके कारण दुखी लोग जो हैं वे नहीं जाते उनके पास।

**श्री उपाध्यक्ष** : We are going a little away from the question, I presume.

**श्री भैरोंसिंह** : मैं छोटे कर्मचारियों की सहूलियतों के लिये कह रहा हूँ। It is within the scope of the debate, Sir.

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था उनसे कि इस प्रकार की कोई मेडिकल फेसिलिटी इन छोटे कर्मचारियों को नहीं है।

और इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, एजुकेशन फेसीलिटी के आधार पर एक बात कहनी भूल गया था। क्या सरकार महसूस करती है कि जिन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के पास माध्यमिक शिक्षा के लिये हाई स्कूल की शिक्षा के लिये खर्च करने को पैसा नहीं, और इस कारण उनकी मदद करने की बात सरकार सोचती है तो यदि वे अपने लड़कों को आगे भी मैडिकल कॉलेज या इन्जीनियरिंग कॉलेज आदि में पढ़ाना चाहें तो उनके पास पैसा देने को कहां से आवेगा? इसलिये सरकार को निर्णय लेना चाहिये कि जिनकी हालत कमजोर है और जब तक वे कमजोरी की हालत में हैं तब तक उनको हर प्रकार की सहूलियत मिलती रहे। यह अगर नहीं किया गया तो सरकार का यह कहना कि वह अल्पवेतन कर्मचारियों के लिये शिक्षा की सहूलियत दे रही है, मैडिकल रिलीफ दे रही है, केवल ढकोसला होगा; आडम्बर-दिखावा मात्र होगा। इससे सरकार के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को कोई राहत मिल सकेगी, उनका कोई भला हो सकेगा, यह सम्भव नहीं होगा।

इसके बाद एक मिनिट में एक बात और कहना चाहूँगा। जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने बड़े बड़े कर्मचारियों के लिये दो प्रकार की व्यवस्था कर रक्खी है। यदि सरकारी बंगला उनको मिलता है तो १० पर्सेन्ट उनकी पे में से काट लिया जावेगा और अगर उसे सरकारी बंगला नहीं मिलता है तो वह उस शहर में दूसरी जगह रह सकता है। वहां जो किराया देते हैं उसमें १० पर्सेन्ट की कटौती उनके वेतन में से की जावेगी, पर साथ ही यह भी छूट दी गई है कि इसके ऊपर साढ़े सात पर्सेन्ट किराया और दे तो वह दे सकता है। सरकार उसका भुगतान करेगी। तो इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि उच्चाधिकारियों के लिये किराया की एक तरफ साढ़े सतरह पर्सेन्ट की व्यवस्था और दूसरी तरफ छोटे कर्मचारियों के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं। ऐसी कोई सुविधाजनक व्यवस्था उनके लिये नहीं। हम महसूस करते हैं कि इस साढ़े सतरह पर्सेन्ट से मुश्किल और हो गई। मकान नहीं मिलते। जिनको कम तनख्वाह मिलती है, वे मकान नहीं ले पाते इसलिये कि जो अच्छे मकान मिल पाते हैं उन्हें वे उच्च अधिकारी साढ़े सतरह पर्सेन्ट देकर अपने कब्जे में कर लेते हैं।

सरकार का निर्णय था कि राजस्थान के कई विभाग दूसरे शहरों में खुलेंगे; उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा आदि। तो ऐसी हालत में इन कम वेतनभोगी कर्मचारियों ने सोचा कि कई मकान खाली होंगे और अपने को भी रहने को वे मिलेंगे। लेकिन न मालूम किस तरह से वह केबिनेट का निर्णय समाप्त हो गया? जिस तरह से यह निर्णय लिया गया था उसी प्रकार वह समाप्त हो गया।

इसलिये उपाध्याय महोदय, मैं अन्त में तीन बातों के लिये निवेदन करूंगा। एक

( श्री भैरोंसिंह )

यह कि एक पे कमीशन की नियुक्ति की जावे जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन के बारे में उचित और न्यायपूर्ण निर्णय ले, दूसरा उनको मैडीकल और एजुकेशनल फैसीलिटी बढ़ाई जाकर इस बारे में भी उनको उचित राहत दे। तीसरी बात यह कि उनके रहने की व्यवस्था की जावे और इसके साथ सबसे पहले राजस्थान सरकार को एडहॉक बेसिस पर व्यवस्था करनी चाहिये और उनकी जांच होने के समय तक उन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जितने पर्सेन्टेज की रकम बढ़ाने की जरूरत हो उसका निर्णय लेकर उनको तनख्वाह दे। इसलिये मैंने राजस्थान सरकार के इस एक मोशन पर एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह मांग की है कि अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : दूसरा कट मोशन भी भैरोंसिंह जी का है।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : उपाध्यक्ष महोदय,

I beg to move, That the Demand No. IX- Major Head 25- General Administration ( Court of Wards ) be reduced by Rs. 100/- ( To discuss the unsatisfactory work of the Court of Wards ). "

उपाध्यक्ष महोदय,........ ..

**श्री उपाध्यक्ष** : For your information, you have already taken fifty minutes.

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : अब तो १० मिनिट ही लूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण यह विभाग है कि जिसको कोई सम्भालने वाला नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे पहली बात है कि यदि कोई जागीरदार अपने बच्चे को अल्प आयु में छोड़ कर समाप्त हो जाता है तो सरकार का यह फर्ज समझ लिया गया है कि उस जागीर को वह अपनी निगरानी में लेकर उसकी व्यवस्था करे। जहां तक नीति का प्रश्न आता है जिस समय जागीरों का कन्ट्रोल रियासतों के हाथों में था और रियासतें जागीरों का कन्ट्रोल अपने हाथों में रख कर उनकी व्यवस्था करने का विचार करती रहती थीं। पर जिस समय इन भूतपूर्व रियासतों का एकीकरण होकर राजस्थान एक समूचे प्रान्त में परिवर्तित हो गया उसके बाद से यह नीति बदल जानी चाहिये थी। हमारा संविधान भी छूट देता है कि सभी अपनी अपनी स्वयं की व्यवस्था करने में स्वतन्त्र हैं। संविधान में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसके द्वारा माइनर्स की निगरानी की जानी चाहिये और वह भी निगरानी औरों पर नहीं, केवल जागीरदारों पर लागू हो। तो ऐसी बात संविधान में भी नहीं है। बल्कि सबको, हर नगरवासी और प्रान्तवासी को इसकी छूट दी गई है कि वह चाहे माइनर हो, कोई हो अपनी व्यवस्था स्वयं करे। पर इस प्रकार की नीति इन जागीरदारों के माइनर्स के बारे में राजस्थान सरकार ने अख्तियार नहीं की और पहले जो व्यवस्था रही उसे ही चालू रक्खा और जितने भी जागीरदारों के माइनर्स हैं उनके इन्तजाम के लिये सरकार ने यही आवश्यक समझा कि उन्हें सरकार अपने

( श्री भैरोंसिंह )

नियन्त्रण में रक्खे। पर उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी अगर उचित ढंग से काम होता, व्यवस्थित रूप से काम होता तो कोई असन्तोष की बात नहीं होती, पर बदकिस्मती से राजस्थान सरकार के नीचे जितने भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं उनमें कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है बल्कि वे साक्षात् भ्रष्टाचार के गढ़ बने हुए हैं, यह भी मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखने में भी आता है, लोगों के जो बोल और दुख दर्द की बातें हैं वे जब सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जहां ईश्वर की विशेष दुष्कम्पा के कारण, नाराजगी के कारण वह व्यक्ति अपने मां-बाप से वन्चित हुआ, उनकी निगरानी से वन्चित हुआ, वहां राजस्थान सरकार को उनके प्रति हमदर्दी दिखा कर न्याय करना चाहिये था। पर न्याय रहा कहीं और, उसके साथ तो आज अन्याय होता है।

आम प्रेक्टिस है, आजकल कोर्ट ऑफ वार्ड्स में रुपया जमा होता है। लेकिन यदि कोई जागीरदार इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त होना चाहे और वह रुपया वापिस लेना चाहे तो उसे कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दरख्वास्त देता है, उसकी जांच होती है और इसमें ...

( एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please! Yes, resume.

**श्री भैरोंसिंह** : (जारी) भी किसी नेता की शरण लेता है और नेता की शरण लेने के बाद कुछ पर्सेन्ट रकम देने की गुंजाइश हो उसके पास तो वह देनी पड़ती है और इसके बाद वह रकम स्वीकार होती है। मैंने पिछली विधान सभा में इस सदन में इस बारे में प्रश्न पूछा था पर सदन में मैं वह जवाब नहीं दिया गया, बल्कि कोशिश करके उसका उत्तर किसी न किसी रूप में प्राप्त कर सका था। इस एक प्रश्न के आधार पर मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जयपुर जिले में जितनी भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स की जागीरें थीं उनकी रकम के साथ खिलवाड़ किया गया। लोगों को कई तरह से परेशान किया गया, कहीं डिग्रीदार से मिल कर जागीरदार पर डिग्री करवाई गई। इसका मतलब यह होता है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जो जागीरें हैं, उनके जो मुन्तजिम हैं वे उन जागीरों के मुकद्मों की पैरवी करें। पर बदकिस्मती है कि वे मुन्तजिम पैरवी कुछ और ही तरह से करते हैं। उस मामले में वह मुन्तजिम डिग्रीदार से मिलता है और १० हजार की डिग्री हो जाती है। अब इधर वह मुन्तजिम जाकर राजीनामा करा लेता है और १० हजार की रकम जो जमा होती है वह डिग्रीदार को दे दी जाती है, वह रकम हजम हो जाती है। यह एक ही उदाहरण नहीं है, अनेकों बातें बताने को तैयार हूँ। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है और एक मामला भी है जो आज तो नहीं पर कुछ समय बाद प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किस तरह एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स का रुपया खाने का षड्यन्त्र रचा गया था। पर इतना उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ कि इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स के साथ जो बर्ताव होता जा रहा है वह न्यायसंगत नहीं है।

जोधपुर जिले में आज सबसे पहले यह होना चाहिए था कि जो ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में हैं उनके कम्पेन्सेशन के क्लेम जागीर कमिश्नर के पास सबसे पहले आते। पर आज से दो महीने पहले की सूचना है

Page No.58



(श्री भैरोंसिंह )

कि उनके कम्पेन्सेशन के फॉर्म सबमिट नहीं किये और इसके कारण उनको इन्टेरिम कम्पेन्सेशन नहीं मिला । यह सरकार की अकर्मण्यता है और इस तरह से जिनको संरक्षण देना था उनको वह नहीं मिला। यदि कोई करोड़पति का बच्चा मर जाता है आज, तो उसकी सम्पत्ति निगरानी के लिए उन कोर्ट ऑफ वार्ड्स में नहीं लाते, कोई और सम्पत्ति वाला मर जाता है तो उसके माइनर्स को कोर्ट ऑफ वार्ड्स में नहीं लाया जाता, कोई अधिकारी मर जाता है तो उसके बच्चों को कोर्ट ऑफ वार्ड्स में नहीं लाते ; किसी को नहीं लाया जाता । पर न मालूम यह बदकिस्मती सारी की सारी जागीरदारों पर ही क्यों लादी जाती है ? जागीरदारी खत्म हुई, सब कुछ उनका चला गया पर आज भी अगर कोई जागीरदार मरता है और उसके पीछे बच्चे ही हैं तो सबसे पहले उसके लिए हुक्म होगा कि उसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स में लिया जाय। किसी मिल मालिक के बच्चों और करोड़पति के बच्चों और ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वालों के बच्चों को उनके संरक्षकों के मर जाने के बाद इस तरह का हुक्म नहीं होता, पर जागीरदार के बच्चों पर, चाहे उसके पास एक पैसा भी न हो फौरन हुक्म हो जाता है कि उसकी सब कुछ सम्पत्ति कब्जे में करो , कुछ हो या न हो उस पर कब्जा करो । मैं समझता हूं, कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी जब जवाब देंगे तो वे इस महकमे की तारीफ करेंगे । पर मैं बता दूं जयपुर जिले में जिन लोगों की रकमें खाई गई हैं उनके बारे में ध्यान से जवाब दें । जोधपुर जिले में फॉर्म न सबमिट करने में क्या रहस्य रहा है, इसको भी ध्यान में रख कर सदन में उत्तर दें । मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस मामले में अन्याय किया गया है। इसलिये इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स में व्याप्त भ्रष्टाचार और अत्याचार की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : List No, 3. S. No. 54.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर ) : I move, "That the Demand No. IX, 25-General Adminisration be reduced by Rs. 100/-( To discuss the unnecessary expenditure incurred on the salaries and allowances to the Ministers )."

माननीय उपाध्यक्षजी, आज हमारे जो मन्त्री लोग हैं वे हमारे प्रान्त की एक प्रकार से शान के रूप में हैं । यह इसलिये कि वे अपने आपको यह मानते हैं कि साधारण सदस्यता से निकल कर जब वे मन्त्री के रूप में बदल जाते हैं तो अपने को कुछ और ही समझने लगते हैं । जब तक वे विधान सभा के एक साधारण सदस्य थे उस वक्त तक २०० रुपया और १२॥ रुपया में अपना निर्वाह करते थे, यही उनको मिलता था । पर जब मन्त्री बन जाते हैं तो कहां से उनका आवश्यक खर्चा बढ़ जाता है कि जिसमें उनका वेतन भी हजार के ऊपर और आस पास पहुंच जाता है और जहां तक मुख्य मंत्री की बात है, वे तो औरों से भी आगे बढ़ जाते हैं । तो मन्त्री होने के बाद में ऐसी कौनसी आवश्यकता उनकी बढ़ जाती है, यह पता नहीं । मैंने यह देखा है कि इन मंत्रियों में से कुछ लोग मंत्री बनने से कुछ दिन पहले तक राजकीय प्रवास भवन के ही कमरों में सब

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सदस्यों की भांति रहते रहे हैं । इसका मतलब यह है कि उनका साधारण एम. एल. ए. से कोई अधिक खर्चा होता हो, यह बात नहीं। तो मंत्री बनने के बाद ही अपना स्तर इतना बढ़ाकर उस साधारण जनता का रुपया, जो टैक्स पे करते हैं और जो सरकारी खजाने में इकट्ठा किया जाता है, ये मंत्रीगण जो इस प्रकार से लूटते हैं, यह वास्तव में किस प्रकार से उचित है और आवश्यक है इस बात की ओर मैं सभी मन्त्री महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है कि सन् ४७ के पहले जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, हमारे ये ही मंत्री महोदय जो आजादी की लड़ाई में अग्रणी थे, और लोग भी अग्रणी थे, ये कहा करते थे कि यह जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन है वह सफेद हाथी है, सफेद हाथी बैठा हुआ है, भूखे सफेद हाथी हैं, इनको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, इतनी भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जब अपना देश होगा, अपने देश में अपनी हुकूमत होगी, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें कमी कर देंगे ; जो इतना बड़ा ढांचा है उसको कम कर देंगे और पांच सौ से अधिक मन्त्रियों की तनख्वाहें नहीं होंगी। सौभाग्य से अपने देश की बागडोर अपने ही हाथों आ गई, सफेद हाथी जो थे वे इस देश से चले गये, लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि सफेद हाथी चले गये, जो सफेद चमड़ी थी वह चली गई लेकिन सफेद हाथी उन्हीं सफेद कपड़ों में भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेशन बना कर बैठे हैं । एक वक्त था, जयपुर की बात है, मिनिस्टरों को दो दो हजार, ढाई ढाई हजार रुपया मिलता था, महगाई अधिक थी, लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ये क्यों लेते हैं, ये ही लोग कहा करते थे । मुझे आश्चर्य होता है कि करने की बात और होती है और कहने की बात और होती है । मंत्री लोग चाहे जैसी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इतना भारी भरकम खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन पर क्यों डालें ?

कहा यह जा रहा है कि देश में जनतन्त्र कायम किया है, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम सोशलिस्टिक पेटर्न ओफ सोसाइटी कायम करने जा रहे हैं ; एक तरफ बड़े बड़े ओफिसर्स हैं, आई. ए. एस. सेन्टर से आ रहे हैं, उनके बारे में हम कहें कि उनकी तनख्वाहों में कमी करें, उनको १५००, २०००, २५०० रुपया क्यों देते हैं ? इन ओफिसर्स के पास भी कहने को तो मौका है कि ये जनता के प्रतिनिधि कहाने वाले, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं का अगर पेट नहीं भरता तब हम इतने दिनों से लेते आ रहे हैं, जिन लोगों को दो महीने पहले ऐसी हालत थी कि जिनकी २०० और २५० महीने की प्रेक्टिस नहीं चलती थी, अथवा मुश्किल से २०० २५०) पैदा करते थे आज इतनी बड़ी तनख्वाहें पा रहे हैं, लेकिन हम जो कई वर्षों से ओफिसर्स हैं, हजार डेढ़ हजार रुपया मिलता है, उन लोगों को यह कहें कि कमी करो तो उनका यह कहना भी जायज होगा कि हमारी कम तनख्वाहें क्यों करते हो। आदर्श तो इन लोगों को पैदा कराना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय आदर्श प्रस्तुत करें और वेतन में कटौती करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

( विराम )

Not present

# Page No.60



( बोलने के लिए श्री मोहरसिंह प्रस्तुत )

**श्री मोहरसिंह** ( चूरू ) : माननीय उपाध्याय महोदय मेरा कट मोशन है, "कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन में १) की कमी की जाय (न्याय पालिका को कार्य-पालिका से अलग करने के सम्बन्ध में ) ।"

२. १ म० प०

**श्री मदनसिंह** ( दांतारामगढ़ ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, On a point of order, Sir, who is Upadhyaya Mahodaya ?

**श्री मोहरसिंह** ( चूरू ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किस प्रकार से कार्य-पालिका और न्यायपालिका के एक साथ होने से शासन में गड़बड़ी चल रही है, यह भली प्रकार एक माननीय सदस्य द्वारा बतलाया गया है। उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा । वास्तव में जब तक न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग नहीं हो जायगी तब तक हमारे प्रांत से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता । जब तक ये मिले रहेंगे तब तक एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स के दिल में यह चीज बनी रहेगी कि तेरा पक्ष करने के लिए मिनिस्टर साहबान और उनके चेले-चांटी मौजूद हैं तब तक वह निर्भय रहेगा और महसूस करेगा कि और कसूर करने पर भी तुझे बचाया जा सकेगा । लेकिन जब न्याय प्रणाली अलग होगी तो अच्छी तरह से वह समझ लेगा कि अगर वह अब बे-इन्साफी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो वह बच नहीं सकेगा उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा, उस पर भी कानूनी वार होगा और उस पर उसी तरह मुकदमा चल सकेगा जैसे एक साधारण आदमी पर चल सकता है । जब तक यह व्यवस्था नहीं हो जायगी यहां इन्साफ नहीं हो सकेगा । भ्रष्टाचार के मुतल्लिक एक माननीय सदस्य ने काफी देर तक बताया कि यह अभी दूर नहीं हुआ है, यह तो चल रहा है, बढ़ रहा है । एक ऑफिसर के हाथ में न्यायपालिका भी है और कार्यपालिका भी है : वह दोनों का फैसला करता है । इसके लिए कई उदाहरण हैं । हर केस यही सिद्ध करता है कि वास्तव में एक ऑफिसर के पास न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य होने से गैर-इंसाफ हो रहा है । चूरू जिले के उदाहरण काफी हैं और दूसरी जगह के उदाहरण भी मेरे पास हैं । एक जोधपुर डिविजन का केस है । एक एस० डी० ओ० महानुभाव हैं, उनकी अदालत में एक मुकदमा ट्रायल हो रहा था । क्रोस एग्जामिनेशन का जब सवाल आया तो उन्होंने इन्कार कर दिया कि नहीं कर सकते । उन्होंने फैसला दे दिया फरीक ने एतराज किया, लेकिन फैसला सुना दिया, उसने उसकी नकल ले ली ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं ।

**श्री मोहरसिंह** : जी, उसी बात पर आ रहा हूँ । तो सात दिन के बाद में जिस शख्स को फैसला सुनाया गया था उसको पता लगा, कोई शब्द बढ़ाया गया है, उसने उसकी नकल ले ली तो उसमें 'आज' शब्द और बढ़ाया गया । इस सम्बन्ध में शिकायत हुई, हुक्म हुआ कि जांच की जाय । जांच हुई, उसका उस स्थान से ट्रान्सफर करने का आर्डर कर दिया गया, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक थे इसलिए उसका ट्रान्सफर रोक दिया गया । पर सवा साल का केस है । इसी तरह से राजगढ़ तहसील का केस है । बैरासा छोटा

( श्री मोहरसिंह )

पंचायत के सरपंच ने एस. डी. एम के सामने ( नाजिम के सामने ) एक दरख्वास्त दी कि मेरी पंचायत में एक मुलजिम हाजिर नहीं होता है। उन्होंने मुलजिम को बुला कर सरपंच के सामने हाजिर किया, कई दिनों की लम्बी पढ़ी के बाद। बाद में एस. डी. एम साहब ने १३॥ रुपया के तलबाना की चिट्ठी भेजी कि १३॥ रुपये का तलबाना आ कर अदालत में जमा कराओ। सरपंच ने कहा कि पंचायत एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि तलबाना दें। फिर भी आप मुझे डी. पी. ओ. सी. पी. ओ. से मालूम करने दीजिये। उन्होंने सी. पी. ओ. को लिखा कि पंचायत एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था न होते हुए भी मुझ से तलबाना मांगा जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, बार बार मेरे ऊपर नोटिसेज़ आये हैं। यदि इसी प्रकार एक पंचायत जो कि अदालत है उस अदालत के ऊपर दूसरी अदालत द्वारा १३॥ रुपया का जुर्माना होता रहेगा तो पंचायत किस प्रकार से कार्यवाही चला सकती है? डी. पी. ओ. ने गलत या सही रूप से मूल कागजात नाजिम के पास भेज दिये। वहां से कागज आते ही उसी वक्त उनको बुला कर कॉटेम्प्ट ओफ कोर्ट का मुकदमा कायम किया और कहा कि १३॥ रुपया अभी लाओ, नहीं तो अभी हवालात भेजता हूं। उनको तलबाना देना पड़ा।

इसी तरह का जोधपुर का एक केस है। वहां के एक मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने मुकदमे में एक फरीक को कहा कि याद रखना तुम्हारा मुकदमा मेरे पास है, आम चुनाव में तुमको फलां आदमी के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अब उन्होंने हलफिया कहा है कि मेरा मुकदमा दूसरी अदालत में ट्रान्स्फर किया जाय। जुडिशियरी का आज यह हाल है! मिसलों में से पन्ने के पन्ने गायब हैं। राजगढ़ तहसील एक केस में २२ नंबर का पन्ना मिसल से गायब है। फायल में से पन्ना ही हटा लिया गया। जब यह मालूम हुआ कि पेज गायब है तो उसकी सूचना देने पर भी आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से जो फैक्ट्स आपको बताये गये उनसे साफ प्रतीत होता है कि जब तक कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलहदा नहीं किया जायगा तब तक इन्साफ नहीं होगा और इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा, जिसके मिटाने के लिये काफी कोशिश की जा रही है। तो जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता।

एक और है मेरा कटौती मोशन।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या साहब?

**श्री मोहरसिंह** : मेरा एक कट मोशन और है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री लच्छूराम** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना कटौती प्रस्ताव पढ़ दीजिये।

**श्री लच्छूराम** ( मंडावा ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है: " मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन में १ रुपये की कमी की जाय ( प्रशासन में अप-व्यय के सम्बन्ध में )।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने सरकार समाजवादी समाज बनाने का ढिंढोरा पीट रही है। समाजवाद का मतलब समानता

( श्री मोहरसिंह )

लाना है। लेकिन जब हम हमारे माननीय मंत्रियों के वेतन की ओर ध्यान देते हैं तो इस उद्देश्य से काफी दूर चले जाते हैं। आज छोटे कर्मचारियों को कितना कम वेतन मिलता है और हमारे चुनिन्दा मंत्रियों का कितना उच्च वेतन है, इसका मैं आपके सामने ब्योरा प्रस्तुत करूं।

मन्त्रियों के लिये सन् ५७-५८ के बजट में ७ लाख ३० हजार रुपये की बड़ी राशि रखी गई है। इसमें से मन्त्रियों को वेतन के २ लाख ६७ हजार ७४० रुपये रखे हैं। मौजूदा ११ मन्त्री हैं जिनकी तनख्वाह के १ लाख ३२ हजार रुपये होते हैं। बाकी १ लाख ३० हजार ७४५ रु० की रकम बचती है। इसी प्रकार मिनिस्टरों के भत्ते के लिये १,६२,७०८ रुपये हिस्से में आते हैं। इस प्रकार ११ मन्त्रियों के हिसाब से हिसाब लगाया जाय तो ५७, ५८ में एक मंत्री के लिए भत्ता १४,७५१ रुपये १० आने २ पाई पड़ेगा। इस प्रकार से एक तरफ तो मोटी मोटी रकमें, दूसरी ओर हमारे छोटी श्रेणी के कर्मचारी केवल ३० रु० या ४० रु० पाते है। क्या यह समाजवाद के ढांचे की व्यवस्था है? क्या इस प्रकार असमानता को मिटाया जा सकता है?

इसके आगे और बताऊं। सन् ५३ में व्यासजी के मंत्री मंडल काल में यह तय किया था कि मंत्रियों को एक महीने में केवल ६० गेलन पेट्रोल मिलेगा; यानि एक महीने में केवल ६० गेलन पेट्रोल खर्च किया जा सकता है। लेकिन आज मोटरों के लिये ५७-५८ के बजट में १ लाख ५० हजार रुपये रखे गये हैं। इस हिसाब से यदि ६० गेलन पेट्रोल रखा जाय तो कुल खर्चा ३६,६००) पड़ेगा। तो कितने शर्म की बात है कि जो सरकार सन् ५३ में इस प्रकार तय कर चुकी है कि केवल ६० गेलन पेट्रोल मंत्रियों को खर्च करना चाहिये उस ओर ध्यान नहीं दिया जाकर मंत्रीजी अपने दोस्तों को अपनी मोटर में बिना झण्डे के इधर से उधर घुमाते हैं और सरकारी पेट्रोल खर्च करते हैं। मैं सदस्यों से यही मांग करूंगा कि इस मामले की आप जांच करें, किस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई मोटरों के पेट्रोल में फूंकी जाती है। मैंने बताया कि १,५०,००० रुपये मंत्रियों की मोटर गाड़ियों के लिये रखे जाते हैं जबकि ६० गैलन रखा जाय तो ३६,६०० रुपये का आंकड़ा हमारे सामने आता है। जब कि हमारी सरकार तय कर चुकी है सन् ५३ में कि एक मंत्री ६० गैलन पेट्रोल खर्च करेगा। उस हिसाब से ६० गैलन पेट्रोल के १८० रुपये हुए २० रुपये का मोबिल ओइल समझिये और १०० रुपये ड्राइवर का खर्चा समझिये। इस प्रकार ३०० रुपये माहवार होता है। हो सकता है कि भविष्य में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाय लेकिन वर्तमान में ३६,६०० रुपये ही सालाना खर्च होना चाहिये। लेकिन होंगे १,५०,००० रु० सन् ५३ में एस्टिमेट कमेटी ने भी तय किया था कि केवल ६० गैलन पेट्रोल ही मन्त्री अपनी कार में खर्च कर सकते हैं।

एक तरफ तो केवल ११ मन्त्री हैं और दूसरी तरफ माननीय सदस्यों की बात है। उनकी संख्या १६५ है जिनका खर्चा ७ लाख १४ हजार रुपये सालाना है। १६५ माननीय सदस्यों और मंत्रियों को कपेयर किया जाय तो माननीय सदस्यों के जिम्मे ७ लाख १४ हजार रुपये खर्च पड़ते हैं और उससे ज्यादा १६००० रुपये केवल ११ आदमियों पर

( श्री मोहरसिंह )

पड़ते हैं। क्या यह समाजवाद है? क्या अनाज में इतनी महंगाई बढ़ गई है और डिमान्ड इतनी बढ़ गई है कि मंत्री पद पर आकर जनता की गाढ़ी कमाई इस प्रकार खर्च की जाए? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

तीसरी बात पहले यह कही गई थी कि कमिश्नर का पद बिलकुल बेकार है इसलिये कलेक्टर का सीधा सेक्रेटेरियट से संपर्क हो जाय तो ५ लाख रुपये की बचत हो जायगी, जिससे चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में सहायता होगी। आज जो ५ रुपये की बढ़ोतरी उनके वेतन में की गई है वह नाकाफी है, इसलिये मैं सरकार और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई भत्तों और तनख्वाहों पर खर्च की जा रही है उसे कम करें। हरेक आदमी का कर्तव्य होता है कि दूसरे आदमी से शिक्षा ले। जब हमारे ही देश में हमारे ही समानान्तर सरकार है जिसने यह प्रस्ताव पास किया है कि वे केवल ५०० रुपये में ही अपना खर्चा चला सकते हैं तो क्या वजह है कि हमारे मंत्री इससे कम में क्यों नहीं अपना खर्चा चला सकें? इसलिये मैं मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बड़े बड़े भत्ते और तनख्वाह कम करदें तो हम जरूर अपना भी आवश्यक सुधार करेंगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि जो प्रशासन में खर्चा होता है उसे कम करना चाहिये जिससे पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा पैसा खर्च किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Radha Krishna Vijaya.

( विराम )

I may corrct myself, Shri Daya Krishna Vijaya.

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : इस (कटौती प्रस्तावों के सूची) की कॉपी मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Pardon.

श्री दयाकृष्ण विजय : जो कॉपी मैंने आपको दी है, इसकी कॉपी मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You do'nt have a copy ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने जो कट मोशन रखा है वह यह है : "कि मांग संख्या ६ के मेजर हैड २५ में से १०० रुपये की कटौती की जाय (चुनाव के सम्बन्ध में मंत्रियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने सम्बन्धी वाद विवाद करने के हेतु)"

श्री सतीशचन्द्र : On a point of information, Sir, कट मोशन कौनसा है?

श्री उपाध्यक्ष : Cut Motion No. 1. "मांग संख्या ६, के मेजर हैड २५ से १०० रुपये की कटौती की जाय (चुनाव के सम्बन्ध में मंत्रियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में वादविवाद करने के हेतु" It has not been circulated. but accepted by the Chair even with a short notiee.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्ष मांग संख्या ६ के मेजर हैड २५ में से १०० रुपये की कटौती की जाय। चुनाव के सम्बन्ध में मन्त्रियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में वादविवाद करने के लिए, यह कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है।

जहां तक चुनावों के सम्बन्ध में कहा गया है, कि चुनावों में अधिकारियों ने और मंत्रिगण ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है, मैं समझता हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे

( श्री दयाकृष्ण विजय )

याद है मेरे चुनाव क्षेत्र में उस समय के वित्त मंत्री ने गांव में जाकर, हर आदमी के घर जाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रचार-कार्य हुआ, उससे बहुत सम्भव था कि कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसकी निश्चित रूप से जमानतजब्त होती लेकिन चुनाव के तीन चार रोज पहले कांग्रेसी उम्मीदवार ने मंत्री महोदय के सामने जाकर अपने हाथ-पैर पटक दिये और कहा मैं जीत नहीं सकता, मदद कीजिये। मंत्री महोदय, और एक उच्च अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव गांव में लोगों को दबाया और प्रभावित किया और चुनाव पर नाजायज प्रभाव डाला। ऐसे उदाहरण एक नहीं, कई और उदाहरण हैं जो कि मैं सदन के सामने रख सकता हूँ लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो प्रथा है, यह प्रथा अच्छी नहीं है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिये, चुनाव के अन्दर हरएक पार्टी को पूरी सुविधा होनी चाहिये, लेकिन उस प्रकार की सुविधा नहीं होती है। मंत्रीगणों को चुनाव के एक महीने पहले से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। जिस समय पहले वाली राजस्थान सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिये था, उन्होंने अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए इस्तीफा न देकर हिन्दुस्तान में अपना मजाक करवाया। अब जब चुनाव का मौका आये, चुनाव में हरएक आदमी को प्रचार की सुविधा दी जाय, उस समय मंत्रीगण अपने पद का दुरुपयोग न करें सरकार साधनों का दुरुपयोग न करें, इसलिए इसके विरोध में मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और गत चुनाव में मंत्रीगणों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिये इस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री सम्पतराज** (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव सरकार का ध्यान प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रस्तुत किया है। इसका आशय यह है कि आज राजस्थान का प्रशासनिक खर्चा ३.२१ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से होता है जब कि पंजाब, बंगाल आदि मुख्य प्रदेशों में बहुत कम होता है। इसलिए ३.२१ रु० प्रति व्यक्ति के ऊपर जो खर्चा पड़ता है, उसको कम करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया है और इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सदन का और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रशासन में कमिश्नरों का जो पद है और जो ५ कमिश्नरियां हैं उसमें ७ लाख ३६ हजार रुपया खर्च होता है, उसे बचाया जा सकता है। जो ७ लाख ३६ हजार रुपया कमिश्नरियों पर खर्चा किया जाता है, वह विकास कार्यों में लगाया जाय। हमारे राजस्थान में २४ जिले हैं, वे २४ जिले कलेक्टरों से शासित होते हैं। यदि कलेक्टरों का हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट से सीधा सम्बन्ध कर दिया जाता है तो कमिश्नरियों का खर्च बच सकता है। कमिश्नरों के पांच दफ्तर अनावश्यक हैं, इससे न केवल पैसा बर्बाद होता है बल्कि समय भी बर्बाद होता है और जनता को तकलीफ उठानी पड़ती है। ये वही काम करते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट कार्यालय कर सकता है। यदि जनता पर जबर्दस्ती करना चाहेंगे तो इस आशय का आन्दोलन खड़ा होगा कि कमि-

# Page No.65



(श्री सम्पतराम)

श्नरियों के दफ्तर हटाये जायं। सदन के सदस्यों को अनावश्यक खर्च हटाने में और सरकार की मदद करने में सहयोग करना चाहिये। यदि कमिश्नरों के दफ्तर हट जायेंगे तो ७ लाख ६६ हजार रुपये की बचत होगी और जो प्रशासन में ३.२१ रु० प्रति व्यक्ति खर्च होता है उसमें काफी कमी होगी। यह कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष इसलिये रखा है कि इस पर विचार किया जाय और सदन के सदस्य इसको पूरा करने में सरकार को सहयोग दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : We have to conclude the debate on Demand No. 9. Cut motions we have to dispose of to-day.

**श्री दयाकृष्ण विजय**: मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : This is not the stage The Hon'ble Minister will reply.

**श्री सतीशचन्द्र** : समर्थन होगा इसका।

**श्री उपाध्यक्ष** : All right, for Samarthan.

**श्री सतीशचन्द्र** : हमने तय कर लिया था कि प्रस्ताव रखा जायगा, उसका समर्थन होगा और फिर उत्तर होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : You will very kindly take notice of time. We are short of time and have so many items to be disposed of.

**श्री सतीशचन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, समय तो शुरू से ही कम रहा है, ऐसा लगता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Thank you.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों से बजट की मांग संख्या ६ पर कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनमें से कुछ कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रगट करते हुए उनका समर्थन करता हूँ। कटौती प्रस्ताव प्रमुख रूप से चुनाव में निष्पक्षता न बरतने के कारण, मन्त्रीगणों का अत्यधिक व्यय होने के कारण, कार्यपालिका और नगरपालिका का सम्बन्ध अलग अलग करने के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आये हैं। कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार उपस्थित किये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी तीन-चार दिन पूर्व हमारे राज्य का बजट माननीय वित्त मन्त्री ने सदन के सम्मुख उपस्थित किया, बजट घाटे का प्रस्तुत किया। बजट को सदन के सामने रखते हुए उन्होंने यह विचार प्रगट किया कि हमारे राज्य में ऐसा बजट प्रस्तुत करके राज्य को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जिस चीज पर हमें विचार करना जरूरी है और जो मांग के अन्दर कुछ आइटम्स हैं, उनकी तरफ सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रगट किये, हमें उन पर विचार करते समय, उपाध्यक्ष महोदय, यह विचार करना होगा कि जिस समय मांग को स्वीकार करने जा रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि यह हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने वाली है या नहीं।

हमने अपने इस अनुदान के अन्दर, मांग के अन्दर हमने रखा है, मन्त्री महोदयों

(श्री सतीशचन्द्र)

की सेलेरीज़ के बारे में। माननीय सदस्य ने मांग की है कि मन्त्री महोदयों की तनख्वाहें कम होनी चाहियें। मैं कहता हूँ, तनख्वाह कम करने की आवश्यकता नहीं। एक हजार बहुत कम तनख्वाह है, उनके खर्चे-व्यय को देखते हुए एक हजार तनख्वाह मन्त्रियों को देना बहुत कम है। पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कटौती का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने रखा उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरियेट की प्रेक्टिस चलती है, एक हजार में तो काम नहीं चलता। जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि एक तरफ तो समाजवादी समाज की घोषणा की जाती है और दूसरी ओर मैं एक छोटा सा उदाहरण उपस्थित करता हूं कि हमने डेढ़ लाख की राशि मन्त्री महोदयों के खर्चे की रक्खी है। हमारे सदन में ११ मन्त्री महोदय हैं, आगे की तो नहीं कह सकता कि कितने होंगे, आज ११ हैं और ११ मन्त्रियों की मोटरों के ऊपर डेढ़ लाख रुपयों का खर्च रखा है और इस तरह १२ हजार या १४ हजार रुपयों का खर्चा एक मन्त्री महोदय की मोटर पर आता है। यदि मैंने सही रूप से इस मांग को समझा है तो वह मांग मोटरें खरीदने के लिये नहीं, मेन्टेनेन्स ऑफ कार्स के बारे में है। एक एक मन्त्री महोदय की कार पर १४ हजार रुपया खर्च करना कहां तक न्याय संगत होगा? एक मन्त्री जिसे एक १००० रुपया तनख्वाह का मिलता है, बंगला मिलता है, चपरासी मिलते हैं, पी. ए. मिलता है, प्राइवेट सेक्रेटरी मिलता है और अर्दली मिलता है, इस सब के ऊपर १४००० रुपया केवल कार के मेन्टेनेन्स के लिये, और वह कार भी अगर सरकारी काम में आये, जनता के हित में काम आये, राजस्थान का दौरा करके राजस्थान की भूखी नंगी जनता की अवस्था देखने में काम में आये तो माननीय सदस्य इसे पास कर सकते हैं, पर ये कारें चुनावों के समय, चुनाव प्रोपेगेन्डा में और दूसरे चुनाव कार्यों में काम में आती हैं। चुनाव के समय हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जयपुर में १६११ नं० की और ३५२७ नं० की गाड़ियों को कांग्रेसी मन्त्री महोदय की, चुनाव प्रचार में पकड़ा था। हमने इसकी रिपोर्ट सरकार के पास की, मुख्य मंत्रीजी के पास की, गृह मंत्रीजी के पास की चुनाव कमीशन के पास की पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अखबारों में भी इस बात को दिया। मन्त्री महोदय के चुनाव एजेंट सरकारी मोटरों में घूमते थे, मन्त्री महोदयों की मोटरें चुनावों में काम करती हैं। इसलिये इनके मैन्टीनेन्स के लिये डेढ़ लाख रुपया देते हैं, यह उचित नहीं है।

जहां तक सेलेरीज़ का प्रश्न है, यह निर्विवाद बात है और वित्त मन्त्री महोदय तथा राज्य के सब से ऊंचा हैड, श्रीमान् राज्यपाल महोदय, ने अपने भाषणों में इस तरह के विचार प्रगट किये हैं कि हम देश में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि एक तरफ चतुर्थ श्रेणी के लोगों को ४० रुपया माहवार देते देते हैं और दूसरी तरफ तरफ मन्त्री महोदयों की मोटरों के मैन्टीनेन्स के लिये डेढ़ लाख की मांग रखते हैं, अनुदान रखते हैं, यह कैसी समाजवादी - समाज रचना की ओर कदम है। जो मन्त्री महोदय कल तक किसी तरह कम खर्च में काम चला सकते थे तो क्या मन्त्री बनने से ही खर्चा बढ़ जाता है? उन्हें जनता के सामने आदर्श रखना चाहिये, समाजवादी समाज-रचना का

# Page No.67



(श्री सतीशचन्द्र)

आदर्श रखें, महात्मा गांधी के शिष्य होने के नाते, विनोबा भावे के अनुगामी होने के नाते, लंगोटी वेष में, सीधे से वेष में जनता के सामने आदर्श रखें । जब महात्मा गांधी इंग्लैण्ड की पार्लियमेंट में लंगोटी लगा कर जा सकते हैं तो मुख्य मन्त्री सुखाड़ियाजी राजस्थान की विधान सभा में लंगोट लगा कर आयें और महात्मा गांधी का आदर्श उपस्थित करें । विनोबा भावे का जीवन-दान, संपति-दान, भू-दान, ग्राम-दान के नाम पर लाखों रुपया सरकार बरबाद करती है, उसकी शुरुआत हमें इस सदन से करनी होगी और यह शुरुआत मन्त्री महोदयों के जरिये करनी होगी और इस मांग में कटौती करनी होगी । तनख्वाह के नाम पर आधी या चौथाई कमी करनी होगी, टी. ए. के बारे में कमी करनी होगी और कार मैंन्टेनेन्स के नाम पर खर्चा आधा करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, सदन के माननीय सदस्य आश्चर्य करेंगे कि जयपुर में पीने को पानी नहीं है । आदर्श नगर, तोपखाना देश, तोपखाना हजूरी में चले जायं, किसी बस्ती में चले जायं, आज पीने के लिए पानी नहीं मिलता है और दूसरी ओर जनता के लोकप्रिय मन्त्री महोदयों के घरों पर लगने वाले लॉन आदि के लिए १०० रुपया माहवार का प्रोविजन रखा है । दिन भर जैसे दुलक पत्थर को बनाते हैं उस तरह मन्त्री महोदयों को बना दें तो भी क्या इतना पानी पीवेंगे ? एक तरफ तो इनकी मोटरें पैट्रोल पीती हैं और दूसरी तरफ १०० रुपया माहवार का मन्त्री महोदय पानी पीयेंगे । क्या हमसे ज्यादा पानी पीते हैं, हम चार लौटे पीते हैं तो वो एक मसक पीते होंगे । मुझे क्षमा करें उपाध्याय महोदय, कि कहीं मन्त्री महोदयों को जलधर का रोग तो नहीं हो रखा है जो वे इतना पानी पीते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Moderation and good temper are good characteristics of Parliamentary language,

श्री सतीशचन्द्र : This is correct, Sir.

ठीक है । तो मैं कह रहा था कि १०० रुपया महीना एक मन्त्री के पानी के रखे हैं, एक ओर तो पानी की इतनी कमी है और दूसरी ओर पानी का इतना दुरुपयोग किया जावे, यह दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदयों के ऊपर जो खर्चा रखा गया है उसमें कटौती ही नहीं बल्कि भयंकर कटौती की जाय ।

हमने चुनाओं के बारे में निवेदन किया, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे । उसके जवाब में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि चुनाव बड़े निष्पक्ष रूप से हुए । इस सम्बन्ध में मैं जयपुर का एक उदाहरण माननीय सदस्यों के सामने रख दूं तो बुरा न होगा । चुनाव का समय था, २५ तारीख को चुनाव होने वाला था । किस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है ! तेईस तारीख की बात है, एक सज्जन जो मेरे पक्ष में प्रचार कर रहे थे उनको दबाने के लिए उनकी थडी साँगानेर गेट के बाहर थी, जिस पर वे काम करते थे, वे सज्जन मेरे पक्ष में और उन मंत्री महोदय के विरोध में प्रचार कर रहे थे, इसलिये नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा उनको दबाया गया । उनसे कहा गया कि अमुक मन्त्री से फ्रूट मार्केट में जाकर मिलो,

# Page No.68



( श्री सतीशचन्द्र )

नहीं तो तुम्हारी थडी हटादी जायगी। देखिये चुनाओं में निष्पक्षता का नमूना। उनके मना करने पर थड़ी हटादी गई, उनका सामान फेंक दिया गया। नगरपालिका के कर्मचारी थे, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन्त्री हैं, उनका आदेश है। तो उपाध्यक्ष महोदय इसके बाद हमने तार दिये मुख्य मन्त्री महोदय को, गृह मन्त्री को, इलेक्शन कमिशन को, इलेक्शन सैक्रेटरी को, रिटर्निंग ऑफिसर को। मैं तार की रसीद दिखा सकता हूँ, तारीख बता सकता हूँ। यदि मुख्य मन्त्री देखेंगे तो उनकी फाइल में वह तार अब भी मिलेगा, पर उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या हमारे यहां चुनाव निष्पक्ष हुए हैं ?

पब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में अपने विचार माननीय सदस्यों ने प्रकट किये, मैंने भी सदन के सामने अपने विचार रखे थे कि पब्लिक सर्विस कमिशन जिस पर ढाई लाख खर्च करने का प्रावधान रखा है, ढाई हजार रुपया माहवार तनख्वाह देती है, उसको सरकार किस प्रकार मानती है ? ३ महीने के लिये टेम्परेरी अपोइन्टमेन्ट किया जाता है, ६–६ महीनों का एक्सटेन्शन करते हैं और तीन तीन साल तक एक्सटेन्शन चलता रहता है। अभी कॉलेजेज़ में जिन जिन लोगों को रखा गया है उनका डिग्री कॉलेजेज़ में टेम्पोरेरी एपोइन्टमेंट किया गया है और तीन साल से पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन नहीं हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो नियुक्ति और प्रोमोशन के मामलों में हमारे यहां हाइएस्ट ऑथोरिटी है उसकी यह कदर है। जिस पब्लिक सर्विस कमीशन पर हम सालाना २॥ लाख रुपया खर्च करते हैं उसकी रिकमन्डेशन पर राज्य सरकार किसी प्रकार भी विचार नहीं करती है। मैं कहूँगा कि इससे अधिक शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि जिस विभाग पर हम सलाना २॥ लाख रुपये खर्च करते हैं उसकी रिकमन्डेशन को नहीं मानते।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो–जो बातें यहां पर कटौती–प्रस्तावों के बारे में हमारे सामने कही गई हैं उनमें सत्यता है। चुनावों के बारे में भी जो बातें कही गई हैं वे सत्य हैं। फोर्थ क्लास कर्मचारियों और दूसरे मेडिकल आदि विभाग के कर्मचारी हैं उनके बारे में भी जो बातें कही गई हैं उनमें भी सत्यता है और आप खुद देखते हैं कि उनकी क्या हालत है ? सदन के नेता से उनकी हालत कोई छिपी नहीं है।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और इस पर निर्णय लेना चाहिए। इतना कहकर मैं माननीय उपाध्यक्ष, जितने भी कटौती के प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करूंगा कि सारे कटौती के प्रस्तावों को पारित किया जावे। सदन के नेता इस पर बहुमत के आधार पर नहीं, सच्चाई के आधार पर विचार करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि जो बातें कही गई हैं वे सत्य हैं।

**राव राजा श्री सरदारसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं जरा देर से पहुंचा था। मैंने भी मांग संख्या ६, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा था........

**श्री उपाध्यक्ष** : The Hon'ble member was absent at the time when his name was called. I am sorry.

**रावराजा श्री सरदार सिंह** : I am supporting the cut-motion.

(श्री सरदारसिंह के खड़े रहने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : But the hon'ble member will observe the rules of decorum. I mean when the Chair is on legs.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप कौन से किस कट मोशन पर बोलना चाहते हैं ? यदि आप यह बता दें कि आप किस कट मोशन पर बोल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। सब पर बोलने से एक जनरल डिबेट हो जायेगी।

**श्री अर्जुनदास** : He is supporting the cut-motions.

**श्री उपाध्यक्ष** : I will request the hon'ble members to observe the decorum, the rules of decorum.

**रावराजा श्री सरदार सिंह** : मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर "That the demond for grant No. IX. Major head 25 General Administration be reduced by Rs. 100/- (To discuss the abolition of Tehsil headquarters from Udiyara)." बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : Cut-motion moved by whom ? आप अपने कट मोशन पर बोलना चाहते हैं ?

**श्री सरदारसिंह** : हां।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अर्ज कर चुका कि वह भी समय निकल चुका। मैंने अपना रूलिंग दे दिया है।

(श्री सरदारसिंह के द्वारा कुछ कहने को प्रस्तुत होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष** : No arguments hon' ble members please !

**श्री रामकरणसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, मांग संख्या ६ के आधार पर आये हुए कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, सदन में मन्त्रियों के वेतन के बारे में कटौती का प्रस्ताव आया है। वास्तव में जिन महानुभावों ने इसको रखा है उन महानुभावों ने इसको अपनी बुद्धिमानी से रखा है और उचित रखा है। मैं इसका समर्थन करते हुए सदन के माननीय सदस्यों का और खास कर मन्त्रियों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो १५०० रु., १००० रुपये माहवार वेतन लेते हैं....

**श्री सरदारसिंह** : On a point of information, Sir, ये भी जनरल प्रस्तावों के बारे में कहते हैं और मैं भी कहना चाहता था।

मैं डिमान्ड नं० ६ पर आये हुए सभी कटौती के प्रस्तावों के समर्थन में निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था।

**श्री रामकरणसिंह** : मैं वेतन के बारे में जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Which is that specific cut-motion please ?

**श्री रामकरणसिंह** : आप हिन्दी में बोलिये।

**एक माननीय सदस्य** : आप अंग्रेजी जानते हैं।

**श्री रामकरणसिंह** : मैं तो जानता हूं, लेकिन कम से कम १०० सदस्य ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सभी कट मोशन पर बोल रहे हैं। कौन-सा कट मोशन है, जिस पर आप बोलना चाहते हैं?

**श्री रामकरणसिंह** : अनुदान संख्या ६ में जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उन सब पर बोलना चाहता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : सभी कट मोशन्स पर एक साथ बोलना उचित नहीं है समय के अभाव में सबको लेना उचित नहीं होगा।

**राव राजा श्री सरदारसिंह** : मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please

**श्री रामकरणसिंह** : मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : Thank you.

**श्री रामकरणसिंह** : आप और जितने भी माननीय मन्त्री हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि वे सब हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, कि १० वर्ष पहले वे या उनके नेतागण बड़ी बड़ी डींगें हांका करते थे कि अंग्रेज लोग सफेद हाथी हैं और हमारे पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उनके जाने के बाद हम इसको हर तरह से कम करेंगे और बहुत कम पैसों में, खद्दर के कपड़े पहिन कर, फटे हुए कपड़े पहिन कर, सफाई की तरफ ध्यान रखते हुए काम करेंगे। मगर आज उल्टा ही हो रहा है। अंग्रेज हमारे यहां से गये, वे हमारे यहां से पैसे को ले जाकर इंगलैंड में जमा करते थे; इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारा पैसा इंगलैंड नहीं जा रहा है, मगर उसके बजाय माननीय मन्त्रियों के घरों में जाकर इकट्ठा होता है और कहीं देहातों में जाकर फार्म और खेत कायम होते हैं।

उन राजाओं को आप कोसा करते थे, मगर आज उन राजाओं के बजाय नये राजा पनप रहे हैं। उनको चाहिये कि आज वे आदर्श कायम करें। आज मन्त्रियों को १५००) के बजाय ५००) ही क्यों न दिये जाएं, डिप्टी मिनिस्टरों को हजार के करीब वेतन दिया जाता है, उनको ३००) दिया जाय तो क्या हर्ज है? बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि माननीय मन्त्रियों को काफी रुपया खर्च के लिए दिया जाता है, वे लोग भत्ता भी काफी लेते हैं, उनको गाड़ी की सहूलियतें भी काफी दी हैं; लेकिन एक चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यदि सभी माननीय सदस्य, जो २००) माहवार के लेते हैं इसके बजाय सब मिल कर १००) माहवार कर दें तो वे माननीय मन्त्री महोदयों को इस बात के लिए कहने के हकदार हैं। इसलिए जिन महानुभाव ने अपनी तरफ से यह प्रस्ताव रखा है, वे यह भी कहें कि हम २००) के बजाय १००) रुपये ही लेंगे और १२॥) भत्ते के बजाय रु. ५) भत्ते के रखे जावें और इसके अलावा जो टी. ए. और डी. ए. है वह इमानदारी से खर्च होगा वह लेंगे, गवर्नमेंट होस्टल में न रहेंगे, इन सब चीजों को ध्यान में रख कर गवर्नमेंट को फायदा करेंगे; इन पर सबका विचार हो तो हम सब मिल कर यह प्रस्ताव पास करें, फिर मन्त्रियों से भी निवेदन किया जाए।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक और निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट होस्टल में लोग बहुत से जो पंखों के बड़े

Page No.71



( श्री रामकरणसिंह )

शौकीन होते हैं वे पंखे खुले और बिजली जलती छोड़ कर दो-तीन दिन की छुट्टियों में चले जाते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विषयान्तर हो रहे हैं। विषय बहुत बड़ा है, आप विषय पर ही चलें।

**श्री रामकरणसिंह** : जो घटनाएं होती हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन का समय बहुत मूल्यवान है।

**श्री रामकरणसिंह** : पब्लिक का पैसा बरबाद होता है....

**श्री उपाध्यक्ष** : Please proceed, जारी रखिए।

**श्री रामकरणसिंह** : तीन-चार दिन का अवकाश मिला, चले गये। बहुत से कमरों में देखा कि बिजली जल रही थी और पंखे चल रहे थे। यह कहां तक उचित हो सकता है? गजटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको वेतन काफी मिलता है। जितना उनको वेतन मिलता है उससे दुगुना, तिगुना या बराबर माहवारी तनख्वाह के उनका टी. ए. और डी. ए. मिल जाता है। इसके अलावा पेट्रोल को पानी की तरह कारों में बहाया जाता है, केवल मिनिस्टरों की कारें उनके लिए नहीं जातीं मगर चार आने की सब्जी के लिए उनकी कारें बाजार में आती हैं। वे इस बात को महसूस नहीं करते कि चार आने की सब्जी के लिये कितना पेट्रोल जलाया जा रहा है। वे इस बात को महसूस नहीं करते कि किसानों के खून को पेट्रोल के रूप में जलाया जा रहा है। टैक्सेज़ के बारे में फाइनेन्स मिनिस्टर ने जिक्र किया मगर उन्होंने यह कोशिश नहीं की कि इन कारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाए, यह कोशिश नहीं की गई कि इनकी कारों पर नियंत्रण रखा जाये। जो पेट्रोल खर्च किया जाता है वह कम किया जाय। माननीय मंत्री महोदय की कारें उनके लड़के-लड़कियों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, यह फिजूल खर्ची है। वह माननीय सदस्य जो उनके पड़ोस में बैठे हैं उनको लेने के लिए गाड़ियां उनके गांवों में चली जायें, यह कहाँ तक उचित है? मैं यह उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस पेट्रोल के अधिक खर्च करने पर पाबन्दी लगायेंगे कि केवल गवर्नमेंट के सेक्रेटेरियट या जो ज्यादा जरूरी दौरे हैं, इनके अलावा गवर्नमेन्ट की गाड़ी किसी तरह भी काम में नहीं ली जानी चाहिए। अगर इस प्रकार की पाबन्दी हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी लगा देंगे तो यह फिजूल खर्ची नहीं होगी।

इसके अलावा मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में कहूँगा कि भ्रष्टाचार के आधार पर बहुत कुछ घोटाला हो रहा है। बहुत से सदस्यों ने इसको रखा है। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो इसमें कदम नहीं बढ़ाता है। सब आकर स्टेज पर कह देते हैं, किसी को मौका मिल जाता है तो किसी की शान के खिलाफ कह देता है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि इस सदन के १७३ सदस्य सब के सब इस चीज पर उतारू हैं कि वे भ्रष्टाचार में कुछ न कुछ हिस्सा लें। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जिला बोर्ड के लिए गवर्नमेन्ट से किसी तरह की सैंक्शन नहीं हुई, उसकी बजट में किसी भी तरह गुंजाइश नहीं है और इसके अलावा

( श्री रामकरणसिंह )

जो १८ हजार रुपये का राजस्थान मोबाइल सर्जीकल कैम्प को ट्रक दिया गया है उसका बजट में कोई प्रावीज़न नहीं है... ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें राजस्थान मोबाइल सर्जीकल कैम्प का कहां से जिक्र आ गया ?

श्री रामकरणसिंह : मैं फिजूल खर्ची के लिए कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा कटमोशन है, जिसके समर्थन में आप कह रहे हैं ?

श्री रामकरण सिंह : भ्रष्टाचार के ऊपर कह रहा हूँ।

इसके बारे में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि राजस्थान मोबाइल सर्जीकल कैम्प को ट्रक दिया गया है जिसके लिए कि कोई सैंक्शन नहीं ली गई, जिसका बजट में कोई प्रोवीज़न नहीं है। इन सब बातों के होते हुए कि उसके लिए कोई सैंक्शन नहीं ली गई, बजट में कोई प्रोवीज़न नहीं किया गया, ट्रक खरीद लिया गया है, उसका पेमेन्ट हो गया है और अब शायद उसका प्रस्ताव लोकल बोडीज़ के पास गया है।

इसके अलावा जो फिक्स्ड डिपोज़िट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, वह २२-४-५७ को खत्म हो गए हैं। इससे रोजाना सरकार को ४० रुपये का नुकसान हो रहा है, मगर आज तक इसके बारे में किसी भी सरकार के अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि जो यह घोटाला किया जा रहा है कि सरकार को ४०) रुपये का रोजाना नुकसान हो रहा है उस पर कोई ध्यान दिया जाय।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने बताया था कि कई हजार रुपयों का गबन किया है मगर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पब्लिक का पैसा खराब न हो। उनको चाहिए कि वह जनता के मालिक हैं। जनता की तरफ उनको ध्यान रखना चाहिए और अगर वे जनता का ध्यान रखेंगे तो जनता भी उनका ध्यान रखेगी। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि गोबर को सोने के बरक से ढक रखा है। मैं आपको कहूँगा कि सोने का बरक एक दम उड़ जायगा और गोबर ही गोबर नजर आएगा। इसलिए सदन के जितने भी सदस्य हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का जो घोटाला चल रहा है उसको ध्यान में रखा जाय।

इसके अलावा जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, पुलिस के कॉन्सटेबल हैं उनके फिक्सेशन के बारे में किसी भी तरह की कोई चीज नहीं की जाती है, उनकी पे वगैरह के बारे में कोई सुनाई नहीं होती है। इस समय चपरासी साढ़े छब्बीस रुपये तनख्वाह पा रहा है, कॉन्सटेबल को भी काफी कम तनख्वाह मिलती है; आशा है आप सत्ता का ध्यान रखते हुए इस पर ध्यान रखेंगे।

श्री श्रीमानसिंह : I rise on a point of order.

I did not want to disturb the hon'ble member while he was speaking, but he made a very derogatory remark on the Members of the Assembly—

" १७६ मेम्बर जो हैं इस करप्शन के अन्दर हिस्सा रखते हैं। "

Page No.73



(श्री श्रीमानसिंह)

I would like to draw the attention of the hon'ble members to that and submit that either he must further explain his remarks or better it be expunged from the proceedings of this House.

श्री रामकरणसिंह : इसको कहने का आशय यह था कि करप्शन को बन्द करने में सब साझीदार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब चाहें तो १७६ के १७६ सदस्य करप्शन दूर कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहें तो करप्शन दूर नहीं हो सकता। इसीलिए जब करप्शन को हम दूर करना चाहें तो किसी तरह भी करप्शन नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

जिस भाषा का उपयोग किया गया है उसके विषय में मैं कल निर्णय दूंगा।

I reserve that right.

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Mr. Dy. Speaker, Can things like this be expunged? Has the chair got powers to expunge such remarks from the record, Sir?

श्री उपाध्यक्ष : That question does not arise for the present.

श्री श्रीमानसिंह : Has the hon'ble member the power to challenge the ruling of the Chair?

श्री अर्जुनदास : Chair has not given its ruling.

श्री उपाध्यक्ष : That is a separate question which has been raised.

श्री अर्जुनदास : The Chair has not yet given the ruling. According to me the Chair has not got powers to expunge such remarks. If there is any unparliamentary phrase used, the Chair can say that it be expunged.

श्री उपाध्यक्ष : It is still a question whether the expression used by the hon'ble member was unparliamentary.

श्री श्रीमानसिंह : I again rise to submit that the statement of the hon'ble member, 'The chair has no power to expunge", how far it is correct to use these words and language like this for the chair? It is a question for the Chair to decide.

श्री उपाध्यक्ष : So we resume the debate after closing this issue.

(विराम)

Shri Muktilal Modi :

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, यह मैंरोसिंहजी का जो भ्रष्टाचार के ऊपर कटौती का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उस कटौती के प्रस्ताव में उन्होंने भी और मेरे दूसरे साथियों ने भी काफी बता दिया है कि भ्रष्टाचार राजस्थान में किस तरह से फैला हुआ है। माननीय उपाध्यक्षजी, भ्रष्टाचार मिटने के या करने के दो ही तरीके हैं। भ्रष्टाचार तब मिट सकता है जब कि राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाने वाले इस बात के लिए पूरी

# Page No.74



( श्री मुक्तिलाल मोदी )

तरह से तैयार हो जायें कि भ्रष्टाचार राजस्थान के अन्दर नहीं रहना चाहिए। परन्तु भ्रष्टाचार भी कई तरह का होता है और एक तरह का भ्रष्टाचार मिट जाने से कोई राजस्थान का भला है या सुधार हो, ऐसी बात नहीं है। अगर सभी तरह के भ्रष्टाचार, जिस जिस भांति होते हैं, वे मिटें तब ही राजस्थान की जनता का भला हो सकता है राजस्थान के अन्दर जो सरकार में बैठे हैं उन पर जो आज सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि आज सरकार के अन्दर इस तरह के भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सके। परन्तु किसी भी माने में हो माननीय उपाध्यक्षजी, भ्रष्टाचार तो करीब थोड़ा या घना जनता के जितने प्रतिनिधि हैं और जनता भी है उसमें भी होता ही है। सरकार यह मानकर चलती है कि उन्हें भ्रष्टाचार मिटाना है; यदि वह इस प्रकार धार ले तो रुपये में चार-छः आना भ्रष्टाचार तो मिट हो सकता है पूरा भ्रष्टाचार तो मिटना मुश्किल होगा।

३—म० प०

भ्रष्टाचार के बारे में जब हर आदमी पोलिटिक्स में आता है तो उसको थोड़ा-घणा भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। ऐसी हालत में अगर कोई यह कहे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता तो यह बड़ी गलत बात होगी, यह बड़े शरम की बात होगी।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लेंग्वेज खराब नहीं करी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : It is all right. Tolerably well, tolerably well. आरंभ रखिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : (जारी) जनता में भी आदमी खराब हैं; सरकार और माननीय सदस्य सब मिलकर चाहें तो भ्रष्टाचार ऐसी बात नहीं जो मिट नहीं सके। राजस्थान में हमने थोड़े दिनों पहले सुना था कि म्युनिसिपैलिटी और सरकार दोनों मिलकर वेश्याओं को यहां से हटा देंगे। लेकिन आज तक वे ऐसी की ऐसी मौजूद हैं। इससे राजस्थान की राजधानी में ऐसा वातावरण है, इस चीज को सरकार और म्युनिसिपैलिटी को, दोनों को मिल कर दूर करना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या माननीय सदस्य इसमें भी भ्रष्टाचार मानते हैं?

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : आप, उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से खुल्लमखुल्ला क्यों कहलवाना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आरम्भ रखिये।

( घंटी )

**श्री मुक्तिलाल मोदी**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बोलता हूँ, इसलिए मुझे बोलने के लिये समय दिया जाना चाहिये। राजस्थान सरकार ने जो बोर्ड बनाया है वह है भ्रष्टाचार का बोर्ड। इस बोर्ड के अन्दर कितने सदस्यों ने तरक्की की है, कितने कितने केसेज पकड़े हैं? अब दूसरे आदमियों को बोर्ड का मेम्बर बनाना चाहिये, दूसरे लेने चाहिये। भ्रष्टाचार को बताने वाले जो सदस्य हैं उनको भ्रष्टाचार बोर्ड में लेना चाहिये। यदि ऐसे सदस्यों को ले लें तो उनके मुंह को भी बन्द किया जा सकता है और सरकार का भ्रष्टाचार भी मिट सकता है। सरकार यदि ऐसा सोचे तो कोई बात हो सकती है। आज होता यह है कि भ्रष्टाचार बोर्ड जो बनता है, उसमें सरकार अपने पक्ष के आदमियों को लेती है इसीलिये तो भ्रष्टाचार मिटाने में कामयाबी नहीं हो सकती।

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

सरकार के अन्दर जो भी माननीय सदस्य आये हैं, उनके अलावा सरकार के अन्दर जो अफसर हैं उनके अन्दर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज ए क्लास की स्टेट हो जाने के बाद भी पता नहीं पड़ता कि सेक्रेटेरिएट के अन्दर कागज को कितना समय लेना पड़ता है उसके फैसले में। माननीय उपाध्यक्ष, थोड़े दिन पहले मैंने बाहर जाकर ये चीजें देखीं, वहां तो एक कागज को एक ही डाइरेक्टर पूरी तरह से फाइनल कर देता है। यहां दस आदमियों के बावजूद भी वे कागज को नहीं निकालते, समय पर पेमेन्ट नहीं होता और इसी से भ्रष्टाचार फैलता है।

बजट में जो पैसे खर्च होते हैं वे साल के अन्त में खर्च होते हैं। अगर हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सबसे पहले हमें सेक्रेटेरिएट में जो कागज को निकलने में समय लगता है उसको कम करना चाहिये और इसके अलावा एक दी हैड ऑफ डिपाटमेंन्ट उस कागज को फाइनल कर दे। यहां हम देखते हैं कि एक सेक्रेटरी के नीचे कई असिस्टेंट सेक्रेटरी होते है, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, उनके बाद जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं। अगर हम हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट को फाइनल करने के अधिकार देते हैं तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक मिट सकता है।

तीसरी बात यह है कि नीलाम जो करते हैं उसकी सूचना जनता को बराबर नहीं दी जाती। किसी चीज को अगर नीलाम किया जाता है तो उसकी सूचना बराबर जनता को मिलनी चाहिए। देखा यह जाता है कि आखिरी वक्त नीलाम हो जाते हैं और इससे भ्रष्टाचार फैलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जिस कट मोशन पर बोल रहे हैं वह इस प्रकार है ;

" To discuss the failure of anti-corruption Board in checking the growing corruption in the administration. " इसमें नीलाम नहीं आता। इसके अलावा आप समय कम लेंगे तो सदन के समय के साथ बड़ा न्याय होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी, इसी नीलाम से तो भ्रष्टाचार फैलता है। यह अफसरों की गलती हो, लेकिन मैं तो भ्रष्टाचार ही समझता हूँ। फिर आपकी मरजी। आप कहेंगे वैसा मान लूंगा।

( हंसी )

श्री उपाध्यक्ष : आपका आभारी होऊंगा। जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ( जारी ) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पी. डब्लू. डी. के अन्दर और बिजली विभाग के अन्दर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अन्दर जितने भी और हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अन्दर ऐसी चीजों को फाइनल कर दें कि उनको पॉवर दिया जावे या नहीं दिया जावे। अगर इन डिपार्टमेंट्स पर भरोसा न हो तो उनको कोई पॉवर नहीं दिये जाने चाहिये, वे पॉवर सरकार को अपने हाथ में, सेक्रेटरियट में रखने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके।

आज पी. डब्लु. डी. के भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण दूं कि आज छः-छः, सात-सात और आठ-आठ साल का अर्सा हो गया ठेका दिये, पर सड़कें आज तक नहीं बन पाई। मैंने पर्सनली जा जाकर और लिख लिखकर दिया पर कोई नतीजा नहीं निकला। यह कोई मेरा या मेरे क्षेत्र का ही सवाल

# Page No.76



( श्री मुक्तिलाल मोदी )

नहीं था सारे ही जिलों के काम की बात थी। तो इस तरह के भ्रष्टाचार को आप क्यों नहीं दूर करते ?

आज साल भर तक कुछ काम नहीं होता और सड़कों के लिये जो रुपया रक्खा जाता है वह लैप्स हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी हम विषय से दूर चले जा रहे हैं। आप देखिये इसमें...

"To discuss the failure of the Anti-corruption Board..."

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा साहब अब की बार...

( हंसी )

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी साहब मदद करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो एन्टी-करप्शन के अन्दर जितने काम होने चाहिये थे उतने काम उसने नहीं किये। इस एन्टी-करप्शन विभाग को चाहिये था कि वह एक ऐसी प्राइवेट सी. आई. डी. रखता, सरकार के सी. आई. डी. न रखकर जनता की सी. आई. डी. रखता, अपनी पर्सनल सी. आई. डी. रखता और जो बड़े-बड़े अधिकारी या मन्त्रीगण करप्शन करते हैं उसको पकड़ता और सज़ा देता। तो यह काम उसने नहीं किए। और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमने इतने काम किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत मैं तो यह सुनता हूँ कि छोटे-छोटे आदमियों को इस विभाग ने थोड़ा बहुत पकड़ा और उन बिचारों को जरूर सज़ा दी पर वह भी थोड़े बहुतों को ही। बड़े-बड़े आदमियों को वे नहीं छूते। इसका कारण यह है कि बोर्ड के जो मेम्बर हैं वे बदले नहीं जाते। वे भी हर साल बदले जाने चाहिये। इससे जनता को भी मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए दूसरी बार अच्छे आदमियों को बोर्ड में भेजा जा सके। इसकी रिपोर्ट सरकार भी रक्खे कि उन्होंने कितना काम किया।

करप्शन की रिपोर्ट पूरी अगर सदन को नहीं देते तो कुछ थोड़ी-घणी तो बातें जरूर वे बतावें कि उन्होंने क्या किया ?

( घंटी )

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक मिनट में खत्म करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा साहब।

( हंसी )

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसी हालत में माननीय मिनिस्टर साहब से मेरा निवेदन है कि जो एन्टी करप्शन बोर्ड वे बनावें उसमें इस ओर के और उस ओर के दोनों ओर के सदस्य रखकर बोर्ड बनावें और इस बोर्ड में जिस तरह की माननीय सदस्य खबर दें, उसकी जांच करने की कृपा करें।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो शब्द कहने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्री जी के वेतन में कटौती की बार बार चर्चा आती है जिस पर लोग भी काफी बोलते हैं, हिन्दुस्तान भर में भी इस पर काफी चर्चा चलती है। तो जहां तक राजस्थान का सवाल है और इसमें मन्त्रियों के वेतन में कटौती का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह कटौती चाहे रुपयों के रूप में बहुत थोड़ी मालूम पड़ती हो, परन्तु जहां

( श्री मुरलीधर व्यास )

तक विचारों का सवाल है, सिद्धान्त का सवाल है इसके पीछे एक जो लक्ष्य है उसकी झलक का सवाल है, उसकी पूर्ति का सवाल है, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यह कटौती बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर बड़े गौर के साथ सोचा जाना चाहिये। इसको अगर हम बहुत गहराई से देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार के लिए यह एक महत्व का प्रश्न है और इसको महत्व का समझ कर राजस्थान सरकार इस पर कोई फैसला करे तो आज जो हिन्दुस्तान के अन्दर भिन्न भिन्न विचारधाराओं के बीच में संघर्ष चल रहा है, लोग सोच रहे हैं कि कौन सी विचारधारा आज समाज को आगे बढ़ाने में और जनता का विकास करने में अधिक कारगर हो सकती है तो इसमें बड़ी मदद मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से अगर इस प्रश्न पर सोचा जावे तो मैं यह मानता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर राजस्थान का मन्त्री मण्डल या सरकार गहराई से सोचे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में अधिक मन्त्री नहीं लिये गये, बहुत थोड़े लिए गये हैं। आज इस पर भी गौरव किया जा सकता है। इस दृष्टि से कम खर्चा है। जहां तक दूसरे प्रान्तों का सवाल है बहुत अधिक खर्चा उनमें किया जा रहा है, बहुत अधिक मन्त्री रक्खे जाकर। परन्तु जब इसका हिसाब देखते हैं, १.५३ हजार का; तो इस राशि को जितने मन्त्री हैं उनमें ठीक ढंग से वितरण किया जावे तो एक लाख के आसपास पहुँचता है। फिर भी यह अधिक रक्खा गया है। मैं समझता हूँ कि यह रुपया वापिस नहीं होगा और अगर होगा तो वह भी राजस्थान के आर्थिक उत्थान के दृष्टिकोण को मद्दे नजर रखते हुए इस पर भी ख्याल किया जावेगा।

तो आज मन्त्रीजी के वेतन में कमी का सवाल है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी १॥ हजार मासिक लेते हैं। आप पांच सौ कम करेंगे, मोटर के खर्चे में कमी करेंगे; इससे कोई खास अन्तर पड़ने वाला नहीं है। पर लोग आज बार बार इस मामले को लेकर निन्दा करते हैं कि हमारे मिनिस्टर इतने इतने रुपये लेते हैं; मोटर में, पेट्रोल में, टेलीफोन में, मकान में, पानी इत्यादि में इतना इतना रुपया फूंक देते हैं, तो ये लोग छोटी सी बात को भी इसमें सौ दो सौ रुपयों, चार सौ पांच सौ रुपयों का अधिक से अधिक अन्तर पड़ता है, लेकर जो बात कहते हैं इससे दूसरे लोगों के दिमाग में ऐसा असर पड़ता है कि वाकई में इन पर ज्यादा खर्च होता है।

आज हमारा सिद्धान्त क्या है? हम समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं। कागजों में हम समाजवाद की बात करते हैं, कागजों में ही वह बात कहते हैं, जबान में उसे दोहराते हैं, पर जहां जीवन में उसे उतारने की बात आती है तो हम विपरीत चले जाते हैं। तो जब तक हम जिस बात को कहें, उसे जीवन में नहीं उतारें; आप जितनी भी बातें कहें, आम जनता के बीच में कहें, उसको जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते, तब तक उसका महत्व नहीं हो सकता। आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक कोने का प्रान्त ऐसा है जहां के मन्त्री ५०० रुपया तनख्वाह लेते हैं, वे सारे हिन्दुस्तान में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे मत्री ५०० रुपया तनख्वाह लेकर, मोटरें नहीं साइकिलें लेकर चलते हैं। बंगलों में न रहकर इस प्रकार से खर्चा करते हैं; उस विचार धारा का प्रचार

( श्री मुरलीधर व्यास )

हिन्दुस्तान में होता है, चाहे वह छोटी चीज हो, चाहे उसका बजट पर कोई गहरा असर न पड़ता हो, लेकिन यह एक बात है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा का असर सारे हिन्दुस्तान में होता है। अगर आज राजस्थान की सरकार उस बात को विचार ले, यदि आप बजट में कमी कर देंगे तो उससे आपके जीवन का खर्चा कम नहीं आयेगा लेकिन जो विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं अगर वह विचारधारा फैलेगी तो वह आपके हित में होगा। राजस्थान सरकार को एक मौका मिले कि पांच सौ रुपये में उसका मन्त्री-मण्डल कम से कम काम कर रहा है और जो भी उस मंत्री-मंडल में मंत्री हैं, उनमें एक सादगी है, सादगी और सेवा के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं, जगह जगह जाते हैं, देखते हैं कि महात्मा गांधी ने इस समाज को परिवर्तित किया, महात्मा गांधी ने इस समाज को एक नई चेतना दी, एक जागृति दी, महात्मा गांधी ने अपने खून से इस समाज को सींचा। एक तरफ महात्मा गांधी के जीवन को देखते हैं और इसके साथ साथ जब हम मंत्रियों के जीवन को देखते हैं, उनकी शान और शौकत को देखते हैं तो हम उनसे भिन्नता पाते हैं, यह भिन्नता कितनी जबर्दस्त है? यह भिन्नता महात्मा गांधी की विचारधारा से कितनी प्रतिकूल है? हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ही नहीं किन्तु दुनिया के कोने कोने में महात्मा गांधी की विचारधारा फैले, उसका प्रचार हो लेकिन यदि हम उस विचारधारा को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो महात्मा गांधी की उस विचारधारा का मूल्य नहीं रहेगा और दूसरों को सिखाने की चीज नहीं रहेगी। जो दृष्टिकोण महात्मा गांधी का था, वही दृष्टिकोण इसमें रहना चाहिये। मैं उस चीज के लिए इसका समर्थन कर रहा हूं। एक साथी ऐसा कहते हैं कि आपको भी जीवन ऐसा कर लेना चाहिये, तो वे ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी तो साधु थे, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वे महात्मा गांधी का मजाक करते हैं, उनके विचार और उनकी विचारधारा का मजाक करते हैं, उनके त्याग और सेवा का मजाक करते हैं। महात्मा गांधी साधु नहीं थे। हां, वे जानते थे कि सेवा त्याग और सादे जीवन से ही हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती है, यह देश आगे बढ़ सकता है। वे लंगोटी लगाते थे, इसीलिये लगाते थे कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग गरीब हैं, हमारा मुल्क गरीब है, वे बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहकर झोपड़ी में रहते थे, इसीलिये कि वे जानते थे कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग गांवों में रहते हैं। वे तीसरे दर्जे में घूमते थे, इसलिए नहीं कि दिखाने के लिए, किन्तु इसलिए कि वे दिखाना चाहते थे कि विषमता कैसी होती है। आज विषमता है, एक बड़ा है एक छोटा है और इसीलिये, इसी दृष्टिकोण को लेकर महात्मा गांधी उसी रास्ते को अपनाते थे। आज हम महात्मा गांधी की बात कहते हैं। लेकिन उन बातों को जीवन से उतारने का सवाल आया तो हम उनकी उन बातों को अपने जीवन में रते नहीं और जब उन बातों को जीवन में उतारते नहीं तो उसका मतलब यही होता है कि जिस समाजवादी समाज का लक्ष्य लेकर हम अमीरों के बीच में जाते हैं, हमारे साथ में वह त्याग नहीं होता, हमारे साथ में वह सेवा नहीं होती और जब वह नहीं होती है तो समाजवादी समाज के लक्ष्य

Page No.79



( श्री मुरलीधर व्यास )

का कोई अर्थ नहीं होता। पंचवर्षीय योजना के समर्थन में जनता को टैक्स देने की बात कहते हैं, दूसरी बातें भी कहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में उन बातों को उतारते नहीं, उनके अनुसार हम अपने जीवन—को ढालते नहीं, तो कोई पंचवर्षीय योजना जैसा कि बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी ने कहा, पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं, विनोबा भावे और अन्य बड़े बड़े लोग कहते हैं, कोई योजना सफल नहीं हो सकती और तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारा जीवन त्यागमय नहीं हो जाता। जो मार्ग महात्मा गांधी ने बताया उसके अनुरूप हम स्वयम् नहीं चलते, अपने जीवन में उस आदर्श को नहीं उतारते। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं। आखिर क्या होगा ? मैं सारे मंत्रियों से, सदन के सारे साथियों से, किसी दल विशेष या पक्षपात की भावना से नहीं, किन्तु उच्च भावना से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का मंत्री मंडल उन भावनाओं से प्रेरित होकर, जो आदर्श महात्मा गांधी ने देश के सामने प्रस्तुत किया उस भावना से अनुप्राणित होकर, त्याग और सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर, एक आदर्श उपस्थित करें, अपनी तनख्वाहों में कटौती करावें ताकि सारे हिन्दुस्तान को कहने का मौका मिले कि राजस्थान का मंत्री—मन्डल त्याग की भावना से, सेवा की भावना को लेकर कार्य कर रहा है। इसी दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप इसको गहराई से सोचेंगे। हमें हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी खड़ा होने का मौका मिलेगा, ट्रावनकौर कोचीन ही नहीं, किन्तु राजस्थान का मंत्री मंडल भी ऐसा है कि वहां के मन्त्री लोग (५००) रुपये के वेतन में काम करते हैं और इस प्रकार एक त्याग और सेवा की भावना का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं इसी विचार—धारा के साथ, मेरे साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ और सारे सदन के भाइयों से निवेदन करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि वे इसको गहराई से सोचेंगे और जिस लक्ष्य की ओर हम जाना चाहते हैं, जो चीज हम करना चाहते हैं उसमें सहायता मिलेगी और इसी दृष्टि कोण से मैं इसका समर्थन करता हूँ।

दूसरा सवाल जो एन्टीकरप्शन बोर्ड का है उस सम्बन्ध में कई सुझाव आये हैं, नाना प्रकार की बातें रखी गई हैं और नाना प्रकार के साथियों ने बाहर के केस रखे हैं। मैं बाहर के केस यहां नहीं रखना चाहता। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एन्टीकरप्शन बोर्ड होते हैं या उसकी कमेटी होती है, उस कमेटी में सत्ताधारी लोग होते हैं। चेयरमैन वे ही होते हैं, जहां तक प्रशासन में भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं यह महसूस करता हूं कि अधिक से अधिक भ्रष्टाचार प्रशासन में है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था में है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जब तक प्रशासन से दूसरी निष्पक्ष कमेटी नहीं होगी, चाहे बोर्ड बनाकर रखें वह बोर्ड निष्पक्ष नहीं होगा और निष्पक्ष बोर्ड के लिए यह आवश्यक है कि या तो उसमें समस्त विचार धारा के लोग हों, ऐसा न हो तो ऐसे लोग हों जिनका राजनीति से ताल्लुक न हो, ऐसे लोग हों जो न्याय पर बैठे हों, इस सम्बन्ध में जानने वाले हों। कुछ ऐसे लोग होने चाहिये जो बिल्कुल आजादी के साथ किसी स्थान पर पहुँच कर गहराई से पता लगा सकें। ऐसे लोग उनमें चुनने चाहिये।

( श्री मुरलीधर व्यास )

जहां तक प्रशासन का सवाल है, इस सम्बन्ध में कई उदाहरण हैं। प्रशासन में ऐसा होता है कि साथ में रहने वाले हैं, कई गलतियां कर लेते हैं, जो उस पक्ष के लोगों के द्वारा इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कर लेते हैं और कर लेने के कारण मुख्य आदमी होने से उन गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। यह इतिहास रहा है, परम्परा रही है। जो उसके बनाने में इतिहास है उसको दृष्टि में रखना चाहिए और उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नाना प्रकार के केस जानता हूँ, यहां नहीं कहना चाहता किन्तु इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे साथी ने जो प्रस्ताव रखा है कि यह एन्टीकरप्शन बोर्ड बिल्कुल निष्पक्ष हो, उसमें प्रशासन के लोग न हों, मैं यह नहीं कहता कि उसको खत्म किया जाय जैसी कि कुछ साथियों ने खत्म करने की बात कही है, यदि इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो यह उचित होगा।

तीसरी बात है विषमता के विषय में। कई साथी इस पर कह चुके हैं। जहां तक विषमता का सवाल है राजस्थान की सारी जनता के सामने ढोल पीटा जाता है। जनता निन्दा करती है, आप मानें या न मानें। जब विपक्ष को कहने का मौका आता है तो यह कहा जाता है कि राजस्थान की सरकार समाजवादी समाज की बात करती है और वह इस विषमता को दूर करेगी लेकिन जब वेतनन्दरों के बढ़ने का सवाल आता है तो जिनको ज्यादा मिलता है उनका और बढ़ता है और जिनको कम मिलता है उनको अपने जीवन को उठाने का मौका नहीं मिलता। यह हर जगह कहा जाता है कि कांग्रेस समाजवादी समाज की रचना करना चाहती है, हर एक को उठने का मौका देना चाहते हैं। अगर राजस्थान सरकार फैसला करती है कि हम विषमता को हटाने के लिए एक अनुपात रखेंगे, अनुपात इस हिसाब से होगा कि एक ५०) रु० पायगा तो दूसरा ५००) रु० पायेगा; १० का अनुपात रहेगा। उस हिसाब से अगर राजस्थान में वेतन किसी का कम करना पड़े, किसी का बढ़ाना पड़े, तो हमारे साथी जो समाजवादी समाज की बात करते हैं और कहते हैं कि समाजवादी समाज में किसी के वेतन को कम करने की बात नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि समाजवादी समाज का अर्थ नहीं समझा है। एक टीले को, यदि एक खड्डे को भरने के लिए, छेड़ना पड़ेगा और तब ही कहीं जाकर खड्डा भरेगा। तो समाजवाद के अन्दर इस बात का भी राजस्थान में बड़ा जरूरी मौका है और राजस्थान में यदि बाहर वालों को कुछ कहने का मौका मिलता है तो कहना चाहिये। हर स्थान में, हर सभा में यदि कोई बात कही जाती है कि देखिये राजस्थान सरकार समाजवाद की बात करती है. लेकिन यहां कितनी विषमता है! एक आदमी ३० रु० पाता है, उसके ३१ रु० नहीं होते हैं और जिसको २५ रु० मिलते हैं उसके २६ रु० नहीं होते हैं, लेकिन ५०० रु० पाने वालों के ७०० रु० हो गये हैं और ७०० पाने वालों के ६०० हो गये हैं। उन्होंने उन लोगों का फायदा किया है जिनका राजस्थान का मर्जर हुआ उस समय भी फायदा हुआ था। राजस्थान के मर्जर के समय रियासतों में जिनको ३०० रु० मिलते थे उनके ५०० रु० हो गये और उन्हीं लोगों को राजस्थान सरकार ने भी तरक्कियें दीं। जिनको वहां ५०० रु०

( श्री मुरलीधर व्यास )

मिलते थे उनके यहां ८०० रु० कर दिये गये और जिनको १२०० रु० मिलते थे उनके १४०० रु० कर दिये गये। इस तरह से जिनको तरक्की दी जाती है मैं उसके विरुद्ध हूं। मैं समझता हूँ इस बारे में सद्भावना से सोचा जायगा और वेतन दर को ऊंचा उठाया जायगा और साथ ही साथ जो अफसर हैं या बड़े लोग हैं और जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं उनकी कम की जायं, नहीं तो सारे राजस्थान में कहने और प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मैं उन बातों का समर्थन करता हूँ जो यहां कही गई हैं और आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार अपना आदर्श कायम करेगी।

**श्री सोहनलाल भटनागर** : श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि जो भ्रष्टाचार यहां फैला हुआ है उसकी वकालत करता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, खुद राज्यपाल महोदय ने माना है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है और केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में यह एक व्यापक बीमारी के रूप में फैला हुआ है, तो हमें भी यह मानना पड़ेगा। जिस समाज का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसी का प्रतिनिधित्व सरकार भी करती हैं; तो आज भ्रष्टाचार सरकार में ही नहीं बल्कि सारे समाज में व्याप्त है।

कटौती प्रस्ताव के बहाने भ्रष्टाचार के अलावा कई चीजें रखी गई, जो नहीं रखनी चाहिये थी। इस प्रस्ताव के द्वारा यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार को घटाने के लिए जिस बोर्ड का गठन हुआ है उसमें सफलता नहीं मिली है। खास मुद्दे को सामने न रख कर कई बातें इससे ताल्लुक नहीं रखने वाली कही गई। भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड के मुतलिक आल्टर्नेटिव प्रपोजल जो रखा गया है वह यह है कि इस बोर्ड के बजाय हाई कोर्ट जज या सेशन्स जज को रखा जाय। ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार सारे समाज में है तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। जो कानून कायदे यहां हैं, जो कानून कायदे गरीबों को नुकसान पहुँचा कर पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाते हैं, जैसे इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से पूंजीपतियों को फायदा होता है और मजदूरों को नुकसान होता है उसी प्रकार भूमि सुधार कानून से जागीरदारों और जमींदारों को फायदा किसानों से अधिक होता है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार का मामला एक स्वतन्त्र बोडी को दे देंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जिस भ्रष्टाचार को हम शक्ति से दबाना चाहते हैं वह नहीं दब सकेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक अफसर ऐसे थे जो भ्रष्टाचार के लिए विख्यात थे। मैंने मुख्य मन्त्रीजी के पास उनकी शिकायत की, उस पर मुख्य मंत्रीजी ने उसको सस्पेन्ड करने का हुक्म दिया बल्कि उसे बर्खास्त करने को कहा लेकिन जैसा कि नियम है बर्खास्त करने से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करना पड़ा। उन्होंने उसे बर्खास्त करने के बजाय मामूली सजा देने के लिए कहा क्योंकि पी. एस. सी. भी स्वतन्त्र बोडी है। जिस समस्या को हम सुलझाना चाहते हैं उसको राज्य की नीति के माफिक टालना पड़ेगा। यह दूर तभी की जा सकती है जब कि प्रशासन और उच्च मंत्री उसके लिए कटिबद्ध हों और सख्ती के साथ इसे समाप्त करने की कोशिश करें न कि

# Page No.82



( श्री सोहनलाल भटनागर )

कानून के नाम पर उच्च बोर्डो को ऐसे अधिकार दे दें जो कानून की शृंखला में घूमते रहें और करिप्ट को उससे लाभ मिल जाय और जो भ्रष्टाचार की बीमारी फैली हुई है वह दूर न हो सके।

**श्री अर्जुनदास :** On a point of information, Sir, does the Hon'ble member mean that the Ministers go out of legal ways and still take action? Does he suggest that they go illegally?.

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please ! Sri Janardan Rai Nagar.

**श्री जनार्दनराय नागर :** उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं और उनको लेकर बहुत सारी दिलचस्प बातें इस सदन में कही गई हैं, मन्त्रियों के वेतन को लेकर महात्मा गांधी के कामों से सहयोग और सद्भावना का उदाहरण इसमें रखा गया है। इस सदन में पहले भी मंत्रियों के वेतन को लेकर महात्मा गांधी के बार बार उदाहरण रखे गये हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें जब महात्मा जैसे व्यक्ति का नाम हमारे रोजमर्रा के जीवन के विषय में बड़े उत्साह से लेने की इच्छा हो तो हमें नहीं भूलना चाहिये कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी थे और हम एक प्रदेश के राजतंत्र तथा प्रदेश की व्यवहारिक बातों से सम्बधित हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, कि हम जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी क्या महात्मा गांधी के जीवन – पथ पर चलने की कोशिश करते हैं ? यह सदन निस्सन्देह महात्मा गांधी की कुटिया नहीं है और जहां हम रहते हैं वह भी निस्सन्देह महात्मा गांधी की कुटिया नहीं है। महात्मा गांधी के सामान्य आदर्शों पर चलना एक अच्छी बात है लेकिन हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि हम अपने औसत जीवन में महात्मा गांधी की बहुत सी चीजों को ले सकते हैं और बहुत सी चीजों को नहीं ले सकते। एक औसत क्षमता भारत के गरीब की क्षमता होती है।

यह कहा जाता है कि मंत्रियों के वेतन को और कम करना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह जाहिर करना चाहता हूँ कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। यह एक ऐसी आदर्श भावुकता है जो आज से कई वर्ष पहले गांधीजी के वचनों द्वारा हिन्दुस्तान मे फैली। उस समय जो पैसे का मूल्य था वह आज नहीं है। आज राजस्थान के मंत्री १००० रुपये लेते हैं, मुख्य मंत्री को शायद १५०० रू. मिलते होंगे, पता नहीं। आज यदि रुपये की कीमत को आंके तो वह महात्मा गांधी के उस समय के रुपये की कीमत से बहुत कम ठहरेगा। आज के हजार रुपयों की तुलना यदि उस समय के पांच सौ रूपयों से करें तो इसकी कीमत आज कम ठहरेगी। फिर जो वेतन कायम हुआ है वह पद के साथ कायम हुआ है, वह पद के साथ कायम रहता है। भारत के राष्ट्पति को १० हजार रुपये मासिक देते है और यहां हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महात्मा गांधी के अनुसार कुटिया में रहना चाहिये और जो ज्यादा वेतन लेते हैं वह नहीं लेना चाहिये। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने वेतन में कमी की है और वह भी ३००-४०० रुपये नहीं बल्कि वह भी २००० से ऊपर कटौती करते करते उन्होंने रखा है। मन्त्रियों को और कई उच्च पदों के व्यक्तियों को ऐसे व्यवहार करने चाहिये जो करने लाजमी होते

(श्री जनार्दनराय)

हैं। इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको ठीक वेतन देना चाहिये। यदि मेरा वश चलता तो मन्त्रियों का वेतन मैं बढ़ा देता। यह जरा सोचने की बात है कि क्या मन्त्रियों का वेतन कम होना चाहिये इसलिये, कि नीचे की श्रेणियों के कर्मचारियों का कम है? मैं मानता हूं कि नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है और यदि हो सके और हमारी क्षमता हो तो जल्दी से जल्दी उनके लिए उपाय करना चाहिये, लेकिन यदि यह दलील दें कि ऊपर की श्रेणी वालों की सुविधाएं कम करें तो न चाहते हुए भी हम नुकसान करेंगे।

अब सवाल यह है कि क्या वेतन में विषमता है? मैं नम्रता से यह सूचित करना चाहता हूँ कि रूस में जहां जनता और राष्ट्र एक हैं और वहां जो वेतन मिलता है उसमें काफी असमानता है। वहाँ की एकेडेमी के सेक्रेट्रीज़ को ३००० रूबल से लेकर ६००० रूबल तक मिलते हैं। एक रूबल को तुलना रुपये से करें तो रूबल की कीमत रुपये की कीमत से ज्यादा ठहरती है। अभी कुछ अर्से पहले उदयपुर में सोवियट रूस के आर्टिस्ट्स और लेखकों का एक शिष्ट मण्डल आया था, उस शिष्ट मंडल से बातचीत करने का मुझे मौका मिला था। उस शिष्ट मंडल से मालूम हुआ कि रूस में जो औसत वेतन मिलता है, मजदूर को जो वेतन मिलता है वह ३०० रूबल तक होता है। मजदूरों को जो वेतन मिलता है, उसके ऊपर प्रशासनिक पद है, सांस्कृतिक साहित्यिक प्रबन्ध, विचार और गवेषणा करने वालों के पद है, ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनको दो हजार से लेकर ६-सात हजार रूबल तक वेतन मिलता है। जो देश साम्यवादी राज्य व्यवस्था का आधार है, वहां समानता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि रूस में जीवन के कई क्षेत्रों में से असमानता मिटाने के लिए बड़ा उदाहरणीय प्रयास किया है। इस दृष्टि से देखें आप, चाइना का उदाहरण लें मैं कहता हूँ कि किसी भी साम्यवादी व्यवस्था को लाने वाले राज्य का उदाहरण लें, कुछ अर्से पहले ६–७ वर्ष पहले इंगलैंड में लेबर मिनिस्टर, लेबर गवर्नमेंट आई, वह भी अपने आपको समाजवादी सरकार कहती थी। क्या उन्होंने इंगलैंड में वेतन स्तर में कोई परिवर्तन किया हम समानता को दृष्टि में रखकर यह कहें कि वेतन दरों में असमानता ही सामाजिक असमानता है तो मैं कहूँगा कि हम भ्रम में हैं।

दूसरी बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कही गई हम मान कर चलते हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार का क्षेत्र है। मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा, यह राष्ट्रीय बीमारी है, यह राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार केवल राजस्थान सरकार में हो, और जगह नहीं, यह बात हम नही कह सकते। हमारी समस्या यह है कि भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में है और जिसका प्रतिबिम्ब राज्य व्यवस्था में है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे कम कैसे करें? हम सब जानते हैं कि हमारा समाज एक अजीब स्थिति से गुजर रहा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से नैतिकता का मानदण्ड गिर रहा है। मैं उदाहरण दूं कि श्री राधाकृष्णन ने एक उत्तम पुस्तक लिखी है उसका नाम है 'कलकी' 'कलकी में लिखा है, द्वितीय महायुद्ध से मानव जाति का बड़ा नुकसान हुआ है, वह नुकसान है मानसिक ईमानदारी। महायुद्ध के बाद हम मानसिक ईमानदारी के शिकार हैं। मानसिक ईमानदारी कुल मिलाकर

( श्री जनार्दनराय नागर )

हमारे देश में, दुनिया में कम है और उसका अवश्यम्भावी परिणाम यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन की हर सरणी में हम भ्रष्टाचार बढ़ता देखते हैं; हमारी समस्या है, यह राष्ट्रीय बुराई है, इस राष्ट्रीय बुराई को देखने के लिए हमारी कसौटी यह होनी चाहिये कि राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय बुराई को दूर करने के लिये दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में क्या कोशिश की है ? हमारे जिले के अन्दर महामारी आती है तो क्या हम यह कहते हैं कि जो जनपदध्वंसक रोग है वह सरकार द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। मुझे क्षमा किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को बदनाम करने के लिए कहेंगे। मलेरिया फैलता है, टी. बी. की बीमारी फैलती है, प्लेग आती है, महामारी आती है, क्या उन्हें राजस्थान सरकार फैलाती है। मैं कहना चाहूंगा, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, कोई प्रदेश की सरकार है, वास्तविक बात यह है कि हमारे समाज में महायुद्ध के बाद मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, कोई राष्ट्रीय बुराई घर कर गई है। हमें इस मानसिक बुराई की ओर सजग और जागरूक रहना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार की अपर सेवायें हैं, उनमें भ्रष्टाचारी अफसरों की संख्या कम है। आप कलेक्टर को लीजिये, कमिश्नर को लीजिये और दूसरी श्रेणी के अधिकारी हैं, उनको लीजिये; मैं नहीं कहता १०० प्रतिशत ही ठीक हैं, कुछ अधिकारी मिल सकते हैं, कुछ अंश तक मिल सकते हैं। राजस्थान की अपर सेवाओं में रिश्वत का सवाल है, मैं कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इस रोग के शिकार हों। मैं मानता हूँ कि अपर सेवायें हैं, उनका दृष्टिकोण है निर्णय लेने का, निर्णय लेने में पत्र—स्थगित होते हैं, देरी होती है। यदि न समझने के कारण कोई बात होती है या कोई बात सेवाओं में मिलती है तो हम नहीं कह सकते कि अपर सेवाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार में जल्दी से जल्दी निर्णय कैसे हो ? मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा। निस्सन्देह आपको स्थगत्यात्मक बहुत से मामले मिलते हैं जिससे जनता परेशान रहती है। आम जनता की बात करूं, वह शिकायत करती है कि रिश्वतखोरी बहुत फैल रही है, लेकिन रिश्वत देने वाले कौन हैं ? मैं कहना चाहता हूँ, हर गांव में १०० आदमियों में से ८० आदमी ऐसे मिलेंगे जो अपने कामों के लिये पैसा देते हैं। हमारी समस्या यह है कि राजस्थान सरकार के पत्र हैं, कागज हैं, वे जल्दी से जल्दी कैसे निकलें, जल्दी से जल्दी उन पर कैसे फैसला हो ? मैं मानता हूँ, हमारे शासनतंत्र में जो कागज निकलते हैं उसमें देरी होती है और कहीं कहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाय, कागज निकलवा सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारा रात-दिन का अनुभव है कि कागजों के पीछे ऐसे दौड़ना पड़ता है जैसे प्रेमी प्रेमिका के पीछे दौड़ता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : It is a unique experience.

**श्री जनार्दनराय नागर** : उस तरह कागज के पीछे दौड़ना पड़ता है। उदयपुर के वाटर वर्क्स के पीछे मुझे २१ रात और २२ दिन जयपुर में बैठना पड़ा, तब जाकर कागज निकला। मैंने हिसाब लगाया, मेरे जैसे एम. एल. ए. को कोई कागज निकलवाना है तो

# Page No.85



( श्री जनार्दनराय नागर )

वह कागज कई सरणियों से होता हुआ मंत्री महोदय के पास जाता है । उतने समय औसत रहने का, आने-जाने का खर्चा १०० रूपया होता है । ऐसी स्थिति की ओर मैं मंत्री महोदय का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । ऐसी स्थिति को भ्रष्टाचार कह दें तो मैं इससे सहमत नहीं हूं । इसे मैं स्थिरता या अकर्मण्यता भी नहीं कहता । उपाध्यक्ष महोदय, यहां कुछ गति की कमी है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर अधिकारी हैं, वे निर्णय शीघ्र क्यों नहीं ले पाते है, हमारे राजतंत्र में जो अधिकार हैं, जो व्यवस्था है वह इस देरी का कारण है । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि अधिकारियों को शक्ति देने की बात विचाराधीन है । पॉवर को डिसेन्ट्रलाइज करने की बात सन् १९५१ से चल रही है वह नहीं हो रही है । हमारे हैड मास्टर को इतना अधिकार नहीं है कि वह स्कूल में किसी व्यक्ति को बुलाकर भाषण करवा सके । आज इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स से स्वीकृत टाइम टेबल स्कूलों में चलता है । मैं कहना चाहूंगा कि पॉवर को डिसेन्ट्रलाइज करना ही समस्या है । इस समस्या की तरफ सन् १९५१ से ध्यान दिया जा रहा है लेकिन आज जाकर निश्चत रूप से ऐसा हो सका है कि राजस्थान मंत्री मंडल अपने अधिकारियों को अधिक से अधिक शक्ति देगा ताकि निर्णय जल्दी हो सकें । मैं समझता हूं कि इससे जनता में जो असंतोष पैदा होता है वह दूर हो सकता है ।

तीसरी बात जो कहनी थी वह यह है कि एन्टी-करप्शन बोर्ड के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त किया गया है । पहला सवाल यह है कि राज्य सेवाओं को हमारे संविधान में सुरक्षा दी गयी है, उसके कारण जहां राज्य सेवक भ्रष्टाचार करता है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाते । कई मुकदमें एन्टी-करप्शन के द्वारा अदालत में किये गये हैं, उनमें जितने भी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपराधी हमने मान लिया, उनमें से १०० में से ८०—९० प्रतिशत को निरपराध मान कर छोड़ दिया गया । आज हमें मानना पड़ेगा कि संविधान के द्वारा इन अधिकारियों को सुरक्षा मिली है, अतः यह सरल समस्या नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम केवल भ्रष्टाचार का नारा लगाकर इस अहम समस्या को सुलझा सकें ।

इसलिए मैं, भावुकता उत्पन्न जो कटौती प्रस्ताव सदन में रखे गये हैं, उनका नम्रता के साथ विरोध करता हूँ और अपील करता हूं कि राजतंत्र की व्यवस्था को अतिविवाद, अतिभावुकता से न सोच कर गम्भीरता से सोचना चाहिए । कोई बात सार्वजनिक जीवन में कहते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं नहीं कर पाते । राजतंत्र को राजतंत्र के नाते लेकर चलना पड़ता है । मैं कहना चाहूँगा कि केरल में कॉम्युनिस्ट राज्य हुआ । वहां के मंत्रीगण को ३०० रू० वेतन मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में, अन्य सुविधायें राज्य वहां देता होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि हमारे मंत्री ५०० रू० वेतन कर दें और साधन-सुविधायें राज्य से प्राप्त कर लें, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता । यदि रुपये से ही घृणा है तो मंत्री महोदय का ५०० रूपये वेतन कर दें, लेकिन और सुविधाएं हैं, वे बिना कीमत के मिलें । हमारे मंत्री महोदयों को जल का पैसा देना पड़ता है, बिजली का पैसा देना पड़ता है और ६० गैलन से ज्यादा पेट्रोल का पैसा देना पड़ता

( श्री जनार्दनराय नागर )

है। यह अनुभव वे आप ही मंत्री बन कर प्राप्त करें तब पता चले कि दर्द इतना बढ़ा है।

**श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) :** By supporting these cut-motions I would first like to deal with what has been suggested on the floor of this House that the elections were so fair. I believe the elections were not fair. Not only the elections were unfair but they were not fair because of the interference of the Government itself, by the Ministers themselves. I will give you one little example. I am told, one Jorawar Singh, the present Kotwal at Alwar had retired from service. He is too old but he happened to have some power and some of our Congress Ministers calculated that if he were to contest the elections against the Congress, he would get elected. He had declared himself to be a candidate and the net result was that he was purchased by the Government. He has been reinstated and he is working as Kotwal today at Alwar. What justification can the Government possibly have for reinstating a person who has once retired ? If you have such a policy why not apply that in all other cases ?

**श्री जनार्दनराय नागर :** I would request the hon'ble member, Mr. Dy. Speaker, through you; उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे धीरे से बोलें ताकि हमें स्पष्ट सुनाई दे।

**श्री अर्जुनदास :** May I also request the hon'ble member to speak in English so that I could also follow, Sir ?

**श्री उपाध्यक्ष :** No interchange of suggestions please ! Order please !! Mr. Arjandass to resume his speech.

**श्री अर्जुनदास :** So I was just quoting an example.

**श्री जनार्दनराय नागर :** Sir, we are very well interested in the speech of my hon'ble friend. Will you request on our behalf that he must be audible.

**श्री उपाध्यक्ष :** The hon'ble member will please be a little more audible.

**श्री अर्जुनदास :** The question which the hon'ble member has raised is about the speed, Sir, I will try to be a bit slow at least like him.

I was just now citing the example of Jorawar Siugh, the present Kotwal at Alwar. The man had retired and after having retired he stood as a candidate against the Congrss in the last elections. It was calculated that he had power enough in his pocket by which he could easily win. Because of that the Government purchased him and reinstated with a view to see that he withdraws his candidature against the Congress party candidate. I cannot understand

( श्री अर्जुनदास )

the reinstatement of a retired Kotwal. There must be uniform policy. Either reinstate one or reinstate all. Why make a solitary example and make yourself open to a charge of corruption ? I don't mean Hon'ble the Dy. Speaker, but I mean the hon'ble Minister, Sir. I am sorry for the expression Sir,

**श्री उपाध्यक्ष** : I am not afraid of that.

**श्री अर्जुनदास** : I thought you might feel offended.

So I was suggesting that the Government are not pursuing a particular policy but are trying to give advantage to particular individuals to win them over for the purposes of the elections.

I would certainly thank the Government if they could tell me that I am not correct on this point of reinstatement. Let them explain this policy as to why this man was reinstated specially just a little before the elections ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : He was reinstated two years ago. Since two years he is Kotwal at Alwar.

**श्री अर्जुनदास** : Because you had expected the elections in those days. The elections were held a little late. But what is the reason ? Why only this particular person was reinstated ? Why not all the retired persons are reinstated ? Could you say that he is an expert ? Certainly not.

In the last elections with regard to Jodhpur the Government was particular enough to get one particular magistrate Mr. Moti Mirchandani transferred to that place because he had leanings towards the Congress side. He really got false cases registered in his own court against those who were working against the Congress.

**श्री जनार्दन राय नागर** : Was the magistrate a lady, sir ? May I request the hon'ble member to state it ?

**श्री अर्जुनदास** : The microphones are too bad, Sir.

**श्री जनार्दनराय नागर** : You were not audible. I thought you were talking about some lady,

**श्री अर्जुनदास** : I was submitting that this particular magistrate Mr. Moti Mirchandani—he worked for the Congress but no action was taken against him and he continued to work in Jodhpur. I would request the Government to look into the case of Moti Mirchandani whether this fellow was working in the elections for the Congress ? But if the hon'ble minister is himself satisfied that this man Mr. Moti Mirchandani did work in the elections, I would expect the Government to take

Page No.88



( श्री अर्जुनदास )

some action against him so that an example may be set for others.

Of course in Ajmer various lady teachers who had inclinations for the ex-Finance Minister of Ajmer, Mr. Bal Krishna Kaul, were transferred to Ajmer town, his constituency to openly work for him. I could not understand the reason as to why all these lady teachers were transferred to Ajmer immediately before the elections ? of course, the reason was only one. The Government or I should say Mrs. Kaul who happened to be the onspectress of Schools in Ajmer wanted them to work for Mr. Kaul. Therefore, she transferred them to Ajmer. I would request the Government through you to ascertain whether various lady teachers were transferred to the town of Ajmer a little before the elections. The facts are clear. Look into the records and you will find yourself what happened there.

At Bhilwara, I understand, there was one Jan Sangh man, Deepak. His father and two others had three stalls just near the, road but away from the road. The road is wide enough. They were outside the town. Because Deepak happened to be the Editor of Matrabhoomi newpaper from Indore and as his father and two others were against tbe Congress, they were served with notice that their cabins be removed from that place. Now eventually immediately after the election all the theree cabins were forcibly removed by the Municipal Committee without any notice to them in writing and with heavy loss to them. All these cabins were removed and thrown aside. In spite of the fact that the goods were there, locks were broke open by the Municipal Committee without any notice to them. Why so ? Because they happened to be Jan Sangh workers. I know Deepak himself and his father. I saw the cabins when they were thrown out.

With regard to the Anti-Corruption Board my submission is that so far the Anti Corruption Board has not been able to go very far. Nobody can claim that the Anti-Corruption Board has done auything substantial. If it has not, a suggestion has been made from this side as to why not take it from the hands of the Hon'ble Home Minister and entrust it to an independent tribunal just like judiciary. The suggestion on the face of it appears to be healthy. Specially when we know that nothing substantial has been done so far, why not accept the suggestion and try it as an experiment, Sir. If the experiment does not work well, you can again shift on, or change over. But there does not appear to be any reason for not accepting this sugg-

( श्री अर्जुनदास )

estion at this stage as a measure of experiment at least. Let us try. If we get better results we can continue, if we do not get we can discontinue. The Hon'ble members on the Treasury Benches should try.

Then with regard to services, I make two suggestions, Sir. After the integration of Ajmer the office of the Sub-Registrar of Firms has been brought over from Ajmer to Jaipur. But, unfortunately, in spite of the fact that so many months have passed, but the records of this office have not yet been brought from Ajmer to Jaipur; that is only 80 miles far. There are many persons who want to take true copies of the records on payment of money, but they can't get them. When people go to them they say that the records are at Ajmer and when they go to Ajmer they say that they have got no powers to give the copies, and that copies will be granted by Jaipur office. Why not get the records here ? What is the Government going to do of the records at Ajmer ? The records have got to be brought over here one day. So many months have passed. Is the Government sleeping ? Why the Government do not propose to do that ? The Government is sleeping. This is a quest- ion of fact that the records have not yet been brought from Ajmer to Jaipur.

४. ०१ म० प०

Then the Passport office has been taken from Ajmer to Jaipur. Ajmer people, of course, have good many difficulties in obtaining passports from Jaipur office and for extension of their visas at Ajmer. I would suggest the Government that if they would possibly open a sub-station at Ajmer, it would be rather advata-geous to the public, because the number of applicants at Ajmer is rather very high, and, probably, it could be the highest in whole of Rajasthan. And with regard to the passport business at Ajmer I can cite one concrete example. A person applied for extension of his visa to stay in Ajmer for one month. He applied for extension. He got letters that your applicat-ion is under consideration. He could not possibly go to the Pass-port Department of the Govern-ment. He could not go, and he got a letter only after the period of............

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ( मुख्य मंत्री ) : On a point of order, Sir, on which cut-motion the Hon'ble member is speaking ?

श्री अर्जुनदास : It is mis-fortune of the Chief Minister. He has himself took the trouble on his shoulders.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Mr. Dy. Speeker, Sir, I would like to be enlightened on this issue.

श्री अर्जुनदास : You said that all the cut-motions be taken at a time. It is the mis-fortune of the Chief Minister that he himself brought over him.

श्री उपाध्यक्ष : My advice was to specify the cut-motion over which you are discussing.

श्री अर्जुनदास : On the Services, Sir; on the inefficiency of the services, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : All right. Resume the debate.

श्री अर्जुनदास : But the mis-forturne is of the Chief Minister who has himself got over him.

In that particular cause I would find that he got the order that he could not get extension only after the period which has already expired. He could neither go to Pakistan nor stay over here. Such is the tragic position in the Passport Department. If you can't grant him, tell him before the visa is over at least. That is another case which I was quoting.

Now with regard to services I will also bring it to the notice of the Government that the seniority list of the displace teachers at Ajmer has not yet been fixed in spite of the fact that 10 years have lapsed. The Government has allowed 10 years to lapse without fixing seniority of the teachers. Teachers don't know whether A is senior or B is senior. Looking to the present speed with which the Government is proceeding, I believe it will take another 10 years and still we might find that the seniority list has not been prepared. The seniority can be fixed in a matter of a few days, not of months or years. The Government has taken 10 years and nothing has been done so far. I would request the Government to look into this matter and fix the seniority of primary teachers, at least as early as possible, Sir.

The other thing with regard to services, I find that the Government suspends some teachers, some members of the staff and for months and months together they do not decide whether he has got to be removed from the service or be re-instated.

श्री उपाध्यक्ष : Are we relevant to the question ?

श्री अर्जुनदास : I was thinking that that cut-motion was to draw the attention of the Government towards the wastage of money, and it is really a wastage of money because if the man who is under suspensiou is re-instated after expiry of a year or two, the Government has got to pay the salary for the whole of the period. I would suggest a concrete example of Mr. V. V. John, Principal

( श्री अर्जुनदास )

of the Government College, Ajmer. He has been under suspension for more than an year. Why could not the Government decide whether he is to be removed or re-instated ? Let the Government take decision one way or the other. If you don't arrive at a decision earlier, the Government looses, the public looses its monoy both ways. If you re-instate him, you have got to pay for all the period. If you arrive at a decision that he should be removed, then the money which you have already paid to him is gone. Both ways the Government looses. Somehow or the other the Government took the fancy for conti-nuing the period of suspension rather than taking quick dispcsal of such cases. I would request the Government to tell us as to when we should expect that this case shall be decided......

**श्री उपाध्यक्ष** : If the man is less discussed, we will save lot of time.

**श्री अर्जुनदास** :Our Government can be more wiser if we bring these things to their notice.

**श्री उपाध्यक्ष** : They have taken indication that is sufficient.

**श्री अर्जुनदास** : They are a bit deaf, Sir.

Then with regard to separation of judiciary from executive, at least I want to understand as to why the Government has not proposed to take any step so far ? the matter is so easy if they only desire to do so. If the Hon'ble Ministers do not want to keep the upper hand over the Magistrates for purposes best known to them, they can easily achieve it. The best way is to appoint more sub-Judges. Give the sub-Judges magistarial powers. Appoint more sub-Judges and give them magistarial powers only. But the Government would not do it, even though it is a request from all quarters that the judiciary should be separated from the executive as early as possible I would expect the Government to tell us all, upto what period we should expect that there would be entire separation of the judiciary from the executive. Therefore, I support these cut-motions.

**श्री शिवचरणदास** : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव जो सदन के सामने प्रस्तुत हुए हैं उनके विरोध में समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा । इसमें सबसे पहले माननीय मन्त्रियों के वेतन का प्रश्न है । सभी ने इस पर अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं लेकिन मैं इसके समर्थन में निवेदन करूंगा कि मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों में से अभी एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि एक आदर्शों की भावुकता है जिसमें लोग नहीं सोचते हैं और भावुकता में कुछ कह बैठते हैं । मैं मानता हूँ कि उनके विचारों में भावुकता है लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि इस पर विचार करने से

(श्री अर्जुनदास)

पहले, मेरा जहां तक रीडिंग है वह यह है और मैंने देखा है, कि यहां पर जिस जिम्मेदारी को लेकर चुन कर आये हैं राजस्थान के एक साल के बजट का निर्णय करने जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भूलते हुए हम अपनी शब्दों की जो चतुराई है उसको ज्यादा बतलाने की चेष्टा करते हैं। बात सीधी सी है कि हमें देखना यह है कि हम आज स्वतन्त्रता के बाद किस तरह से अपना प्रबन्ध करते हुए आगे प्रगति कर सकते हैं। प्रगति का दारोमदार हमारे इस बजट के ऊपर है। यह एक बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। एक दूसरे के खिलाफ खण्डन मण्डन के ऊपर टाल देने में ही हमारी कुशलता नहीं है। हमें तो विचार करना चाहिए कि वास्तव में आज का नागरिक किन परिस्थितियों से, किन कारणों से प्रगति नहीं कर पा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य किस कटमोशन पर बोल रहे हैं?

श्री शिवचरणदास : सामान्य प्रशासन की मद पर जो कटमोशन्स प्रस्तुत हुए हैं उन पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्य प्रशासन के ऊपर जो तनसिंहजी का कटमोशन है उस पर कह रहे हैं।

श्री शिवचरणदास : जी हां, इस पर भी और जो प्रस्ताव एन्टी करप्शन के विषय में प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो कटमोशन्स हुए हैं, उन पर आप बोलेंगे।

श्री शिवचरणदास : जी हां।

तो इसमें यह निवेदन करूंगा कि हमें तो इस चीज पर विचार करना चाहिए कि हम हमारे जीवन को कितना अधिक से अधिक सरल बना सकते हैं और जीवन के सरल बनाने में अभी उधर से बोलने वाले सदस्य ने कहा था कि हम महात्मा गांधी के दिये हुए उदाहरण से आज के खर्चे से तुलना करते हैं तो एक रुपया एक हजार के बराबर होता है। मैं यह नहीं मानता हूँ क्योंकि कोई भी विचार हमारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर है। हम यदि अपने विचारों को संतुलित करें तो बजट में भी हम अधिक से अधिक कमी कर सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि मेरा बस चले तो मैं तो इस पक्ष में हूं कि मन्त्रियों का वेतन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। शायद उनके मन में यह विचार इसलिये आया कि उनका मन्त्रीपद के लिए नम्बर है...

श्री उपाध्यक्ष : No personal remarks, Hon'ble Member, please. !

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत स्पष्ट है। नाम लेने से क्या? Any how...

श्री शिवचरणदास : तो मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर हम केवल अपने शब्दों की कुशलता बताते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि बजट में हम किस तरह से कमी कर सकते हैं? हम हर मद में कमी करते करते ही कमी कर सकते हैं और जहां तक मन्त्रियों के वेतन का प्रश्न है वहां उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने सदन के सामने निवेदन किया है,

# Page No.93



( श्री शिवचरणदास )

यदि वह आवश्यकताओं को कम करें तो हमारा अतीतकाल बताता है कि हमारे राजस्थान का रहन-सहन कितना सादा रहा है। हम पाश्चात्य की नकल करते हैं, हमारा बजट उसी पर बनता है। इसी कारण हमारे पाश्चात्य विचार होने के कारण हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं होतीं। यदि हम रूढ़ीवाद के विचारों को सामने रख कर बजट को बनायें तो मैं समझता हूं कि उनके वेतनों में कमी कर देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यही नहीं, मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि अगर मन्त्री मण्डल थोड़ा सा अपने विचारों में यह उदारता लाये कि मन्त्री बनने से पहले एक नागरिक की हैसियत से जो वह जीवन व्यतीत करते थे, उस समय भी वे अपनी आवश्यकतायें पूरी करते थे, अगर उसी रूप में अपनी उदारता का परिचय देकर अपना व्यतीत करें तो बड़ा अच्छा हो बजट में काफी कमी की जा सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह पुनरावृत्ति हो रही है और इसी तरह के कई सुझाव यहां आ चुके हैं। कोई नया सुझाव हो तो that will be better for the House.

**श्री शिवचरणदास** : मैं कोशिश यही करूंगा कि इससे आगे भी मैं निवेदन करूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पुनरावृत्ति इसलिए करनी पड़ती है कि किसी भी चीज को इधर के बैठे हुए सदस्य सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं........

**श्री उपाध्यक्ष** : अपने रूल्स में उसकी इनकारी लिखी है, इसलिए कहना पड़ता है।

**श्री शिवचरणदास** : अब मैं एन्टी करप्शन बोर्ड के विषय में निवेदन करूंगा। इस पर काफी चर्चायें हो चुकी हैं, मगर मैं यह निवेदन करूंगा और दुख के साथ निवेदन करूंगा कि आज से करीब चार दिन पहले इस बोर्ड के अन्दर एक ज्वलन्त उदाहरण माननीय वित्त मंत्री जी का पेश हुआ है। हम आज उसको भूलकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और उस पर हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन आज इस राजस्थान में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार सदन है और आगे इस सदन के सदस्यों के चरित्रों की हर एक नागरिक नकल करता है और वह यह समझता है कि हमने जिन सदस्यों को यहां चुनाव में भेजा है वे वास्तव में सच्चे दिल से, ईमानदारी से हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे। लेकिन यहां तो उस ज्वलन्त उदाहरण को देखते हुए मुझे यह दुख है कि हम हमारे प्रत्येक ऑफिसर को भी यह शिक्षा देते हैं कि सदन में भी, जो इतनी बड़ी जिम्मेदार जगह है, उसमें भी अगर ऐसी चीजें चल सकती हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी विशेष आपत्तिजनक चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम उनकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं निभा सकेंगे। तो यह नहीं, मैं इस विषय में और निवेदन करूंगा कि यदि उसके ऊपर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया तो हम यह समझते हैं कि आगे के लिए यह एक बहुत बड़ी रूढ़ी हम कायम करते हैं, इससे प्रत्येक महकमे में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार पनपेगा। मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि यहां तक कि छोटे छोटे पंचायत बोर्डों में, छोटे छोटे लोगों में तो कितना भ्रष्टाचार घर किए हुए है, लेकिन इससे भी आगे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव के मौके

# Page No.94



(श्री शिवचरणदास)

पर काफी भ्रष्टाचार हुआ है । अब तक मुझसे पहले काफी सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हाल के चुनावों में जब माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे एरिया में तशरीफ लाये तो उस समय स्टेज के ऊपर खुले आम यह कहा है कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो तो याद रखना पंचवर्षीय योजना में तुम हमेशा के लिए पिछड़ जाओगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार का आरोप वित्त मन्त्री जी के ऊपर जैसा लगता है, तो मैं समझता हूं कि आज माननीय मुख्य मन्त्री जी भी इस आरोप से वंचित नहीं हैं । वह चाहें तो इसका सुबूत मैं उनको दे सकता हूं । एक ही जगह नहीं बल्कि दो चार जगह उन्होंने यह बताया है, खुली मीटिंगों में कहा है कि यदि तुमने यह भूल की है तो पांच वर्ष के लिए तुम पचवर्षीय योजना से वंचित हो जाओगे । आज जब मैंने इस बजट को देखा है तो वास्तव में उस वक्त तो मैंने उसको चुनाव स्टन्ट माना था, लेकिन जब आज बजट को देखा तो वास्तव में मुझे वह चीज याद आई और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज जिसको स्वतन्त्रता कहते हैं, आज उसके अन्दर भी इस प्रकार नागरिकों पर भ्रष्टाचारिता का प्रचार किया जाता है, जिससे उसको मजबूर होकर एक दल विशेष के साथ, चाहे उसकी आत्मा गवाह नहीं देती हो, चुनावों में उसको वोट देना पड़ता है ।

इस सदन में वित्त मन्त्री महोदय के विषय में एक लिखित पत्र के रूप में सुबूत पेश हुआ है, उस पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं होगी । यही नहीं रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से, जहां से चुनकर आया हूँ, उस निर्वाचन क्षेत्र से हिन्दू महासभा के मन्त्री श्री रावत शम्भु सिंहजी उम्मीदवार थे, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ । जब चुनावों के सिलसिले में मुख्य मन्त्री महोदय वहां पधारे तो वहां की जनता ने मुख्य मन्त्री महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहां पानी की कमी है इसलिये यहां पर भी बांध व नहर बना दी जाय, जैसा कि पहले आश्वासन दिया गया था । मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया कि शम्भुसिंहजी के पास जाइये, वे आपको नहर ला देंगे, आपने जिसको वोट दिया उनके पास जाइये । यह उत्तर था मुख्य मन्त्री जी का, जिसको वास्तव में कार्य रूप में कर बताया । आज वहां की जनता पानी के बिना प्यासी बैठी है ।

इस बजट में हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितना भी रुपया व्यय किया जा रहा है, जहां से रामराज्य के उम्मीदवार कामयाब होकर आये हैं, वहां के लिये पूरी रकम नहीं रखी गई है, वहां की जनता को किसी प्रकार भी सन्तोष नहीं है । जब तक हमारे मन्त्री महोदय पक्षपात से ऊपर उठकर विचार नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार से वे अलग नहीं हो सकते । इसलिये मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि वे अपने आपको पक्षपात और दलगत भावना से ऊपर उठाकर, अपने को जिम्मेदार समझते हुए विचार करेंगे तो उनको वित्त मन्त्री जी के प्रति जो आरोप है उस पर एक्शन लेना चाहिये । अगर आप उस पर विचार नहीं करते है तो हमारे लिये यह बड़ी शर्म की चीज होगी । सदन की चहार दीवारी में ही यह बात रहती हो, ऐसा नहीं है । न अब

( श्री शिवचरण दास )

तक ऐसी बात कोई सदन की चहार दीवारी में रही है और न आगे भी रहने वाली है....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि डिमान्ड ६ पर करीब डेढ़ घन्टे से वाद-विवाद हो रहा है, लेकिन अभीतक निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब और कितना समय लगेगा, यह माननीय सदस्यों पर निर्भर है। लेकिन इतना निवेदन मैं कर देना चाहूँगा कि कम से कम समय लेना उपयुक्त होगा ताकि कम से कम एक डिमान्ड पर तो निर्णय लिया जा सके।

**श्री शिवचरणदास** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरसक प्रयत्न इस बात का करता हूँ कि कम समय लूं। राज्यपाल महोदय के भाषण पर भी मुझे इसलिये बोलने नहीं दिया गया कि बजट पर बोलते हुए समय दिया जायगा..

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो एक्स्प्लेनेशन में समय अधिक लगा रहे हैं, आरम्भ रखिये।

**श्री शिवचरणदास** : उपाध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि वित्त मन्त्री जी के सम्बन्ध में जो कागज पेश हुआ है सदन को उस पर विचार करके उस पर एक्शन लेना जरूरी है।

करप्शन के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की, मैं भी उस सम्बन्ध में प्रकाश डालता हुआ निवेदन करूंगा कि एन्टी करप्शन बोर्ड में ऐसे सदस्य नियुक्त होने चाहिये जो निष्पक्ष हों। इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश माननीय सदस्यों ने डाल दिया है....

**श्री उपाध्यक्ष** : यों तो काफी प्रकाश पड़ चुका, आप और ज्यादा प्रकाश मत डालिये।

**श्री शिवचरणदास** : बारबार निवेदन करने पर भी कोई बात नहीं मानी जाती तो उसको फिर से दोहराना आवश्यक हो जाता है, इसीलिये उस पर बारबार प्रकाश डालने की आवश्यकता हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, एन्टी करप्शन बोर्ड के जो सदस्य हों वे निष्पक्ष हों, यही मेरा निवेदन है। एक तो हम देखते हैं कि माननीय मंत्री महोदय जिस विभाग के इन्चार्ज हैं उनके अधीन जितने विभाग हैं उन्हीं के करप्शन के मामले उनके पास जाते हैं........

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो बहुत विस्तृत रूप से निवेदन कर चुके हैं। दोहराने से केवल पिष्ट-पेषण ही होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : असर नहीं होता है, इसलिये बार बार निवेदन करना पड़ता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : रूल नम्बर २२५ इस प्रकार है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ;

"The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevace or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate may direct bim to discontinue his speech." मैं इसका आश्रय नहीं ले रहा हूँ। I do not want to curtail the rights of the speaker.

**श्री शिवचरणदास** : इसका हिन्दी अनुवाद पढ़ दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : हिन्दी अनुवाद का समय

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं । इससे केवल रिपीटिशन को रोका जाता है ।

**श्री शिवचरणदास** : मेरा मतलब यह है, मैं कोई रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आरम्भ रखिये. Let us not exhaust our patience.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आपके भाषण में बहुत ओझ और प्रतिभा है, इस लिये चालू रहने दीजिये ।

**श्री शिवचरणदास** : भ्रष्टाचार का जो आरोप माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ है, जब तक उसका निर्णय नहीं कर पायेंगे तब तक हम दूसरी जगह के भ्रष्टाचार को मिटाने में कामयाब नहीं हो सकते ।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन्टी करप्शन का जो महकमा है उसके बारे में जो भैरोंसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ । जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, आपका हुक्म है मैं नयी चीज अर्ज करूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मेरा हुक्म नहीं था, गलत समझे हैं आप ।

**श्री मदनसिंह** : आपने फरमाया कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं रिपीटिशन किसी बात का नहीं करूंगा । मैं नयी नयी चीजें आपके सामने रखूंगा जिसको सुनने में माननीय उपाध्यक्ष, मजा आयेगा और मैं समझता हूं, आप सब लोग उसे पसन्द भी करेंगे ।

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

४-२८ म. प.

मैं तो यह देख रहा हूं कि विरोधी दल की ओर से जो कुछ चीजें कही जाती हैं वे सब वाजिब समझ कर ही कही जाती हैं । आपने तो यह समझ रखा है कि विरोधी दल की किसी भी बात को माना न जाय । आपका आदेश है कि मैं, पहले जिन चीजों को कह दिया गया है, उनको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जब उधर बैठने वाले लोग उन पर विचार नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होकर चीजों को बार बार लाना पड़ता है । आपको सुनने में क्यों तकलीफ होती है ? लाखों रुपये जनता के हजम कर गये, यह तो हम जानते हैं कि हम पांच-दस आदमियों के होने से आप मानने वाले नहीं हैं, लेकिन पहले रोज जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर मैं बोल रहा था तो मैंने कहा था कि हम सब जनता से चुने हुए प्रतिनिधि यहां आये हैं, चाहे हम रामराज्य परिषद् के हों, जनसंघ के हों या किसी भी पार्टी के हों, हमें विचार करना चाहिये कि किस प्रकार हमारा रुपया ठीक ढंग से खर्च किया जा सकता है और इसलिये सबसे अच्छा उपाय यह है कि न तो मुख्य मन्त्रीजी से रुपया कम होगा और न मिनिस्टर कम करने वाले हैं ; इसके लिये तो जो एक एन्टी करप्शन महकमा खुला हुआ है उसमें अगर अच्छे लोग हों तो इस चीज को वे बन्द कर सकते हैं । उसमें मेरा एक अच्छा सुझाव है कि यह महकमा विरोधी दल को दे दिया जावे । मैं शर्त से कहता हूँ कि इससे जितनी भी खड़बड़ाटी और गड़बड़ीटी होती है आज उसको ६ महीने में हम खत्म कर सकते हैं ।

(करतल-ध्वनि)

मैं सदन के सारे सदस्यों से और मिनिस्टर महोदयों से यह निवेदन करता हूँ कि विरोधी

( श्री मदनसिंह )

दल के हाथ में यह महकमा दे दिया जावे और उसे ६ महीने का समय दे दिया जावे, तो हम बता देंगे कि कौन जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया हड़प कर सकता है ? हम देखेंगे कि कौन उसे खा सकता है ? इस राजस्थान में किसकी छाती में बल है कि वह जनता का रुपया इस तरह से खा जाय ? तो इस भ्रष्टाचार को रोकने का तो एक ही सुझाव है कि जब तक यह महकमा विरोधी दल के हाथ में नहीं आ जाता तब तक यह भ्रष्टाचार का रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता।

अगर यह महकमा होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब के नीचे रहेगा या किसी भी मन्त्री या किसी भी सत्तारूढ़ दल के सदस्य के हाथ में रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। उनके हाथों में रहते हुए भ्रष्टाचार के मिटने की आशा करना और इस हाउस में उस पर बहस करना बिलकुल गलत चीज है। इसे आप हमें सौंप कर देखें, फिर हम भी देखें कि किसकी हिम्मत है जो भ्रष्टाचार कर ले ? आज जो भ्रष्टाचार करते हैं वे या तो भाग जावेंगे राजस्थान छोड़ कर या भ्रष्टाचार करने का उनका विचार ही बन्द हो जावेगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आपने तो सात पीढ़ियों तक राज्य किया था इस प्रदेश पर। इसे खाते–खाते खोखला बना दिया। अब कितना खावेंगे ?

**श्री मदनसिंह** : नौ-दस पढियां गिना दूंगा।

**श्री सभापति** : (श्री सज्जनसिंह) No interfrence please.

**श्री मदनसिंह** : नदांता टाकुर का कभी राज्य नहीं हुआ है। यह तो मैं एक ही पीढ़ी की बात कह रहा हूँ। जिन पीढ़ियों की आप बात करते हैं उन दस पीढ़ियों में जितना भ्रष्टाचार नहीं किया गया उतना आज इस पीढ़ी ने इतने थोड़े समय में ही कर डाला है। (विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि) और इतना होने पर भी जो बातें आप करते हैं उससे मैं जानता हूँ कि आप इसके लिए कुछ नहीं सुनेंगे, हम इसका जवाब जनता से दिलावेंगे।

**श्री सभापति** ( श्री सज्जनसिंह ) : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन्टरफियरेन्स न करें। No cross talkiug please.

**श्री मदनसिंह** : नई चीज नहीं सुनना चाहते हैं, तो पुरानी चीज को शुरू कर दूं।

**श्री सभापति** ( श्री सज्जनसिंह ) : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने विषय पर ही बोलें।

**श्री मदनसिंह** : सभापति महोदय, मैं उसी पर कह रहा हूँ। यह डिपार्टमेन्ट विरोधी दल को मिलना चाहिये, यह मेरा सुझाव है; होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को नहीं नहीं मिलना चाहिये और इसके लिए एक स्पेशल लॉ बनना चाहिये कि मिनिस्टरों पर जहां खाने का आरोप हो, उनके लिए विशेष तरह की जेल और कानून बनना चाहिये, जहां उनको रक्खा जावे; तब भ्रष्टाचार मिट सकता है। अन्यथा राजस्थान क्या स्तान.... ..

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह महकमा मांग रहे हैं। हमने तो इनको सात पीढ़ी तक राज करवा दिया, तब भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा

# Page No.98



(श्री नाथूराम मिर्धा)

सके। अब यह भ्रष्टाचार ६ महिने में मिटा देंगे !

**श्री भैंरोंसिंह** : कितना आपकी इस पहली पीढ़ी के पांच वर्षों में भ्रष्टाचार है और कितना पिछली सात पीढ़ी में भ्रष्टाचार था, दोनों की तुलना कर लें तब भी जागीरदारों की सात पीढ़ी का भ्रष्टाचार आज के बराबर नहीं होगा।

**श्री सभापति** (श्री सज्जनसिंह) : पर्सनल टॉ स इस विषय में नहीं होने चाहिये और जो विषय है उसी पर वाद-विवाद होना चाहिये।

× × × ×

**श्री मदनसिंह** : हमारे वक्त में भ्रष्टाचार होता ही क्यों ? ×××× जिनके हाथों में सोना और चांदी था उनको भ्रष्टाचार की जरूरत ही क्या थी ?

**श्री सभापति** : Order ! order please !!

**श्री मदनसिंह** : मैं बोलने आया हूं सदन में, इस तरह सुनने नहीं आया हूं। पिछले इतने दिनों से मैं यहां देख रहा हूँ और बोल भी रहा हूं और सदन की मर्यादा समझ कर मैं भी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। पर इस तरह से चोट वे अगर करते हैं तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनको जब तक कि आप नहीं रोकेंगे तब तक मैं नहीं रुकूंगा।

**श्री सभापति** (श्री सज्जनसिंह) : आप दोनों साहबों से अर्ज किया गया है, मन्त्री महोदय भी ऐसे रिमार्क पेश नहीं करें।

(करतल-ध्वनि)

---

श्री अध्यक्ष की आज्ञा से यह अभिव्यक्ति कार्य विवरण में से हटाई गई।

**श्री मदनसिंह**: इसलिये जब तक कांग्रेस का राज्य है, जब तक कांग्रेस के नीचे रह कर कोई भी कमेटी काम करती रहेगी तब तक भ्रष्टाचार को अगर हम बन्द करना चाहते हैं, तो वह कभी बन्द नहीं हो सकता। इसलिये यां तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के किसी जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को उस कमेटी में आप रक्खें तो इस कमेटी का काम निष्पक्षता से चल सकता है, नहीं तो फिर विरोधी दल है आपके सामने, उनके हाथों में इसे सौंपें; तभी यह भ्रष्टाचार मर सकता है। मैं नहीं चाहता था कि इस सदन में ऐसी चीजें हों क्योंकि मेरे स्पष्ट भाव थे और है कि मैं सदन में चुनकर आया हूँ, कोरी तनख्वाह लेने नहीं आया हूँ। तो इस सदन के जरिये भी जनता का भला हो सकता है या नहीं, यह देखूं ? हम यहां सब भाई-भाई की तरह से हैं हम जनता रूपी एक कुटुम्ब के सदस्य हैं। तो इस तरह की बातें हम नहीं करें जिससे हममें कटुता बढ़े। मेरी पीढ़ियों के लिये तो कहते हैं, पर मैं कहता हूं कि कांग्रेस की करोड़ पीढ़ी भी हो जावेगी तो उससे यह भ्रष्टाचार को मिटाने में मेरी पीढ़ी की बराबरी नहीं कर सकेगी। यह इतिहास बतावेगा और मेरी पीढ़ियों ने तो पैसे के लिए बात नहीं की। हमारी पीढ़ियों से भी पैसा खानेवाले तो आप ही रहे हैं।

इसलिए इतना कहकर निवेदन करता हूं कि इस कटुता को छोड़कर मेरे सुझाव पर ठण्डे दिमाग से बात करें कि ६ महीने के लिए एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को विरोधी दल के हाथों में दे दिजिये। मैं आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान से भ्रष्टाचार मिट जावेगा और मैं मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि हम आपस में राज-बाजी हो लें तो यह अच्छा है।

(हंसी)

(श्री मदनसिंह)

[illegible]

इस कटौती पर बोले तो जवाब में भी बोला गया है, मेरा आपसे कभी मतलब नहीं था, आपके फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से नहीं था। आपको ऐसी चीज बुरी लगी है तो क्षमा चाहता हूँ।

(हंसी)

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मुझे कोई चीज बुरा नहीं लगी। पर इस बात पर आपकी ओर से चार दिन से बहुत सी बातें आई हैं। बहुत सी बातें आप गलत कहते हैं।....

**श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) :** मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस वाद-विवाद में वे न पड़ें।

**श्री भैरोंसिंह :** ओन, ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अभी माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि विरोधी दल की ओर से चार दिन से बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी बातें उसमें गलत कही हैं। मैं उनके इस स्टेटमेन्ट पर ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। मैं उनसे पूछूंगा कि किन किन भाषणों में विरोधी दल की ओर से गलत बातें कही गई; तो माननीय सदस्य यह बतावें, नहीं तो अपने ये शब्द वापिस लें।

**श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) :** ये तो आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं और यह वाद-विवाद चल रहा है, उसकी डिटेल्स और इन्सीडेन्ट्स में जाना उपयुक्त नहीं होगा।

**श्री भैरोंसिंह (१४) :** यह सब कुछ ठीक है सभापति महोदय, पर इस तरह से गलत शब्द का प्रयोग करना कहां तक उचित है? अगर इस पर कुछ न कहा जावेगा तो क्या यह माना जावे कि उन्होंने जो बातें सुनी वे गलत थीं। और जो उन्होंने कहा वह सही है?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमंत्री) :** माननीय चेयरमैन महोदय........

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, माननीय सभापति महोदय........

**श्री सभापति :** Let the Hon'ble Chief Minister explain what he wants to..........

**श्री मदनसिंह :** इस पर खींचातानी न हो तो अच्छा है। यह मैं प्रेम और श्रद्धा से कहता हूं। अगर चीफमिनिस्टर साहब बुरा माना है तो वे यह न मानें। पर वे अगर अब भी बोलेंगे तो हम कोई पीछे नहीं रहेंगे।

**श्री सभापति :** आप जब बोल रहे थे तो डिस्टर्बेन्स नहीं किया था। आपको इस तरह दूसरों को भी सुनना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह :** सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि इस तरह से गलत बात कहने का, आरोप लगाकर सारे विरोधी दल की तौहीन की है, इसलिये विरोधी पक्ष की ओर से मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि या तो वे साबित करें कि विरोधी दल की ओर से कौनसी बात गलत की गई, नहीं तो वे अपने वे शब्द वापिस लें। मैं विरोधी दल की ओर से कह रहा हूँ। अगर वे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो........

**श्री सभापति :** Order please ! let him have his say.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,............

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मन्त्री ) : माननीय चेयरमैन महोदय........

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आप एक सेकिंड बैठिए। माननीय सभापति महोदय, मैं पोइन्ट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूँ। माननीय मन्त्री जी को बैठ जाना चाहिये।

**श्री सभापति** : मैंने निवेदन किया कि जैसे आपने कहा उसके सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर बोलना चाहते हैं उन्हें आपको सुनना चाहिए। आपने यह कैसे मान लिया कि वे क्या कहना चाहते हैं ?

**श्री भैरोंसिंह** : चीफ मिनिस्टर महोदय को हम अच्छी तरह से सुनेंगे, पर यह मामला चीफ मिनिस्टर साहब से सम्बन्धित नहीं है। जिन माननीय मन्त्री महोदय ने विरोधी पक्ष की ओर से गलत बातें कहने की बात कही है वे यह बताएँ कि कौन कौन सी गलत बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गई हैं या फिर वे अपने उन शब्दों को वापिस लें।

**श्री सभापति** : यह आरोप-प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से होते आये है। इसको इसी तरह से मानकर चलने से अच्छा होगा।

**श्री रामकरणसिंह** : खास तौर से गलत बात........

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : सभापति महोदय, कौन सी गलत बात कही गई, तो सबसे पहले मैं उसी से शुरू करूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सौ रुपये का पानी एक मिनिस्टर महोदय एक महीने में पी जाते हैं। आखिर कितना पीते हैं, यह तो इस बजट से ही अन्दाज हो जावेगा। इसमें पानी के लिये सिर्फ २५) रुपये की व्यवस्था है। यहां पर वाद-विवाद पर बहुत सी चीजें चली हैं, उन पर तो और अलग से कहूंगा पर कौन सी गलत और कौन सी सही कही गई है, इसके लिए एक कॉन्क्रीट बात कहना मैं पहले पसन्द करूंगा जिससे वे समझ सकें आसानी से।

आज सुबह से यहां पर जो वातावरण चल रहा है इस बात को लेकर कि जो सामान्य प्रशासन व्यवस्था के लिए यहां मांग पेश की गई है, अभी मेरे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि मैंने जो कुछ बात कही है उसमें कोई द्वेष की भावना नहीं बल्कि इस ख्याल से कहा कि जिससे आगे कुछ काम कर पायें। मैं उनकी इस बात को इसी भावना से लेता हूं कि दर असल उन्होंने राजस्थान में सुधार की दृष्टि से ही यह बात कही थी। मैं यह निवेदन करूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को जिन्होंने एण्टीकरप्शन बोर्ड के विषय में बहस की है, मैं समझता हूं कि उनको एण्टीकरप्शन बोर्ड में कौन कौन सदस्य हैं यह जानकारी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एन्टीकरप्शन बोर्ड दो साल पहले इसी शासन द्वारा बनाया गया था जिसमें विरोधी दल के नेता, जो उस समय श्री जसवन्तसिंह जी थे, को एक सदस्य रखा गया, दूसरे मिनिस्टर इन्चार्ज इसके चेयरमैन हैं, एक शोभाराम जी इसमें हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं और एक बहुत ही सीनियर सेशन जज इस बोर्ड के अन्दर हैं। एक तरफ यह कहा गया कि जुडिशियल का आदमी इसके अन्दर नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि सीनियर सेशन जज उस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, दूसरा विरोधी दल की ओर से प्रतिनिधित्व हो तो उसमें विरोधी दल के नेता थे। मैं, चेयरमैन महोदय, यह भी निवेदन कर दूं कि विरोधी दल के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नेता होते हुए, मेरी जानकारी में एक भी ऐसी घटना नहीं है कि विरोधी दल के नेता की राय ली हो, उन्होंने एक राय दी हो और उससे भिन्न कांग्रेस वालों ने दूसरी राय जाहिर की हो।

(करतल-ध्वनि)

सारी की सारी बातें कह देना आसान है। मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के नेता को ऑपोर्चुनिटी दी गई, लेकिन यहां पर सारे एन्टी-करप्शन बोर्ड को लेकर यह दर्शाना कि इस पक्ष की ओर बैठे हैं वे भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं और उस ओर जो बैठे हैं वे भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ाना चाहते, मुझे क्षमा करें, इस ओर के बैठने वालों के लिए जनता जानती है, वे जनता में घूमे हैं, जनता में काम किया है, भ्रष्टाचार को हम मिटा सकते हैं दूसरे नहीं मिटा सकते हैं।

(करतल-ध्वनि)

बहुत बातें जरूर कही गई हैं। भ्रष्टाचार के मामले चले हैं, किसी ने पसन्द नहीं किया है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, चेयरमेन महोदय, ऐसी ऑपोर्चुनिटी आई है, लेकिन मैं जाऊं उसके अन्दर, तो यह उचित नहीं होगा।

क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स के विषय में बार बार यह कहा गया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि उधर से समाजवाद की बातें कही जाने लगी हैं। चुनावों के बाद सब से अच्छी बात यदि पाई है तो यह पा लिया है कि सदन सारा समाजवादी होगा, चर्चा तो करने लगे कम से कम समाजवाद की।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं, जो आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कहा जाता है। हम इधर बैठे हैं, फर्क इतना ही है कि उधर बैठने वाले, भाषण देने वाले ठीक हो सकते हैं केवल भाषण देकर, लेकिन इधर जो बैठने वाले हैं वे जो कहते हैं उनको उस पर अमल भी करना पड़ता है। इतना असर होता है। कटौती प्रस्ताव आये कि मिनिस्टरों की तनख्वाहें कम कर दी जायं, कमियां बताई गई हैं, १ लाख रुपया मोटर पर खर्चा होता है, कम कर दिया जाय। कमियों की चर्चा हुई हैं। मैं समझता हूँ, चेयरमेन महोदय, यदि इस सब का हिसाब लगाया जाय और यह मान लें कि ऐसा कर रहे हैं तो १० लाख से ज्यादा नहीं होगा। एक तरफ तो यह कहें, मैं मानता हूं, १२०० कर दी जाय तो यह हो नहीं सकता है। इस सम्बन्ध में चर्चा कर ली जाय। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले साल भर के अन्दर २५० से कम वेतन पाने वालों की तनख्वाहों में ७० से ८० लाख की बढ़ोतरी का परिवर्तन किया है।

(करतल-ध्वनि)

चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि क्लास फोर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कहा गया, उनकी सर्विसेज़ लम्बे अर्से से है और उनकी जो स्थिति थी उस शासन-काल में उसको दुनियां जानती है, इस शासन व्यवस्था के द्वारा उसमें एक अभूतपूर्व गति आयी है, यदि हम उस शासन-काल से इसको मिला कर देखें। जिनका रास्ता बन्द पड़ा था उनके लिए पहली बार इस साल ७ रुपया महीने की उनको तरक्की मिली है, शिक्षा निःशुल्क मिली है, जो अलग है। मैं समझता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी के लोगों को कुछ भी मिला, वह इस शासन व्यवस्था में ही मिला

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है। कोई नहीं कह सकता है कि १५०० रुपये मिलने वालों की तनख्वाहें ही बढ़ाई हैं और इन लोगों की नहीं बढ़ाई हैं। मैं समझता हूँ कि यही कहा जा सकता है जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जीवन भर कार्य करने के बाद जब रिटायर होता था तो उसको ४५) रुपये महीने से अधिक नहीं मिल सकता था, लेकिन आज राजस्थान में वर्ष भर में यह स्थिति पैदा की जा सकी है कि वह जिस वक्त रिटायर होगा उसको ६५) रु० मिलते होंगे, जिसको ४५) मिलता था रिटायरमेंट पर उसको आज ६५) रु० मिलते हैं। यह एक वर्ष का निर्णय है जो राजस्थान सरकार ने लिया है। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जो कुछ कहा गया वह केवल भाषण में ही है उनकी ओर से, लेकिन हम उनकी वास्तविक स्थिति को जानते हैं, पहले से उनमें काम किया है और आज ही नहीं कर रहे हैं, जिस श्रेणी से आते हैं उनसे नजदीक का सम्पर्क रहा है, उस स्थिति को जानते हैं। आज कोई यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि उसका विरोध करें और जो उधर की ओर से कहा जा रहा है वही सब सही है, लेकिन चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे दिल में उनके प्रति ख्याल है और उसका हम एक ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं कि केवल जबान से ही नहीं कहते, करते भी हैं और यह किया है कि जो कर्मचारी ४५ रुपये पर रिटायर होता था अब वह ६५) रुपये माहवार पर रिटायर होगा। इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सवा साल पहले मामूली से मामूली चपरासी को, अथवा नये चपरासी को, अब ७ रुपये ज्यादा मिलते हैं; यह एक साल में किया गया। तो कुछ आगे बढ़े हैं।

यह कहा गया कि १२०० से १५०० की तनख्वाहें कर दी गई, मैं निवेदन करूंगा कि यह गलत है, यह कहना सही नहीं है। सही तो यह है कि १४०० से १५०० की गई। पहले ग्रेड था ८०० से १००० और २०० स्पेशल पे। कुल मिला कर १४०० होते थे। जो परिवर्तन हुआ है उसे और याद करने की बात है। १४०० से १५०० उस समय किए गये जब कि ४५ से ६५ किए गए। दोनों की बढ़ोतरी का एवरेज देखिये। १४०० से १५०० करने के परसेन्टेज का और ४५ से ६५ करने के परसेन्टेज़ को ख्याल में रखना होगा। समाजवादी समाज की रचना के लिए प्रयत्न करना है और यह उसका उदाहरण है। अच्छा हो, चेयरमेन महोदय, हमारे ऊपर ही इसको छोड़ दें, बनिस्पत इसके कि केवल भाषण देकर ही इस ओर संतोष कर लें।

दूसरी चर्चायें भी हुई हैं। उनके अन्दर कहा गया यह है कि पी. एस. सी. से जो रिक्रूटमेंट होता है और रिक्रूटमेंट होने की बात को गवर्नमेंट चेंज कर देती है। मैं निवेदन करूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन पर जो बहस होती है वह सन् ५३–५४ की रिपोर्ट है, यह माननीय सदस्य समझ कर चलें। सन् ५३-५४ तक और उसके आस पास राजस्थान की सार्वजनिक सेवाओं में, सर्विसेज के एकीकरण में, सारी चीजें ठीक करने में समय लगा है और उसके कारण कई कमियां मिल सकती हैं और उसके पीछे पब्लिक सर्विस कमीशन की अवहेलना ही छिपी हो, यह कारण मानने में नहीं आता है। आम तौर पर हमने पिछले २॥ वर्षों में हर सर्विसेज़ के लिए, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्रोमोशन हो, चाहे आर. ए. एस. की इमर्जेन्सी के लिए हो, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन्स को गवर्नमेंट लेवल पर बदला गया हो, मैं

# Page No.103



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

दावे के साथ कह सकता हूं कि एक नाम में भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं बताया गया जिसमें आर. ए. एस, आर. पी. एस. या जनरल सर्विसेज़ के अन्दर या पी. एस. सी. ने रिकमन्ड करके भेजा हो और राजस्थान सरकार ने दो वर्षों में चेंज किया हो। हमने रेस्पेक्ट किया जहां रिक्रूटमेंट का सवाल है। मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी करप्शन केस के सिलसिले में या एम्बेज़लमेंट केस के सिलसिले में कोई रिकमन्डेशन भेजी हो, सजा तजवीज की हो, इस प्रकार का कोई भी केस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं मिलेगा जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने सजा तजवीज की हो और हमने उस सजा को कम कर दिया हो और सजा न दी हो। आज कहना आसान है। हम प्रयत्न करते हैं इसीलिए कि हम आगे बढ सकें, कमियां दूर हों।

जंगलात के बारे में बहस हुई। उस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय से ताल्लुक आता है। वे उसका जवाब दे चुके है। अच्छा होता यदि इस मामले में जो कुछ कहना था, वह उस समय कहते जिस समय फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट की डिमान्ड आती। उस समय उस विभाग के अधिकारी और मंत्रीजी मौजूद होते। इस समय डिटेल में उदाहरण दिये गये, यह कैसे हो सकता है कि मैं एक बजे सुनूं और चार बजे तक यह जानकारी कर लूं कि कौन सा ठेका किसको दिया गया? इसके विस्तार में जाना मेरे लिये संभव नहीं है। और चीजें साफ नहीं है, वक्त वक्त पर आ रही हैं।

एक सदस्य ने कहा कि सत्संगी पर एक्शन लेने का मामला मेरे बस्ते खामोशी में पड़ा है। मै कहना चाहता हू कि मेरे बस्ते खामोशी में कोई फायल नहीं पड़ी रहती है। मेरे पास आज तक कोई फायल इस बारे की नहीं है। जो चीज कहते हैं वह छिपती नहीं है। मेरे पास कोई फायल नहीं है। आज ही नहीं, बल्कि १०–१५रोज से कोई फाइल नहीं है। कोई सदस्य यह समझे कि आज कल की डेट में चलीं जाय, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि १०–१५ रोज से नहीं है।

एक सदस्य ने कहा कि बलवन्तसिंह आर. ए. सी. में गया तो बैंड बजा, इसलिए कि उसने चुनाव में मदद की। चेयरमेन महोदय, बम्बई गवर्नमेन्ट के सामने उसने सरेन्डर किया। चुनाव समाप्त होने के बाद नयी गवर्नमेन्ट बनने के बाद वह सरेन्डर करता है और चुनाव के समय वह पाकिस्तान में रहता है और यहां चुनाव होता है उसके लिये कहा जाय कि उसकी मदद से चुनाव जीता, मैं बताना चाहता हूं कि उसके पाकिस्तान में रहने पर भी कांग्रेस जीत गई, तो इस तरह से जीतने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस बहुत सीटों पर जीत कर आई है, एक दो सीट नहीं जीतती तो भी कोई बात नहीं थी।

मिनिस्टरों की सेलेरीज़ और मोटर खर्च की भी चर्चा चली। जहां तक १००० रु. का सवाल है इन्कम टैक्स देने के बाद ६०० रू आते हैं। इस पर चर्चा चली तो कहते हैं कि ३००–३५० रू० होने चाहिये, लेकिन लाख डेढ़ लाख बैठ जाते हैं। एक सदस्य ने कहा कि चार आने की सब्जी के लिये भी मोटर जाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले जितन खर्चा पेट्रोल का होता था वह

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

गवर्नमेन्ट गेरेज से दिया जाता था लेकिन हमने फैसला किया कि ६० गैलन से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। ६० गैलन से ज्यादा खर्चा होता है तो अपने पैसों से खर्चा करना पड़ता है। आज मैं निवेदन करूं कि मेरे जैसे आदमी को भी ४०—५० रू जेब से खर्च करने पड़ते हैं। पानी के लिये कहा गया कि पानी की मश्कें पी जाते हैं। ऐसे विद्वान सदस्य को इतनी बात कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? २५ रु. से ऊपर जो पानी का खर्चा होता है वह देना पड़ता है। मकान कुछ बड़ा होता है, चाहे वह हमें पसन्द हो या न हो, लेकिन जिस प्रकार से बना हुआ है उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है क्योंकि सराउनडिंग ज्यादा है। यदि इसमें बचत करें तो वह पैसा मिनिस्टर की जेब में नहीं आता, २५ रू के बजाय १५ रू का पानी खर्च करें और बिजली ७५ रू के बजाय ५० की खर्च करें तो मिनिस्टर के पास बचत नहीं होती, ट्रेजरी में जाती है, मिनिस्टर को नहीं मिलती है। फेक्ट यह है कि जितना गवर्नमेन्ट से मिलता है उससे ज्यादा ही खर्च होता है। तो बिजली, पेट्रोल, मोटर पार्ट्स, टूट की जाती है वह सब शरीक है। स्पेअर पार्ट्स आते हैं वह भी शरीक है। सारी चीजों पर गवनमेन्ट को इतना खर्चा करना पड़ता है, हम पेट्रोल ६० गेलन से ज़्यादा नहीं लेते हैं, पार्ट्स को निकाल कर बिजनेस नहीं करते हैं। पेट्रोल पी जाते हों, ऐसी बात भी नहीं है। आम तौर से जो चीजें हैं उसी तरह से लागू करते हैं। हजार रुपयों के बारे में कई प्रकार की बातें कही गई। सन् ३४—३५ की बात है, करांची सेशन में एक रिज़ोल्युशन पास किया गया था कि मंत्रियों का वेतन ५०० रु० होना चाहिये। उसे आज २२ वर्ष होने आये हैं। इस बीच में रुपये की जो कीमत भारत में हुई है वह किसी से छिपी नहीं है और जिस समाजवाद और परिस्थितियों पर विचार करते हैं, और समाजवाद के आदर्श हम केरल को ही क्यों लें, रूस को ही क्यों न लें। हमारे यहां पर ख्रुश्चेव और बुल्गानिन आये थे, उनका जो स्टेन्डर्ड है उसको देखने से हमको वहां का अन्दाज लग सकता है, वहां की पुस्तकों से भी हमको जानकारी मिल सकती है। मैं समझता हूं, भारत वर्ष के किसी भी मिनिस्टर का ऐसा स्टेन्डर्ड नहीं होगा जैसा उनका है। केरल में साइकिलों पर मिनिस्टर आते हैं क्योंकि इससे प्रचार होता है। उन्होंने कम किया है तो अच्छी बात है, उस पर कायम रहें और दूसरों के सामने उदाहरण रखें। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता।

चेयरमेन महोदय, इलेक्शन के बारे में कहा गया कि इलेक्शन में लोगों पर प्रेशर डाला गया और कुछ सदस्यों ने कहा कि म्युनिसिपेलिटीज़ ने कइयों को नोटिसेज़ दिये। मैं यह मुश्किल से समझ पाता हूं कि म्युनिसिपेलिटीज़ यदि किसी को नोटिस दे या पंचायत किसी को नोटिस दे दे और कार्यकर्ता चाहे कितने ही अच्छे हों तो उसका चुनाव से क्या संबंध है?

भीलवाड़ा के कार्यकर्ता के बारे में कहा गया। मैंने पहली बार उनका नाम सुना कि वे जनसंघ के एक्टिव वर्कर भीलवाड़ा के है। वे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोटिस देने की आवश्यकता समझी गई और बहुत परिवर्तन हुआ? लेकिन यह तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी गलती करे जिसके कारण उसको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नोटिस दिया जाय और वह आकर यह कहे कि मुझे नोटिस चुनाव की वजह से दिया गया, यह तो कोई बात नहीं हुई।

एक सदस्य ने कहा कि चुनाव के कारण मोटर गाड़ियों के लिए अधिक रुपया रखा गया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि चुनाव तो समाप्त हो गये; अगले वर्ष इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि चुनाव के समय सरकारी गाड़ियों में हम कभी नहीं गये व प्राइवेट गाड़ियों में सरकारी झंडा कभी नहीं लगाया। यहां पर एक प्रश्न के द्वारा जानकारी चाही गई थी, उसके उत्तर में हमने बताया कि सारे महीने में एक भी सरकारी विज़ीट नहीं है जिससे कोई कह सके कि हमने सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया है। यदि कहीं गये हैं तो गैर सरकारी तौर पर गये हैं।

एक सदस्य ने कहा था कि शंभुसिंहजी जहां से आये थे वहां का उनका एरिया सूखा छोड़ दिया गया और वहां कुछ काम नहीं किया गया क्योंकि वे विरोधी पक्ष के थे। मैं निवेदन करूं कि उसी क्षेत्र में गंगापुर में हाईस्कूल है, रायपुर में हाईस्कूल है। गंगापुर से भीलवाड़ा तक सड़क बनी है और जहां से वर्तमान सदस्य जीत कर आये हैं वहां सड़क का काम तेजी से चल रहा है। जिस क्षेत्र से वे जीत कर आये हैं वहां कम्युनिटी ब्लोक काम कर रहा है....

**श्री भैरोंसिंह** : ये सभी उदयपुर डिविजन में हैं, इसलिए वहां काम हो रहा है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : (जारी) मुझे निवेदन करना था, यह कहा जाता है कि विरोधी दल की तरफ से जीत कर आये हैं इसलिए कार्य नहीं होता है, तो यह गलत बात है। अभी एक्सटेन्शन ब्लोक खोला गया। जहां से विरोधी दल के लोग जीतकर आये वहां खोले गये....

**श्री मदनसिंह** (दांता) : वहां नहीं खोले गये।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : दांता का ख्याल आगे रखेंगे।

इलेक्शन के दौरान में प्रेशर की बात कही गई और उसके लिए बार बार वित्त मंत्री जी का उदाहरण देकर कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है। उन्होंने यह नहीं जानते हुए कि वह सरकारी कर्मचारी है उसको पत्र लिखा। उसके बाद उनसे कोई लाभ उठाने का दूसरा प्रश्न खड़ा नहीं होता। मैं समझता हूं कि जो बात उन्होंने कही और उनकी स्थिति जैसा व्यक्ति उस बात को स्पष्ट कर देता है, उसे सदन में लाकर दुहराया करें, उससे मैं समझता हूं कि एक बात जिसको आप पुष्ट करना चाहते हैं, वह बार बार कहने से पुष्ट नहीं हो जाती। निरर्थक वाद—विवाद चला करता है, जबकि वे उस बात का स्पष्टीकरण कर चुके हैं। एक अमीन को चिट्ठी लिख कर क्या फायदा उनको होता? फिर आपने देखा होगा कि वह भी एक पोस्टकार्ड पर लिखा हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने पद का फायदा उठाया। मैं आपसे निवेदन करूं कि जब वे चुनाव के लिए खड़े हुए थे, आप मंत्री नहीं थे, केवल सदन के सदस्य थे। ऐसी स्थिति में, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है कि वह समझ कर चलें कि यह मंत्री

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

का प्रश्न था। मेरी मान्यता थी, मैं, चेयरमैन महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उदाहरण पेश किये, कहीं म्युनिसिपैलिटी की बात कही, कहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात कही, कई छोटी मोटी और भी बातें कही गई। मेरे द्वारा इस बात को सदन में कहने के बाद बहस खड़ा हो और कहीं से लाकर कुछ बात खड़ी की जाय! यह सत्य है कि आज जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके बारे में इस सदन में फिर भी नहीं कहा गया। उन्होंने निष्पक्षता पूर्वक चुनाव का संचालन किया, यह विवाद का प्रश्न नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने तय किया कि वे निष्पक्ष रहें; तो चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों या उस पक्ष में बैठने वाले हों, सबकी यह कोशिश होनी चाहिए। यह नहीं कह कर चलें कि सर्विस वाले हमारे व्यक्ति हैं वे आपके विरोधी हैं। उन्होंने, जो स्थान रखना चाहिए था, वह रखा है। एक मामले को बार बार कह कर, जान-बूझ कर, उनके ऊपर डाल देना चाहते हैं, उससे हित नहीं होता। बार बार कह कर हम उनको बनाते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कुछ दलीलें जो एक पक्ष की हैं, दूसरे पक्ष की हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ जो सत्य है उसको मान कर चलें तो हम राजस्थान की ज्यादा सेवा करके चलते हैं।

दूसरे, भ्रष्टाचार की बात को लेकर ऐसा वाद-विवाद होने लग गया है जैसे चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज इस भ्रष्टाचार के बारे में जितनी चर्चाएं की जाती हैं, वे राजनैतिक दृष्टि से ज्यादा की जाती हैं। भ्रष्टाचार है या नहीं, यह मैं नहीं कहता। हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। आपने माननीय राज्यपाल महोदय ने उसकी तरफ इशारा किया, हम भी प्रयत्न करना चाहते हैं। अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रेल्वे इन्क्वायरी कमेटी ने और दूसरे लोगों ने कुछ इस सम्बन्ध में सजेशन दिये हैं। यह सूचना दी गई है, तो इससे कुछ रास्ता निकल सकता है, यह हमको सोचना चाहिए। मैं आपसे निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जो हमारे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी हैं, जिनके बारे में हम भ्रष्टाचार की चर्चाएं करते हैं, वे भ्रष्टाचार से दूर हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत उनमें नहीं मिलेगी। वह ठीक है, बहुत से फोरेस्टर्स के अन्दर यह बात मिलेगी, पटवारियों के अन्दर मिलेगी और कुछ और जगह मिल सकती है। जहां भी मिले, जिनके अन्दर मिले, हमें दूर करना है। आज का वक्त है जब इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिये। यह मान कर कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, कोई खास काम नहीं हुआ है, यह चर्चाएं करना उचित नहीं होगा। एक सवाल उठाया कि एन्टी करप्शन बोर्ड ने क्या किया? मैं आप की जानकारी के लिये बता दूं तो उचित होगा। पिछले अर्से के अन्दर सात गजटेड ऑफिसर्स को एन्टी करप्शन बोर्ड ने सस्पेंड किया। एक मोहनलाल डेवलपमेंट ऑफिसर को डिसमिस किया, पूनमचन्द असिस्टेन्ट सेटलमेंट कमिश्नर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिस्चार्ज किया। दो इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स का तीन साल के लिए इन्क्रीमेंट रोक दिया है, ६६ नोन गजटेड को सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल-इन्क्वायरी के लिए कहा है, २४ नोन गजटेड को डिसमिस किया ४ को डिमोट और किया एक इस्तीफा देकर चला गया। चार गजटेड ऑफिसर

# Page No.107



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

जो रेड हैन्डेड पकड़े गये, उनके केसेज़ का चालान किया गया, १२२ नोन गज्टेड ऑफिसर्स को और पकड़ा गया। इस प्रकार से यह समझना कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, बैठे हुए हैं, कोई प्रयत्न नहीं चल रहा है, यह मानना उचित नहीं होगा। अब मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, आमतौर से यह देखने में आया है कि बहुत जोर से भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है और जब उस ऑफिसर का तबादला कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध शिकायत को साबित करने के लिये आदमी नहीं मिलते। कुल मिला कर यह देखने में आता है कि व्यक्ति विशेष का तबादला हो जाय, यह मुख्य मकसद होता है शिकायतों का, लेकिन शिकायत को साबित करने में सहयोग नहीं मिलता। मैं आपके द्वारा चेयरमैन महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां इस प्रकार के अवसर हों, वहां साबित कर लेने में भी माननीय सदस्य सहयोग दे सकते हैं और इसका प्रयत्न करें, मैं समझता हूँ, यह प्रश्न आसान होगा। लेकिन उसके साथ यह भी ख्याल में रखना है कि आज जो भ्रष्टाचार का सवाल है, उसके बारे में सख्ती की कार्यवाही करने की बात भी हो सकती है। एक माननीय मित्र कहते हैं कि यह सारा हमें सौंप दिया जाय, हम तुरन्त हल कर देंगे। वे और कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ, हमें यह लक्ष्य सामने रख कर चलना है। भारतवर्ष का जो संविधान है, वह संविधान सर्विसेज़ को संरक्षण देता है, उनको संरक्षण देना एक हद तक उचित है क्योंकि यह हो सकता है कि आज जो हम लोग बैठे हैं, हम उन पर ज्यादती कर सकते हैं, उन पर नाराज़गी उतार सकते हैं, आपको सौंप दिया जाय तो आप भी नाराज़गी उतार सकते हैं। अगर उनको डिफेन्स करने की ऑपोरचुनिटी न हो तो यह कहा जायेगा कि अन्दर बैठ कर रूलिंग पार्टी और अफसर मिल कर फैसला कर देते हैं। विरोधी दल के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनको इस बोर्ड में इसीलिये लिया है जिससे कि हर एक पर विश्वास पैदा हो सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन के अंदर विश्वास पैदा करने के लिये उस बोर्ड में पर्सोनल इस प्रकार रखे जिससे पक्षपात नहीं हो सकता, मेरिट पर फैसला होता है; और भी अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता उस बोर्ड में होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन उस बोर्ड के साथ साथ, दरअसल भ्रष्टाचार के प्रश्न के साथ कई बातें उठ खड़ी होती हैं जिनकी ओर मैंने पहले प्रकाश डाला है। कागज-पत्रों को निकालने की बात है, उसके साथ प्रोसीक्युशन के बारे में, इन्वेस्टीगेशन के बारे में जो मुख्य चीजें हैं, इनके बारे में हम चाहते हैं, इन्हें मजबूत बनायें जिससे बोर्ड में बैठ कर फैसला नहीं कर पाये। कोई भी मामला इन्वेस्टीगेशन हुये बिना बोर्ड के सामने न आये, अदालत के सामने न आये। मैंने यह सब निवेदन किया था, मैं उम्मीद करता था कि उन लोगों की तरफ से कुछ सुझाव आयेंगे कि और क्या क्या हो सकता है, लेकिन बजाय, मुझे क्षमा करें, चेयरमैन महोदय, इसके कि कोई बात सामने आये, ऐसा ख्याल होता है कि केवल राजनैतिक दृष्टि से बातें कहें, उस दृष्टि से कहते जाते हैं, उसके अन्दर पड़ जाते हैं। हमें इस दृष्टि से बात करनी चाहिये कि जो कमी है, उसको दूर करने का तरीका क्या हो और उस तरीके से बहुत सी बातें मीट विथ की जा सकती हैं।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

आज, चेयरमेन महोदय, जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट करने के बारे में जोर दिया गया। मैं उसके सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक इस उसूल का सवाल है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन जो बाधा हमारे सामने उपस्थित होती है, वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की वजह से देरी हो रही है। हम देश भर में देखें, आम तौर से किसी भी राज्य के अन्दर पूर्णरूप से यह लागू नहीं किया जा सका। राजस्थान में कुछ जगह जहां जहां मौका मिला, मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को अलग रखने का प्रयत्न किया है। आगे भी जहां सम्भव होगा इसे बढ़ाने का बराबर ध्यान रखेंगे कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट करने का प्रयत्न करें।

हिन्दी में कार्य करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया। यह भी कहा गया कि पहले हिन्दी में काम होता था, अब और कमी हो गई। चेअरमैन महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम बराबर प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वैसी स्थिति पैदा हो जायगी जब हम हिन्दी के अन्दर काम-काज ज्यादा से ज्यादा शुरू कर पायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोकस्ट से सोजत और दूसरे इलाकों में काफी नुकसान हुआ। कोई दो वर्ष पहले की बात होगी। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के लोकस्ट विभाग और राजस्थान वालों ने रिपोर्ट कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको याद होगा कि मैं स्वयं वहां गया था और यह बात को स्वीकार की थी कि दरअसल नुकसान हुआ है और उसके मुताबिक कार्यवाही की गई, नुकसान को लक्ष्य में रखते हुए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स को मेडिकल सर्विसेज फ्री मिल सकें, इसके लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। इसके क्या आर्थिक परिणाम होंगे, इससे कितना खर्चा आयेगा, इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही निश्चित स्थिति में आ सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाय? अभी इससे ज्यादा कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ।

यहां पर एक यह जिक्र भी किया गया कि हम स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड बना देते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से भी बनता है, जो आई. ए. एस. के प्रोमोशन के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन का एक मेम्बर होता है, तो स्टेट्स के मेम्बर भी बैठ जाते हैं और वह बोर्ड सारे के सारे प्रोमोशन करता है। इसी तरह राजस्थान के अन्दर भी आम तौर से प्रमोशन के लिये सिलेक्शन बोर्ड होता है या इमर्जेंसी रिक्रूटमेंट के लिये सिलेक्शन बोर्ड की व्यवस्था की गई है, पर उनमें इन्वेरियेबली पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बर होते हैं और वे काम करते हैं। इस सिलेक्शन बोर्ड की रिपोर्ट के बाद में वह रिपोर्ट फिर पी. एस. सी. के पास जाती है, पी. एस. सी. उस रिपोर्ट को एप्रूव करती है, तब कहीं वह अन्तिम मानी जाती है।

सर्विसेज़ में स्लेकनेस, रेड टेपिज्म के बारे में बातें कही गई। मैंने अभी निवेदन किया कि हम खुद इस मामले में प्रयत्नशील हैं। मैंने कहा है कि Special Administrative कमेटी बिठाई थी, जांच कर इस बात का इरादा रखते हैं कि और कितने पॉवर्स का विभाजन कर सकते हैं और प्रोसीजर में भी

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

कुछ अन्तर किया जा सकता है कि नहीं, यह सम्भव है कि नहीं, इस तरह जांच करके कदम उठायेंगे। उठाया है, यह मैंने आपसे निवेदन किया है। इसकी इम्पोर्टेन्स को हम समझते हैं, यह अत्यावश्यक है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर का जिक्र किया गया। जो फैक्ट्स कई महानुभावों के लिये बताये गये कि अमुक में इतने रुपये निकलते हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है तो मैं इस बारे में जांच करूंगा और जांच करने पर जो तथ्य सामने लाये गये हैं वे सही प्रतीत हुए तो निश्चित तौर से इस पर सरकार कार्यवाही करेगी और इस तरह की कार्यवाही करने में सरकार नहीं झिझकेगी। वही कार्यवाही भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में की जायगी। इस बारे में पूरी जांच करके, क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस सोच विचार में हम हैं। पूरी जांच होने पर जो लीगल-एक्शन होगा गवर्नमेंट लेगी। एक माननीय सदस्य ने छापरवाड़ा केनाल के बारे में कहा। इस पर इर्रिगेशन मंत्री जब जवाब देंगे तो वे ही कह सकते हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बारे में जिक्र आया। यह बात सत्य है कि जागीर रिज़म्पशन का कार्य ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है कोर्ट ओफ वार्डस को वाइन्ड अप करने का प्रयत्न किया जा रहा है और माननीय सदस्य ने जो जो बातें बताई हैं उन पर ध्यान रखा जायगा और इस तरह इस महकमे को वाइन्ड अप करने का प्रयत्न किया जायगा।

कमिश्नरों के बारे में सुझावें आये हैं। कमिश्नर्स की क्या आवश्यकता है, इस खर्च को बचाया जा सकता है, पहले भी चर्चा में यह प्रश्न आया था; मैंने शायद उस समय कहा था कि कुछ जगह हैं, कुछ जगह नहीं हैं, जहां हैं वहां क्या क्या एडवान्टेजेज़ हैं और जहां नहीं हैं वहां क्या क्या डिसएडवान्टेजेज हैं; पूरी तरह से यह देखने के बाद इस पर कार्यवाही होगी।

एक माननीय सदस्य ने, न मालूम उनको क्यों मीर चंदानी साहब से ज्यादा अपनापन आ गया है, उनके बारे में कहा। पर उनके बारे में जो कुछ फैक्ट्स यहां रखे हैं वे तो बहुत जनरल हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस केन्डीडेट की बहुत मदद की। पर किसको की, कैसे की? जब उन्होंने इस तरह की कार्यवाही की तो विरोधी सदस्य ने मौके पर उनकी जरूर शिकायत की होगी कि अमुक अफसर कांग्रेस के मेम्बर से मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, क्योंकि मौके पर जो भी इस तरह की बात हो उसको रेकर्ड पर लाया जाय, बजाय इसके कि आज सदन में कहा जाय जब कि एक आदमी को डिफेन्ड करने की ऑपोर्च्युनिटी नहीं है।

उन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि जोरावरसिंह को एक्सटेन्शन दे दिया गया कि वह चुनाव में खड़ा नहीं हो। तो मैं कहूंगा कि चुनाव में तो बहुत खड़े होंगे और हम उन सबको इस तरह एक्सटेन्शन देने लगेंगे तो हमारी बड़ी मुसीबत आ जायगी और वह भी दो वर्ष पहले से जिसका एक्सटेन्शन हो गया उसके लिये यह कहना कि चुनाव की वजह से एक्सटेन्शन दिया गया, यह उसके प्रति, जिसे एक्सटेन्शन दिया गया, और सरकार के प्रति, दोनों के प्रति अन्याय है। हम तो जानते भी नहीं कि वह कौन है?

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

यही संक्षेप में, जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उनके ऊपर प्रकाश डालने का मैंने प्रयत्न किया है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों को कितना संतोष इससे हुआ और कितना नहीं, पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो बातें अपनी बहस के दौरान में रखीं और जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही करना सम्भव है, अवश्य कार्यवाही की जायगी और आगे भी आप निश्चित बातों के बारे में जो सामग्री रखेंगे उस पर सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी।

और मुझे आशा है कि जो कट मोशन रखे गये हैं उनको माननीय सदस्य वापिस लेंगे और इस डिमान्ड को एक राय से पास करेंगे।

( करतल-ध्वनि )

**श्री पी. के. चौधरी** : I withdraw my cut-motion. मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति** ( श्री सज्जनसिंह ) : सिद्धान्ततया ५ बजे तक हाउस के बैठने का समय है। चूंकि मुख्य मन्त्री जवाव दे रहे थे, कन्टिन्युएशन ओफ स्पीच की वजह से सवा पांच बज गये। इस डिमान्ड पर बीस पच्चीस कट मोशन्स हैं और अगर विरोध दल के सदस्य जवाब देना चाहें तो उनको "राइट ऑफ रिप्लाई" का अधिकार है; ऐसी स्थिति में यह निवेदन करूंगा कि कि क्या आप सब अधिक बैठ कर इस डिमान्ड को पास करना चाहते हैं?

क्या सदन की अनुमति है कि और अधिक बैठकर इस डिमान्ड को पास किया जाय?

(स्वीकृति व अस्वीकृति सूचक विभिन्न आवाजें)

**श्री शिवचरणदास** : आज नहीं साहब, समय बहुत हो गया है साहब, और मुख्य मन्त्री ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनका जवाब देना आवश्यक है।

**श्री सुखाड़िया** : माननीय सदस्यों को क्या एतराज है, इस डिमान्ड को तो पास कर लें।

**श्री सभापति** : लेकिन विरोधी दल के सदस्यों को, मुख्य मन्त्री के जवाब पर यदि वे जवाब देना चाहें तो, राइट ऑफ रिप्लाई है, १५–१५ मिनट भी बोलें तो अधिक समय तक बैठना होगा। हाउस बैठना चाहता है तो मुझे आपत्ति नहीं है।

**श्री शिवचरणदास** : हमें इसमें आपत्ति नहीं थी, पर अब तो इतनी आपत्ति हो रही है............

**श्री सभापति** : तो क्या मैं समझूं कि हाउस बैठने के लिये तैयार है? हाउस कन्टिन्यु रखा जाय?

यदि कोई सज्जन बोलना चाहते हैं, राइट ऑफ रिप्लाई एक्सर्साइज करना चाहते तो वे बोलें।

**श्री भैरोंसिंह** : चेयरमेन महोदय, कई पोइन्ट्स ऐसे है जिन पर हमें बोलना पड़ेगा ...

**श्री सभापति** : मुख्य मन्त्री की स्पीच में कोई नई बात कही हो तो उस बात का जवाब देना है। बाकी उनकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान रखा जाय। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री ने आप द्वारा उठाये गये पोइन्ट्स का ही जवाब दिया है।

# Page No.111



**श्री भैरोंसिंह** : वह ठीक है, पर कई बातों को तोड़-मरोड़ कर जवाब दिया है। अब समय हो चुका है इसलिये इसे कल के लिये स्थगित कर दिया जाए। कल ही इसका उत्तर दिया जाएगा।

**श्री सभापति** (श्री सज्जनसिंह) : अभी आपने इसके लिये निश्चय किया था।

**श्री भैरोंसिंह** : निश्चय नहीं किया था। यदि आप चाहेंगे तो कल बहुत थोड़े समय में जो बातें तोड़ मोड़ कर कही गई हैं उसका उत्तर दे दिया जाएगा। हम सब दो दो, तीन-तीन मिनट में उत्तर दे देंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति, मैं समझता हूँ कि अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने भी तो कई प्रश्न उठाये और अभी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जानकारी करके दिये हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके पास तो गवर्नमेंट मशीनरी है जो आपको उत्तर तैयार करके देती है, हमें तो खुद को ही सब कागजात देखने पड़ते हैं।

**श्री सभापति** : यदि आपकी बात को सदन के नेता स्वीकार करें तो........

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : एक डिमान्ड तो पूरी करें।

**श्री तनसिंह** : सभापति महोदय, आज ही एसेम्बेली का अधिवेशन समाप्त होता हो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो ६॥ घंटों के बजाय १६॥ घन्टे भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब बहस कल चालू रहेगी तो जरा हम भी देख लें कि क्या क्या शब्द इस्तैमाल किये गये हैं। रिपोर्ट भी तैयार हो जावेगी और हम अच्छी तरह से उत्तर दे सकेंगे।

**श्री सभापति** : क्या सदन के नेता की अनुमति है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : अच्छी बात है। इनको अध्ययन करने का मौका दिया जाए।

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज ५.०३ मध्यान्ह पश्चात्, दिनांक १५. ५. ५७ के प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

## संक्षिप्त विवरण

( मंगलवार, १४ मई, १९५७ )

स्कम्भ | स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नोत्तर** १८०८

जयपुर नगर में बापू आश्रम का शिलान्यास

इस वर्ष भरतपुर जिले में खोले जाने वाले विद्यालय

तहसील सूरतगढ़ में पंजाबियों को भूमि से वंचित करना

कृष्णा छात्रावास, सीकर में हरिजन विद्यार्थी

गत वर्ष अलवर जिले के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धन-राशि

हिन्दी विकास व प्रसार हेतु शासकीय योजनाएं

चित्तौड़ जिले में ५५ से ५७ तक रोला व वर्षा से क्षति

राजस्थान दलित वर्ग संघ की वाहन द्वारा प्रचार कार्य

धौलपुर सब डिवीजन में सीमेंट हेतु पत्थर की खोज

तहसील कोटपुतली में गत तीन वर्षों में लगान की छूट

प्राइवेट कम्पनियों में शासकीय पूंजी व उससे लाभ

तहसील सलूम्बर की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक

उदयपुर जिले के अकाल ग्रसित घोषित क्षेत्र

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग हेतु नियत राशि

पूर्व धौलपुर राज्य के बेडा पंडितान में काम करने वालों का भविष्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाडमेर जिले में किया जाने वाला कार्य

रूपवास, बयाना व भरतपुर तहसीलों में फसलों को क्षति

बाडमेर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया जाने वाला कार्य

अरणाद (जि० कोटा) में श्री रामचन्द्र जी के मन्दिर की माफी भूमियां

झालावाड़ जिले में उच्च विद्यालय

पिछड़ी जातियों हेतु ११ चिकित्सालय

गंगानगर में तमलीकनामे व विरासत के मामले

राजस्थान के गजटेड ऑफिसर्स में हरिजन

**स्थगन प्रस्ताव** १८६०

१० मई, १९५७ को रामबाग रोड, जयपुर में हुई कार दुर्घटना सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान नहीं की।

**जन-लेखा एवं प्राक्कलन समिति के सदस्यों की घोषणा** १८६१

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों,

१९५७–५८ के निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किये गये।

**मांग संख्या ६-सामान्य प्रशासन**

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त मांग पर १७ कटौटी के प्रस्ताव निम्नलिखित सदस्यों ने प्रस्तुत किये :

श्री तनसिंह
श्री रामेश्वरदयाल
श्री तेजाराम
श्री लक्ष्मण हीरात
श्री पी. के. चौधरी
श्री भीमसेन
श्री भैरोंसिंह (१४)
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री मोहरसिंह
श्री लच्छूराम
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री सम्पतराम

निम्न लिखित सदस्यों ने उक्त मांग के पक्ष एवं विरोध में विचार व्यक्त किये—

१८६२ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
रावराजा श्री सरदारसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री मुरलीधर व्यास
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री जनार्दनराय नागर
श्री अर्जुनदास
श्री शिवचरणदास
श्री मदनसिंह

इन आलोचनाओं का श्री मुख्य मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् सभा की बैठक स्थगित की गई।

**बुधवार, दिनांक १५ मई, १९५७**
**की कार्य-सूची**
(अनुदानों की मांगों पर मतदान)

# परिशिष्ट १

( कृपया प्रश्न संख्या ११३ का उत्तर देखिये )

## जातिवार मासिक छात्र संख्या (सूची सन् ५६–५७)

| क्रम संख्या | नाम माह | | छात्र संख्या | चमार | बलाई | मेघवाल | धानक | महा ब्राह्मण | रैगर | मेहतर | भांभी | नायक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अप्रेल, | ५६ | ३५ | ४ | १४ | ६ | .... | .... | ६ | १ | ४ | .... |
| २, | मई | ५६ | ३५ | ४ | १४ | ६ | .... | .... | ६ | १ | ४ | .... |
| ३ | जून, | ५६ | .... | .... | ग्रीष्मावकास | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| ४ | जुलाई, | ५६ | ३७ | ७ | १४ | ६ | १ | १ | ५ | १ | १ | १ |
| ५ | अगस्त, | ५६ | ३८ | ७ | १८ | ३ | १ | १ | ५ | १ | १ | १ |
| ६ | सितम्बर, | ५६ | ३८ | ७ | १८ | ३ | १ | १ | ६ | .... | १ | १ |
| ७ | अक्टूबर, | ५६ | ३५ | ७ | १६ | ३ | १ | १ | ५ | .... | १ | १ |
| ८ | नवम्बर, | ५६ | ३४ | ७ | १६ | ३ | १ | १ | ४ | .... | १ | १ |
| ९ | दिसम्बर, | ५६ | ३४ | ७ | १६ | ३ | १ | १ | ४ | .... | १ | १ |
| १० | जनवरी, | ५७ | ३३ | ७ | १५ | ३ | १ | १ | ४ | .... | १ | १ |
| ११ | फरवरी, | ५७ | ३३ | ७ | १५ | ३ | १ | १ | ४ | .... | १ | १ |
| १२ | मार्च, | ५७ | ३३ | ७ | १५ | ३ | १ | १ | ४ | .... | १ | १ |
| १३ | अप्रेल, | ५७ | २६ | ५ | ११ | ३ | १ | १ | ३ | .... | १ | १ |

नोट : महतर छात्र दिनांक २४-८-५६ को छात्रावास छोड़कर चला गया।

# परिशिष्ट २

( कृपया ता० प्रश्न संख्या १२५ का उत्तर देखिये )

Schemes approved under the various schemes of the Second plan are as follows :—

Hand'oom.

| | Target of work | | Expenditure during the plan period. |
|---|---|---|---|
| | | | Rs. in Lakhs. |
| 1. Inspection and stamping offices | 24) | | 20.68 |
| 2. Handloom Sales Depots | 24) | | |
| 3. Finishing, Calendering & Dyeing Centres. | 1 | | 3.78 |
| 4. Research, Designing & Marketing Section | 1 | | 1.54 |
| 5. Handloom Mobile Sales Van | 3 | | .70 |
| 6. Establishment of Dyeing House | 24 | | 7.33 |
| 7. Grant as working Capital to production Societies running at loss | | | 2.28 |
| 7. Conversion of looms | | | 2.5 |
| 9. Rebate on sale of Handloom cloth | | | 1.00 |
| 10. Working Capital to weavers of Co-operative societies. | | | 18.125 |
| 11. Share Capital to new weavers | | | 0.75 |
| II. SHEEP & WOOL DEVELOPMENT. | | | |
| 1. Wool Research Laboratory | 1 | | .13 |
| 2. Woollen Technological Institute (Persons to be trined) | 1 | (60 Diploma holders) | 6.1 |
| 3. Sheep & Wool Training School Extension workers to be trained | 1<br>125 | | 1.3 |
| 4. Mechanical Production Centres to be established at Bikaner. | 1<br>(12 lacs Lb. of wool & woollen Yarn) | | 2.0 |
| 5. Extablishment of fiinshing Centre at Jodhpur. | 1<br>(Finishing of 1,35,000 Yds. | — | 203 |
| 6. Blankets productions-cum training Centre, Jodhpur. | 1<br>(27,000 blankets. Training to 100 artisans) | | 4.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Sheep Breeding and Research Station, Jaipur. | 1 | .51 |
| 8. | Drugget and Carpet production cum-training Centre. | production of 18.00 Sq-Yds. of Drugget & Carpets & training of 100 artisans. | 2.57 |
| 9. | Pilot wool Carbonising Plant, Sojat Road, Jodhpur. | 10,40,000 Lb to be carbonised. | 6.3 |
| 10. | Loans & grants | 250 persons to be given loans. | 8.565 |
| 11. | Go ordination office | 1 | 2.31 |
| 12. | Wool Grading and marketing Organisation | | ) 15.03 |
| 13. | Community Sheeping sheds | | ) |
| 14. | Up-grading of Sheep Breeding Farm | | ) .24 |

III. KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES.

| | | Target or work | Expenditure during the plan period |
|---|---|---|---|
| 1. | Mobile Demonstration Unit for Wardha Ghanies Demonstration Institutes to be worked. Persons to be trained. Loans to be advanced and subsidy to be given. | | .44 |
| 2. | Gramodyog Model Production Centre. | 1 | 4.77 |
| 3. | Organisation of Exhibition & General Training programme. | | 1.54 |
| 4. | Wollen Cloth Production Centre | 1 | 3.11 |
| 5. | Cottage Match Industry | 3 Lakh boxes | 2.89 |
| 6. | Main & Village Sales Euporia | 4 | 3.19 |
| 7. | Saranjam Workshop | 1 | 3.19 |
| 8. | Loans to institutions & societies | 10.4 | 10.4 |
| | subsidy. | 5.0 | 5.00 |

IV. DRUG INDUSTRY.

| | | | |
|---|---|---|---|
| V. | Industrial Research Laboratory existing one to be expanded. | 1 | .36 |

परिशिष्ट



| | Target or work | | Expenditure during the plan period. |
|---|---|---|---|
| VI. Industrial Estates | | | 79.71 |
| Establishment of two Industrial Estates, Jaipur & Bhilwara. | 2 | | |
| VII. Silk & Sericulture Institute, Kotah | 1 | | 5.17 |
| VIII. Marketing Organisation to build up a chain of Emporia and marketing agencies to facilitate the sale of small scale and Cottage Industries products. | 3<br>20 | Emporia<br>sub-Emporia | 9.84 |
| IX. (a) Production-cum-training centres in 16 trade. | 37 | | 40.00 |
| (b) Persons to be trained | 4080 | | |
| X. Loans to Cottage & small scale Industries. | | | 70.00 |
| XI. Development of Gur & Khandsari. | | | 2.2 |
| (a) Training centres | 5 | | |
| (b) Persons to be trained | | 500 | |
| (c) Crushers to be purchased | | 5000 | |
| XII. Central workshop for Small Scale Industries. | 3 | | 20.83 |
| XIII. Gadila Lohar Workshops | 2 | | 6.05 |
| (a) Families to be rehabilitated | 100 | | |
| XIV. Industrial and Economic Survey | 10.00 | | 10.00 |
| XV. Develompent of Salt petre industry, salt petre to be refined. | 80000 Mds. | | .62 |
| XVI. Development of Salt Industry Brine Wells to be worked. | 80 | | 1.64 |
| XVII. Quality marking centres for selected products | 26 | | 1.64 |
| XVIII. Tanning and Leather work Institute. | | | 4.67 |
| Persons to be trained | 80 | | 4.07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| XIX. | Subsidy to Cottage Industries | | 25.00 |
| XX. | Handicraft's Boards | 0.78 Lakhs | 0.78 |
| XXI | Reorganisation of the Directorate. | 12.46 | 12.46 |
| XXII. | Grant of subsidy on electricity to small scale Industries | 10.00 | 10.00 |
| XXIII. | Re-Organisation of Cottage Industries Institute. | 2 Existing institute at Jaipur and Bikaner to be re-organised and one new institute to be started at Udaipur. | 11.86 |
| XXIV. | Foreign Training | ... | 1.00 |
| XXV. | For participation in Schemes that may be sponsored by Central Govt. during the Plan. | 14.8 | 14.58. |
| | | | 500.00 |

Central Sector :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Co-operative Sugar Mill | ... | 9.5 |
| (2) | Pilot Plant for sodium-sulphate manufacture at Didwana. | ... | 4.75. |
| | | | 514.25. |
| | Ajmer Schemes. | | 50. Lacs. |
| | | | 564.25. Lacs. |

# परिशिष्ट ३

( कृपया प्रश्न संख्या १२७ का उत्तर देखिये )

## बाड़मेर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किए गए कार्यों की सूची

१. कृषि एवं पशु चिकित्सा :

१. एक पशु चिकित्सा केन्द्र खोला गया।

२. सुमेर गौशाला के लिए अच्छी नस्ल की गायें खरीदने के लिये और मकान इत्यादि के लिये १०,६०० रु० मंजूर किए गये।

३. थारपरकर सांड खरीदने के लिये १०,००० रु० की मंजूरी दी गई।

४. जनता की सुविधा के लिए एक जिला पशु-चिकित्सा अधिकारी रखा गया।

५. १९५६–५७ में २,००० रु० का ऋण कुंए बनाने हेतु बांटा गया। व १८७० मन गेहूं का बीज और १७ टन खाद बांटा गया।

६. जहां सिंचाई की सुविधाएँ हैं वहां उन्नत बीज बांटे गये।

२. सहकारिता :

१७ सहकारी समितियां स्थापित की गई।

३. विकास विभाग :

अक्तूबर, १९५६ में "शो" में एक विस्तार सेवा खंड खोला गया है।

४. उद्योग :

१. एक रंगाई व छपाई उत्पादक व शिक्षण केन्द्र खोला गया। हाथ कर्घे पर बने कपड़े का बिक्री केन्द्र चला रहा है।

२. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक जिला उद्योग अधिकारी का ायालय खोला गया है।

५. सड़कें :

१. बाड़मेर में छीतलवाना तक ग्रेवल्डरोड

२. कल्याणपुरा से समदरी तक ,,

३. गुढ़ा, जालोर, सायल व भीकमपुर होती हुई ग्रेवल्ड रोड।

४. बाड़मेर से गरंडा तक ग्रेवल्ड रोड।

५. भीकासर से बाड़मेर सिवा होती हुई।

६. बाड़मेर से करीम स्टेशन तक देरासर सियानी होती हुई।

७. उंदू से छावा ग्रेवल्ड रोड।

८. कानोर से पचपद्रा ग्रेवल्ड रोड।

९. बालोगा से बाड़मेर की बिटुमन ट्रीटमेंट।

६. शिक्षा :

१. ७४ नये प्राइमरी स्कूल खोले गये।

२. ३ अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

३. ८ नॉन बेसिक स्कूलों में क्राफ्ट का विषय चालू किया गया।

४. ५ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया गया।

५. ४२,४०० रु० मल्टी पर्पज़ स्कूल बाड़मेर के सामान आदि की खरीद में खर्च हुये।

६. ५०१५ रु० भवनों के निर्माण व मरम्मत में खर्च हुए।

७. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा :

१. बालोगा जल वितरण योजना पर १,१४,००० रु० खर्च करने का निश्चय किया गया।

२. आयुर्वेदिक—चार नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये।

८. समाज कल्याण :

१. संस्कार केन्द्र

२. समाज शिक्षण केन्द्र : रात्रि पाठशालायें :

३. टेलरिंग सेन्टर

४. ग्रान्ट-इन-एड

५. स्कॉलरशिप

६. बसाये गये कुटुम्ब

७. व्यक्ति जिनको दवा दी गई

८. सामाजिक मेला आदि

९. एस्टेब्लिशमेंट व एक्ज़ीक्यूटिव खर्चा व अलाउन्स व हॉनरेरियम

## परिशिष्ट ४

( कृपया प्रश्न संख्या १३२ का उत्तर देखिये )

पिछड़ी जातियों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा खोले गये चिकित्सालयों की सूची:

१. मोंगा तहसील सराड़ा जिला उदयपुर।
२. दया अम्बावी तहसील फलासिया जिला उदयपुर।
३. मान्डवा तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर।
४. घाटिया तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर।
५. भुरा तहसील पिन्डवारा जिला सिरोही।
६. गरड़ा तहसील शाहबाद जिला कोटा।
७. भींगरी तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर।
८. सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
९. सुहागपुर तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़।
१०. पीपलकुन्ट तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा।
११. आन्तरी तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर।

## परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देखिये)

'अ'

| क्र० सं० | नाम | पूंजी |
|---|---|---|
| १ | दी बैंक ऑफ जयपुर लिमिटेड, जयपुर | १२,५०,०००) |
| २ | दी बैंक ऑफ बीकानेर लिमिटेड, बीकानेर | २,६२,६५०) |
| ३ | दी बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांसवाड़ा | १८,४००) |
| ४ | दी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, बम्बई | १,६०,०००) |
| ५ | बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बूंदी | ४,३२,४००) |
| ६ | भवानीमंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, भवानीमंडी | १०,०००) |
| ७ | नवलगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, नवलगढ़ | १,२५,०००) |
| ८ | आबूरोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इन्डस्ट्रीज कं० लिमिटेड, आबूरोड | १,२५,००[illegible]) |
| ९ | झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़ | १,००,०००) |
| १० | कोटा ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, कोटा | २,००,०००) |
| ११ | जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर | ७५,००,०००) |
| १२ | बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड श्री गंगानगर (गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर) | ३३,२३,[illegible]५०) |
| १३ | मान इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर | १५,००,०००) |
| १४ | श्री उदयभान इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर | १,३०,०००) |
| १५ | मित्रबन्धु इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर (प्राइवेट लिमिटेड कं०) | २५,०००) |
| १६ | बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, बीकानेर | ३,५०,०००) |
| १७ | दी ग्लासवेयर्स लिमिटेड, भरतपुर | ७५,०००) |
| १८ | धौलपुर ग्लासवर्क्स लिमिटेड, धौलपुर | ५०,०००) |
| १९ | श्री हरिश्चन्द्र इन्डस्ट्रियल पोटरी वर्क्स लिमिटेड, झालावाड़ | १०,०००) |
| २० | दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, भरतपुर | ५,०००) |
| २१ | डूंगरपुर माइनिंग सिन्डीकेट, डूंगरपुर | १,००,०००) |
| २२ | श्री सार्दूल टैक्सटाइल लिमिटेड, श्री गंगानगर | ११,८०,०००) |
| २३ | जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर | १७,४५,८००) |
| २४ | दी पायोनियर्स लिमिटेड, लखनऊ | १०,०००) |
| २५ | न्यूज पेपर्स लिमिटेड, इलाहाबाद | १०,०००) |
| २६ | शिवाजी पब्लिकेशन्स लिमिटेड, नई दिल्ली | ५,०००) |
| २७ | हिन्द फार्मस एण्ड डेयरीज लिमिटेड, आगरा (विघटनाधीन) | ५,०००) |
| २८ | एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लि०, बम्बई (विघटनाधीन) | १,००,०००) |
| २९ | अम्बिका एयरलाइन्स लिमिटेड, बम्बई | १,००,०००) |
| ३० | सीगल एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, न्यू देहली | २०,०००) |
| ३१ | फुलवा इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, १२ मिशन रोड, कलकत्ता | ६,५००) |

# Page No.123



| | | |
|---|---|---|
| ३२ | दी ब्रह्मपुत्र सिलचर रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | ६,५००) |
| ३३ | दी सेंट्रल प्रोविंसेज़ रेलवे कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | ७,६००) |
| ३४ | राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर | ५,००,०००) |
| ३५ | दी राजस्थान फाइनेन्सियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर | ३६,००,०००) |
| ३६ | दी मैमनसिंह भैरव बाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (विघटनाधीन) | ११,[illegible]००) |
| ३७ | दी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | ४०,३०६-१५-० |
| ३८ | दी प्रेमनाथ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, न्यू देहली | १०,०००) |
| ३९ | रामपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड | ३,०००) |
| ४० | डालमिया जैन एयरवेज़ लिमिटेड, न्यू देहली | २,०००) |
| ४१ | हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | १,०००) |
| ४२ | स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल लिमिटेड | ३,०००) |
| ४३ | श्री आदर्श बीमा कम्पनी लिमिटेड | ५०,०००) |
| ४४ | दी डूंगरपुर शुगर इन्डस्ट्रीज़, डूंगरपुर | ४६,०००) |
| ४५ | दी स्टोनवेयर पाइप एण्ड सेनीटरी फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर | २५,०००) |
| ४६ | दी नेशनल कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली ( सन् १९५६-५७ में लगाई गई नई पूंजी ) | २,००,०००) |
| | योग | २,३६,४५,६०६-१५-० |

# Page No.124



**'ब'**

| क्रमसंख्या | नाम | पूंजी |
|---|---|---|
| १. | काटन प्रेस कम्पनी, मदन गंज, किशनगढ़ | २०८३३-५-४ |
| २. | आल इन्डिया हैंडलूम फैब्रिक्स मारकेटिंग कोआँपरेटिव सोसाइटी लि०, बम्बई | ५,०००-०-० |
| ३. | कोआँपरेटिव बैंक, कोटा लिमिटेड, कोटा | २७,०००-०-१ |
| ४. | जयपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड | १,००,०००-०-० |
| ५. | अलवर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड | ५०,०००-०-० |
| ६. | भरतपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड | ५०,०००-०-० |
| ७. | जयपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड | २५,०००-०-० |
| ८. | कोटा स्टेट कोआँपरेटिव परचेज एन्ड सेल्स सोसाइटी लिमिटेड, बारां | २५,०००-०-० |
| ९. | बरसी ग्रामीण बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, बरसी | १०,०००-०-० |
| १०. | बांसखो ग्रामीण बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड | ५,०००-०-० |
| ११. | देवगांव ग्रामीण बहु उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड | ५,०००-०-० |
| १२. | कनौता ग्रामीण बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड | ५,०००-०-० |
| १३. | सांगानेर ग्रामीण बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड | ७,०००-०-० |
| १४. | अग्रगामी बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, अन्ता | ७,०००-०-० |
| १५. | कर्णधार बहु-उद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड, बारां | ८,०००-०-० |
| | योग | ३,४९,८३३-५-४ |

## शुद्धि-पत्र

( कार्य-विवरण बृहस्पतिवार दिनांक १४ मई, १९५७ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १८१५ | १२-१३ | सरकार इसको कोइ इत्तला | सरकार के पास इसको कोई इत्तला |
| १८१७ | १७-१८ | On a point order | On a point of order |
| १८२२ | १६ | उप राजस्व मन्त्री | उप राजस्वमन्त्री |
| १८३६ | २३ | Grvernment propose | Government propose |
| १८४० | २६ | ट्रैक्टर खरदे गये | ट्रैक्टर खरीदे गये |
| १८५० | ११ | ऐस डूबने वाली | ऐसी डूबने वाली |
| १८५२ | २ | (श्री मुरलीधर व्यास) | ( श्री ऋषभचन्द ) |
| १८६० | २६ | १० मई को १९५७ को | १० मई, १९५७ को |
| १८६१ | १७-१८ | सदस्या,<br>विधान सभा । | सदस्या<br>विधान सभा ।" |
| १८६४ | २२ | के हाथ में इस प्रकार | के हाथ में है । इस प्रकार |
| १८६५ | १८ | कद्दा के नमित्त | कद्दा के निमित्त |
| १८७४ | १८ | वहां गया सरसरी नजर से | वहां सरसरी नजर से |
| १८७७ | १५ | thjs principle | this principle |
| " | १० | Gavernment is | Government is |
| " | २१ | judicary. | judiciary. |
| १८८१ | १६ | उदाहरणक के | उदाहरण के |
| " | ३३ | वास्तव में, मैं कहूँगा | वास्तव में मैं कहूंगा |
| " | ३५ | में निवेदन करूंगा। | मैं निवेदन करूंगा |
| १८८४ | १० | रिपोर्ट है ५५-५५ | रिपोर्ट है ५५-५६ |
| १८८५ | १४ | अनुसार रेक्रटमेंट | अनुसार रिक्रूटमेंट |
| १८८६ | अन्तिम पंक्ति | को वाइवोवोसे | को वाइवावोसे |
| १८८६ | ३३ | वहां करवाय | वहां करवाये । |
| १९०० | ११ | ठेके को पोस्टफोन कर दिया होता । | ठेके को पोस्टपोन कर दिया । |
| १९०८ | १३ | क्या है, | होता क्या है, |
| " | १३ | The Ho'le | The Hon'ble |
| " | १६ | would Leseach | would beseech |
| " | २८ | Time ensumed | time consumes |
| " | २३ | Order plese | Order please ! |
| १९१४ | १३ | निःशुल्क शिद्दालयों | निःशुल्क शिक्षणालयों |
| १९२१ | २ | पर सदन में मैं वह | पर सदन में वह |

| १ | २ | ३ | |
|---|---|---|---|
| १६२६ | ७ | को कार्यपालिक | को कार्यपालिका |
| ,, | २० | महसूस करेगा कि और | महसूस करेगा और |
| १६३०–१६३२ | १ | (श्री मोहरसिंह) | (श्री लच्छूराम) |
| १६७६ | ३१ | against the Congrss | against the Congress. |
| १६८२ | ३४ | near the, road | near tne road, |
| १६८६ | १५ | Magistarial power | magisterial power |
| १६६० | २ | (श्री अर्जनदास) | (श्री शिवचरणदास) |
| २०२० | २ | (श्री मोहनलाल सुखाड़िय) | (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) |
| २०३६ | २२ | अधिकारी का र्यालय | अधिकारी का कार्यालय |